राजस्थान विधान सभा

६६ वीं बैठक, बुधवार, दिनांक ८ सितम्बर, सन् १६५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में सायं ८-० बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १७२८

नेअड़ इलाके (त० सांचोर) में नदियों पर बांध बांधने की योजना

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील सांचोर में नेअड़ इलाके में किन किन नदियों पर बांध बांधने की योजना है ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि लूनी व सूकड़ी नदी पर बांध बनाने से लाखों टन गेहूं की पैदावार बढ़ जायेगी ?

(ग) अगर ऐसी योजना नहीं बनाई है तो भविष्य में इस तरफ क्या कदम लिये जायेंगे ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) सरकार इस विषय की जांच करा रही है। जिन नदियों पर बांध बांधना उपयुक्त होगा उन्हीं पर बांध बांधे जायेंगे।

(ख) इस विषय पर जांच होने पर ही प्रकाश डाला जा सकता है। एक नया सब डिविजन जांच कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—जांच कब तक हो जावेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—निश्चित तारीख तो बतलाना मुश्किल है, लेकिन जल्दी हो जावेगी।

Page No.2

श्री **जवानसिंह**—क्या जांच इस वक्त हो रही है ?

श्री **टीकाराम पालीवाल**—मैंने कहा, जांच कराई जा रही है ।

श्री **जवानसिंह**—क्या इसके लिये कोई अलग आदमी मुकर्रर हुए हैं या यहीं के इंजीनियर जांच कर रहे हैं ?

श्री **टीकाराम पालीवाल**—आपने मेरे उत्तर को ठीक तरह से सुना नहीं । मैंने यह कहा कि एक नया सब डिविजन कायम किया गया है ।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १७२६

किशनगढ़ म्युनिसिपल लाइट्स के बल्ब फ्यूज़ होने पर नये बल्बों के मूल्य पॉवर हाउस द्वारा लेना ?

श्री **चांदमल मेहता**—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि किशनगढ़ में म्युनिसिपल लाइट्स के बल्बज़ फ्यूज़ हो जाने पर दूसरे बल्बज़ रिप्लेस करने के लेबर चार्जेज़ किशनगढ़ पॉवर हाउस द्वारा वसूल किये जाते हैं ?

(ख) यदि हां, तो सन् ५३-५४ के वर्ष में इस प्रकार के चार्जेज़ की कितनी रकम पॉवर हाउस में जमा हुई ?

(ग) इस प्रकार के चार्जेज़ राजस्थान में किन किन पॉवर हाउसेज़ में वसूल किये जाते हैं?

(घ) क्या यह सही है कि म्युनिसिपल बोर्ड के आदमियों को बल्ब रिप्लेस करने से मना किया जाता है ?

(ङ) क्या यह सही है कि वक्त पर पॉवर हाउस के अधिकारियों द्वारा बल्ब रिप्लेस नहीं करने से जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

श्री **टीकाराम पालीवाल** (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) हां ।

(ख) इस प्रकार की १९५३-५४ में हुई आमदनी २६) रुपये है ।

(ग) सब जगह म्युनिसिपेलिटी के काम के लिये लेबर चार्जेज़ वसूल किये जाते हैं ।

Page No.3

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(घ) हां।

(ङ) नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि ये चार्जेज़ कब और किस रेट से वसूल किये जाते हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—पहले जमाने में नहीं लिये जाते होंगे। मगर अब तो लिये जाते हैं। रेट मेरे पास अभी नहीं है। पता लगाकर बताया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या वहां पर वक्त पर बल्ब रिप्लेस नहीं करने से जनता को बहुत परेशानी होती है और इस संबन्ध में शिकायतें हुई हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने कोई शिकायत नहीं देखी।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इसकी जांच करने की कोशिश करेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास आई नहीं, आने पर जरूर कार्यवाही करेगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि म्युनिसिपल बोर्ड ने खुद ने इस बारे में शिकायत की है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७३०

राजस्थान निर्माण के पश्चात् जमा कराई गई सिक्योरिटीज़ की रकम जब्त होना

श्री चांदमल मेहता—क्या रसद मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के निर्माण के बाद रसद विभाग में जमा कराई गई सिक्यूरिटी के किस किस व्यक्ति के कितने २ रुपये जब्त करने के आदेश दिये गये ?

[श्री चांदमल मेहता]

(ख) किशनगढ़ सब डिविजन में भी क्या किसी की सिक्यूरिटी को जब्त करने का आदेश दिया गया है?

(ग) यदि हां, तो किस किस व्यक्ति की सिक्यूरिटी किन २ कारणों से जब्त करने का किन २ अधिकारियों ने आदेश दिया?

(घ) जिन अधिकारियों ने ऐसा आदेश दिया, क्या उन्हें ऐसा आदेश देने का अधिकार प्राप्त है?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—(क) इस संबन्ध में तमाम संबन्धित जिलाधीशों को एक्सप्रेस टेलिग्राम भेजे गये हैं। जवाब आने पर उत्तर प्रेषित किया जावेगा।

(ख) हां।

(ग) असिस्टेन्ट क्लेक्टर किशनगढ़ के ता० २. २. ५२ के हुक्म से मेसर्स रिटेल क्लॉथ एसोसियेशन सरवाड़ की सिक्यूरिटी जब्त की गई। जब्त करने का कारण यह था कि इस एसोसियेशन ने राजस्थान वाड़े वितरण कमेटी की धारा २५ का उल्लंघन किया था।

(घ) हां, उन्हें ऐसा आदेश देने का अधिकार प्राप्त है।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री की जानकारी में यह बात है कि इस तरह का अधिकार जिला क्लेक्टरों को है और एसिस्टेन्ट क्लेक्टर को नहीं?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं बता चुका हूं कि अधिकार उनको है।

श्री चांदमल मेहता—इन लोगों के सिवाय और लोगों ने भी क्लॉज़ेज़ का उलंघन किया, क्या सरकार को मालूम है?

श्री भोगीलाल पंड्या—किसी ने नहीं किया और किया हो तो मेरे ध्यान में नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कई लोगों ने वितरण कमेटी की धाराओं का उलंघन किया और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं। अगर कोई लिखित रूप में जानकारी देंगे तो उसकी जांच करके मुनासिब कार्यवाही जरूर की जावेगी।

Page No.5

श्री चांदमल मेहता—असिस्टेन्ट कलेक्टर को सिक्योरिटी जब्त करने का किस कानून के अनुसार आदेश दिया गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने बताया कि राजस्थान वार्ड वितरण कमेटी की धारा २५ ।

श्री चांदमल मेहता—इस संबन्ध में कब आज्ञा जारी की गई कि उनको सिक्योरिटी जब्त करने का अधिकार है । जब सप्लाई……

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने आपको सही बात थी वह बता दी है और आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि उनको अधिकार था ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जब यह सिक्योरिटी जब्त की गई थी तो उस समय कोई अधिकार उनको नहीं था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं, उनको अधिकार था और उसी अधिकार के अनुसार उन्होंने कार्यवाही की ।

श्री चांदमल मेहता—यह अधिकार कब दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके लिये आप अलग से प्रश्न करें । वैसे किशनगढ़ के एस. डी. ओ. को अधिकार दिया हुआ था ।

एक माननीय सदस्य—क्या असिस्टेन्ट कलेक्टरों को सब जगह इस प्रकार के अधिकार हैं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १७३१

भरतपुर को पूर्व सरकार द्वारा ३ लाख रुपया बजट में इयरमार्क फन्ड में दिखाने पर भी जल समस्या का हल न होना

श्री तेजपाल—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भरतपुर की पूर्व सरकार ने ३ लाख रुपया जो बजट में (१ लाख वाटर ड्रेनेज तथा २ लाख वाटर सप्लाई) इयर मार्क फन्ड में दिखाया गया है पानी की समस्या को हल करने के निमित्त जमा कराया था ?

[श्री तेजपाल]

(ख) यदि हां, तो उक्त समस्या क्यों हल न की जा सकी जब कि पड़ौसी जिले को यह रकम काफी राशि में मंजूर करके कार्य पूरा किया जा चुका है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) भरतपुर के पड़ौसी जिले सवाई माधोपुर को ऐसी मंजूरी नहीं दी गई। पहले वाटर सप्लाई स्कीम बनाई गई थी जो उपयुक्त नहीं थी। अब कॉम्प्रीहेन्सिव वाटर सप्लाई की स्कीम म्युनिसिपल बोर्ड ने पी० डब्ल्यु० डी० के परामर्श से तैयार कराई है और उसके लिए १६ लाख रुपया ऋण मांगा है। इस वर्ष दो लाख रुपया दिये जाने की संभावना है।

श्री तेजपाल—क्या दो लाख की मंजूरी दे देने से यह कार्य पूरा हो सकेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा ?

श्री तेजपाल—तीन लाख की रकम पहले से जमा है, अब दो लाख मंजूर करने से क्या यह कार्य पूरा हो सकता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जो रकमें इस प्रकार से जमा थीं वे भिन्न २ इकाइयों की थी और अब एक कोमन फंड में मिल चुकी है, अब अलग से जमा नहीं हैं। अलग से ऋण मांगा गया है। वह सारा रुपया न तो दिया ही जा सकता है और न खर्च ही किया जा सकता है। इसलिए जितनी रकम मंजूर होगी उसको कई वर्षों में दिया जा सकेगा और कई वर्षों में काम पूरा हो सकेगा।

श्री तेजपाल—क्या इस साल यह कार्य शुरु हो जायगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने निवेदन किया कि दो लाख रुपया दिये जाने की संभावना है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री तेजपाल।

प्रश्न संख्या १७३२

पूर्व भरतपुर राज्य के पेन्शनर्स को मत्स्य में रिटायर होने पर भी पेन्शन कुछ को अभी तक न मिलना

श्री तेजपाल—क्या अर्थ मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान से पूर्व भरतपुर राज्य में कितने पेन्शनर मत्स्य में रिटायर्ड हुए ?

[श्री तेजपाल]

(ख) कितनों को पेन्शन मिल चुकी है तथा कितनों को नहीं ?

(ग) कितने पेन्शनर कितने वर्षों से पेन्शन की बाट देख रहे हैं ?

(घ) उनको अब तक न निबटाने के क्या कारण हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (अर्थ मन्त्री)—(क) भरतपुर राज्य के ४१ कर्मचारी रेवेन्यू भूमि रेकॉर्ड से मत्स्य से रिटायर हुए । अन्य विभागों के विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ख) उपरोक्त में से २२ को पेन्शन या एन्टीसिपेटरी पेन्शन मिल चुकी है ?

(ग) बचे हुए १९ कर्मचारियों को पेन्शन अभी नहीं मिली है ।

(घ) १९ में से १७ के कागजात में एकाउन्टेन्ट जनरल से लिखा पढ़ी हो रही है, और अन्य दो में भी विभागीय कार्यवाही पूरी की जा रही है ।

कलेक्टर भरतपुर के कथनानुसार इन मामलों में देरी का प्रमुख कारण एकाउन्टेन्ट जनरल से एक एक कर एतराज़ आना है । जैसा पहिले बताया जा चुका है सरकार पेन्शन के मामले निबटाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है और उसके लिए एक कमेटी भी मुकर्रर की जा चुकी है । इस सम्बन्ध में जो प्रगति एवं प्रयत्न किये गये हैं उनके सम्बन्ध में सदन को समय समय पर अनेक प्रश्नों के उत्तर में सूचित किया जा चुका है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १७२३

राजस्थान में रीजनल एनेलिसिस्ट का हैडक्वार्टर तथा उनकी योग्यता

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में रीज़नल एनेलिसिस्ट के हैडक्वार्टर्स कहां कहां हैं ?

(ख) उनके नाम व योग्यताएं क्या क्या हैं ?

(ग) उनके दफ्तरों का पिछले एक वर्ष में कब कब किसके द्वारा निरीक्षण किया गया ?

(घ) उक्त निरीक्षण की रिपोर्ट्स पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ्य मंत्री की ओर से)—(क) केवल जोधपुर में ।

(ख) श्री ए. के. भट्टाचार्य, बी. एस सी. आगरा, एम. एस सी. प्रीवियस बोम्बे, या तीन माह का न्युट्रिशन कोर्स कलकत्ता ।

(ग) इस वर्ष ६-३-५४ व २१-७-५४ चीफ पब्लिक अनेलिसिस्ट द्वारा ।

(घ) निरीक्षण रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें सरकार द्वारा किसी कार्यवाही की आवश्यकता हो ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में है कि उस इन्स्पेक्शन रिपोर्ट में रीजनल एनेलेसिस्ट के खिलाफ सीरियस ऐलीगेशन्स थे ?

श्री रामकरण जोशी—मैंने आपको जवाब दिया कि रिपोर्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे सरकार को कोई कार्यवाही करने की जरुरत पड़ती ।

श्री चांदमल मेहता—क्या वह रिपोर्ट मंत्री महोदय के समक्ष पेश हो चुकी है ?

श्री रामकरण जोशी—उस रिपोर्ट के आधार पर लिखे गये नोट्स सरकार के समक्ष आये थे ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की यह जानकारी में है कि रीज़नल एनेलिसिस्ट के दफ्तर का इन्स्पेक्शन करने के बाद सीरीयस एलीगेशन्स पाये जाने की हालत में सारे कागज-पत्र यहां लाये गये ?

श्री रामकरण जोशी—कागज जांच के बाद लौटा दिये गये हैं । उस रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे कि एक्शन लिया जाता ।

श्री चांदमल मेहता—कागजात जांच करने के पहले लाए गए या बाद में लाए गए ?

श्री रामकरण जोशी—इन्स्पेक्शन के टाइम पर उनको वहां देखने का टाइम नहीं मिला था इसलिए उनको यहां लाया गया, और कोई बात नहीं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इन्स्पेक्शन रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने के लिए तैयार है ?

श्री रामकरण जोशी—यदि मांग हुई तो जरूर रख दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १७३४

तहसील राजाखेड़ा (धौलपुर) में नये बान्धों का निर्माण तथा पुराने के जीर्णोद्धार सम्बन्धी योजना

श्री हंसराज जटिया—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील राजाखेड़ा धौलपुर में नवीन बान्धों के निर्माण व पुराने बान्धों की मरम्मत के सम्बन्ध में क्या कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या, और नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—(क) तहसील राजाखेड़ा, धौलपुर में अभी कोई नवीन योजना नहीं मिल सकी। पुराने बान्धों की मरम्मत के तखमीने बनाये जा रहे हैं ।

श्री हंसराज जटिया—उनकी मरम्मत का काम कब से शुरु हो जायगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—तखमीना बन चुकने पर ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १७३५

अनादरा से सिरोही की सड़क के १८ से २२ मील तक का कार्य

श्री तनसिंह—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने कि कृपा करेंगे:

(क) अनादरा से सिरोही की सड़क के १८ मील से २२ मील तक का काम कब से जारी है ?

(ख) इस काम को पूरा करने के लिये कितना समय टेन्डर में तय था ?

(ग) क्या उपरोक्त काम ठेकेदार ने समय के अन्दर पूरा किया ?

[श्री वनसिंह]

(घ) अगर नहीं, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(ङ) यह काम जब समय पर पूरा नहीं हुआ तो डिपार्टमेंट की ओर से क्यों नहीं पूरा किया गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल (निर्माण मंत्री)—(क) अनादरा सिरोही की सड़क १८ मील से २२ मील का काम तारीख २३, १, ५४ से जारी है ?

(ख) इस काम को पूरा करने की मयाद टेन्डर के अनुसार तीन माह की थी।

(ग) इस कार्य के लिए बजट में पूरा द्रव्य स्वीकार न होने के कारण कार्य पूरा नहीं कराया जा सका।

(घ) ठेके की शर्त के अनुसार कार्यवाही की जाने के लिए पत्रादि चल रहे हैं।

(ङ) केवल समय पर कार्य पूरा न होने से प्रत्येक कार्य डिपार्टमेंट द्वारा नहीं कराया जा सकता। अन्य बहुतसी बातों, जैसे द्रव्य आदि पर भी विचार करना आवश्यक होता है। ठेकेदार की मयाद ३ महिने की थी किन्तु बजट में पूरा द्रव्य स्वीकार होने के कारण इस अवधि में कार्य पूरा नहीं कराया जा सकता था और बजट प्रोविजन के अनुसार ही कार्य करवाया गया।

श्री जवानसिंह—१८ से २२ मील की सड़क के लिए कितना रुपया इस साल मंजूर हुआ है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने आपको निवेदन किया था कि पूरी सड़क के लिए पूरा रुपया मंजूर नहीं हुआ था। ।उसके कुछ काम के लिए जैसे कॉन्सीलिडेशन, मेटिरियल कलेक्शन के लिए ६३ हजार रुपया मंजूर हुआ था।

श्री जवानसिंह—क्या ६३ हजार रुपये १८ से २२ मील की सड़क के लिए मंजूर हुए थे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—पूरी सड़क बनाने के लिए नहीं था, उसके कुछ पार्ट के लिए था।

श्री जवानसिंह—६३ हजार रुपये कितनी सड़क बनाने के लिए रक्खे गये। वह पार्ट कौनसा है जिसके लिए ये ६३ हजार रुपये मंजूर किये गये ?

Page No.11

श्री टीकाराम पालीवाल—१८ से २२ मील के लिए ।

श्री जवानसिंह—अभी आप कह रहे थे कि १८ से २२ मील की सडक के पार्ट के लिए ६३ हजार रुपया रखा गया था। यह तीन महीनों के लिए दिया गया था। यह कार्य कौनसे अर्से में पूरा हुआ जिसके लिए टेन्डर दिया गया था ?

श्री टीकाराम पालीवाल—I am very sorry

चार मील के टुकड़े के लिये, पूरे काम के लिए ६३ हजार रुपया था लेकिन तीन महिने के काम के लिए १० हजार रुपया अलॉट किया गया। इससे कॉन्सोलिडेशन और मेटिरियल कलेक्शन का काम तीन महीने में पूरा होगा।

श्री जवानसिंह—क्या मंत्री महोदय फिर से जांच करवायेंगे कि तारीख १-१-५४ से लगाकर आज तक उसमें से चार मील के बजाय दो मील का काम भी नहीं हुआ है।

श्री टीकाराम पालीवाल—पूरे होने की बात नहीं थी। सिर्फ मेंटिरियल कलेक्शन और कॉन्सोलिडेशन का काम था।

श्री जवानसिंह—मेटीरियल कलेक्शन का काम तीन-चार मील के लिए दिया हुआ था, वह अब तक पूरा हो गया है क्या ?

श्री टीकाराम पालीवाल—दस हजार में जितना हो सकता है उतना होगा।

श्री जवानसिंह—मैं यह पूछ रहा हूं कि मेटिरियल कलेक्शन और कन्सोलिडेशन का कार्य चार मील के लिये अब तक पूरा हो गया क्या ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने निवेदन किया था कि दस हजार रुपया अलॉट किया गया था और दस हजार रुपयों का काम पूरा हो गया।

श्री जवानसिंह—अब मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ यह निवेदन करूंगा कि वे वापिस जांच करने के लिए तैयार है कि मेटिरियल कलेक्शन और कन्सोलिडेशन का कार्य दस हजार रुपयों का आज तक पूरा हुआ या नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—क्या मैं यह मानूं कि आपका दस हजार रुपयों का काम पूरा नहीं हुआ; यदि ऐसा ही कहना है तो मैं इसकी जांच करा लूंगा।

श्री जवानसिंह—मैं बहुत पहले ही धन्यवाद दे देता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७३६

सन् १९५३-५४ के अन्त तक रसद कर्मचारियों की छंटनी और उनकी नियुक्ति

श्री चांदमल मेहता—क्या रसद मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) सन् ५३-५४ के अन्त तक रसद विभाग के कितने कर्मचारी कमी में आये ?

(ख) उक्त कर्मचारियों में से कितने व्यक्तियों को अन्य महकमों में काम दे दिया गया हैं और कितनों को नहीं ?

(ग) किशनगढ़ सब डिविजन में काम करने वाले ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें काम पर नहीं लगाया गया हैं ?

(घ) जिन व्यक्तियों को काम पर लगाया गया हैं उन्हें क्या उसी तनख्वाह पर नौकरी रक्खा गया है जो उन्हें रसद विभाग में मिला करती थी ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—(क) सन् ५३-५४ के अन्त तक रसद विभाग के ६७५ कर्मचारी कमी में आये।

(ख) उक्त कर्मचारियों में से ५०४ को अन्य विभागों में नियुक्त किया जा चुका है और १७१ अस्थायी तौर पर रखे गये थे, उनको हटा दिया गया हैं।

(ग) सिर्फ दो कर्मचारी किशनगढ़ सब डिविजन के हैं जिनको काम पर नहीं लगाया गया। उनमें से एक कर्मचारी के खिलाफ मामले में जांच हो रही है।

(घ) नहीं, राजस्थान सरकार के आदेशानुसार जो कर्मचारी रसद विभाग के दूसरे विभागों में काम कर रहे हैं, जिस पद पर वे काम कर रहे हैं उसके ग्रेड का न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है।

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ सब डिवीजन के जिन दो कर्मचारियों को काम पर नहीं लगाया गया उनमें से एक के खिलाफ शिकायत थी, लेकिन दूसरे को काम पर क्यों नहीं लगाया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—दूसरा कर्मचारी अस्थायी था, फिर भी उसको लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि रसद विभाग के कर्मचारी जो एस. ए. एस. में आ गये हैं क्या उनको भी लोअर डिवीजन क्लर्क की जगह लगाया जा रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं, ऐसी चर्चा जरूर आई थी। उनको रसद विभाग में वापिस ले लिया गया।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो एस. ए. एस. में गये और आॅर्डिनरी क्लर्क के स्थान पर अब भी काम कर रहे हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपकी सूचना गलत है। एस. ए. एस. सिविल सप्लाइज़ में जो आयेंगे वे उसी विभाग में काम करेंगे। आप अगर उसके रूल्स को देखेंगे तो जो आपका भ्रम है वह दूर हो जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या एस. ए. एस. सिविल सप्लाइज़ के लिये कोई अलग बोर्ड बैठा था और क्या उसका नोटिफिकेशन गजट में शाया किया गया था।

श्री भोगीलाल पंड्या—परीक्षा होने के बाद यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि इनकी नियुक्ति रसद विभाग में ही होगी।

श्री चांदमल मेहता—सप्लाई विभाग के कर्मचारी जो दूसरे विभागों में काम कर रहे हैं उनमें से एस. ए. एस. कितने हैं जो लोअर डिविजन की जगह काम कर रहे हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं अपने जवाब में इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

श्री चान्दमल मेहता—क्या एस. ए. एस. में आये हुए कर्मचारी लोअर डिवीजन की जगह काम कर रहे हैं, क्या दूसरे विभागों में ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं कह चुका हूँ लोअर डिवीजन क्लर्क की जगह नियुक्त किया गया था, उनको वापिस बुला लिया गया है।

प्रश्न संख्या १७३७

नाथद्वारा कस्बे में बिजली का प्रबन्ध अत्यावश्यक

श्री शिवदानसिंह—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या श्री नाथद्वारा कस्बे को भी उन कस्बों में सम्मिलित करने का सरकार सोच रही है जिनको निकट भविष्य में इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है ?

[श्री शिवदानसिंह]

(ख) क्या सरकार को यह भी विदित है कि श्री नाथद्वारा में मीनाकारी व चित्रकारी के भारत-प्रसिद्ध धंधे बिजली के अभाव से राजकोट आदि अन्य स्थानों के ऐसे धंधों के मुकाबले में पिछड़ रहे है ?

(ग,क्या सरकार को यह भी विदित है कि मन्दिर के स्टाफ की की गई कटौतरो और उद्योग धंधों के नहीं चलने से वहां अनएम्प्लायमेन्ट का प्रश्न गंभीर होता जा रहा है ?

(घ) क्या सरकार श्री नाथद्वारे की अनएम्प्लायमेंट की सारी गंभीर परिस्थिति को सोचते हुए श्री नाथद्वारे को इलेक्ट्रीफाइड करने को प्रायोरिटी (Priority) देने की कृपा करेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) चम्बल योजना के अन्तर्गत कोटा से उदयपुर तक बिजली की लाइन डालना सरकार के विचाराधीन है। लोड सर्वे के अनुसार नाथद्वारे की बिजली की मांग उपयुक्त नहीं मालूम पड़ती। यदि भविष्य में मांग बढ़ी तो उदयपुर से लाइन डालने के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

(ख) नाथद्वारे में ऐसी कोई इन्डस्ट्री नहीं है जो बिजली के ही अभाव में बन्द पड़ी हो।

(ग) सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि विशेषतः नाथद्वारे में बेकारी की समस्या मुख्यतः मन्दिर के स्टाफ की कटौतरी एवं उद्योग धंधे न चलने के कारण गम्भीर होता जा रही है। बेकारी की समस्या समूचे भारत का प्रश्न है और केन्द्रीय योजना कमीशन इस समस्या को सुलझाने में व्यस्त है।

(घ) लोड सर्वे के आधार पर नाथद्वारे को बिजली के सम्बन्ध में प्राथमिकता देने की आवश्यकता नहीं पाई जाती। फिर भी भविष्य में यदि मांग बढ़ी तो सरकार उचित विचार कर सकेगी।

श्री शिवदानसिंह—जब तक यह लाइन नहीं बन जाती तब तक के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया जायगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने निवेदन किया कि लोड सर्वे किया गया था। उसके अनुसार यह पता चला कि वहां इतनी मांग नहीं है जिससे उपयुक्त प्रबन्ध किया जा सके। खर्चा ज्यादा पड़ता है और मांग कम है इससे बिजली बहुत ज्यादा मंहगी पड़ने की सम्भावना है।

श्री भैरुंसिंह—क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच की है कि वहां इसकी मांग कम है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि वहां का लोड सर्वे किया गया। उसके बाद मालूम हुआ कि वहां बिजली की मांग कम है।

प्रश्न संख्या १७३८

नेशनल हाईवे का भाग नाथद्वारे में गुजरना तथा कृषकों की क्षति पूर्ति

श्री शिवदानसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोई नेशनल हाईवे का हिस्सा श्री नाथद्वारे में होकर गुजरता है ?

(ख) अगर हां, तो इस सड़क के बनने से श्री नाथद्वारे की कितनी व किन २ किसानों की काश्त की जमीनें एक्वायर की जावेंगी ?

(ग) क्या उपरोक्त खेती होती हुई जमीन से गरीब कृषकों को बेदखल न किया जाकर सडक को पुरानी सड़क के आस पास ही निकालने की सुविधा सोची जावेगी ?

(श्री राजस्व मंत्री की अनुपस्थिति में)

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मंत्री)—(क) हां, नेशनल हाई वे नं० ८ नाथद्वारा में होकर गुजरती है।

(ख) जो भूमि एक्वायर की जावेगी उसकी विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(ग) पुरानी सड़क बहुत टेढ़ी, बांकी, सकड़ी व कस्बे के अन्दर होकर जाती है जो नेशनल हाई वे के यातायात के उपयुक्त नहीं है, इसलिये पुरानी सड़क के आसपास निकालने की सुविधा नहीं है। नया एलाइनमेंट भारत सरकार के कन्सल्टिंग इन्जीनियर ने पिछले दौर में स्वीकार किया था जो तालाब के एक छोर से जाता है और दूसरी ओर बनास के पुल के पास जाकर मिलता है। प्रदेश पहाड़ी है और कुछ रास्ता खेतों में होकर जाता है। बनास के पुल के कारण यह रास्त सर्वोत्तम है और टेकनीकल आवश्यकता के अनुसार इस रास्ते में सबसे कम जमीन जरूरत के माफिक एक्वायर की जायगी। बस्ती बसने के बाद में सड़क निकालने में कुछ खेती की जमीन का शामिल होना स्वाभाविक है।

Page No.16

प्रश्न संख्या १७३६

धौलपुर के आयुर्वेदिक औषधालय के बजट में कमी

श्री हंसराज जटिया—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) धौलपुर के आयुर्वेदिक औषधालय का बजट मत्स्य संघ में कितना था और अब कितना है ? क्या इसमें कोई कमी की गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(ख) सन् १९५१-५२ में आयुर्वेदिक औषधालय धौलपुर में रोगियों की दैनिक संख्या कितनी थी और अब कितनी है ? यदि इसमें वृद्धि हुई है तो क्या इसका बजट भी बढ़ाया गया है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि धौलपुर के आयुर्वेदिक औषधालय में इनडोर वार्ड का भी प्रबन्ध है ? यदि हां, तो इसमें कितने बेड्स हैं और अब तक कितने मरीज रह चुके हैं ?

(घ) क्या आयुर्वेदिक विभाग के डाइरेक्टर अथवा अन्य किसी उच्चाधिकारी ने इस औषधालय का निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो उनकी इसके सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट है ?

(ङ) क्या इस औषधालय में स्त्री-रोगियों की चिकित्सा हेतु कोई दाई (नर्स) का भी प्रबन्ध है ? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है ?

(श्री स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री की ओर से)

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) मत्स्य संघ में यूनानी डिसपेन्सरी समेत दवाइयों का बजट ४०,०० रु० था और अब २३८० रु० केवल आयुर्वेदिक डिसपेन्सरी का है और ११०० रु० यूनानी का, इस बजट में कोई कमी नहीं की गई है। क्योंकि अब २५ ओवरहैड चार्जेज नहीं लिया जाते।

(ख) १९५१-५२ में रोगियों की संख्या २३२ थी और अब २६५ है। इसका बजट वैसे का वैसा ही है।

(ग) जी नहीं। मगर यहां ८ रोगी शय्यायें हैं। जिन पर रोगी अपने निजी खर्च पर यदा कदा रखे जाते हैं।

(घ) जी हां। रिपोर्ट इस औषधालय की संतोषजनक बतलाई गई है। सिर्फ ओषधियों की कमी बतलाई गई है।

(ङ) जी नहीं। चूंकि शुरू से ही ऐसी व्यवस्था है।

श्री हंसराज जटिया—औषधियों की जो कमी है क्या सरकार उसको पूरा करने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री रामकरण जोशी—सब जगहों पर जिस हिसाब से औषधियों का वितरण होगा उसी प्रकार वहां के लिए भी किया जायगा ।

श्री हंसराज जटिया—सरकार का नर्स रखने के लिए क्या विचार है ?

श्री रामकरण जोशी—औषधालय में नर्स नहीं रखी जाती है और मिलती भी नहीं है । अगर नर्स मिल सकती है तो रखने पर विचार किया जा सकता है ।

प्रश्न संख्या १७४०

तालाब जवाहरसागर (त. अराई) की फीडर तैयार करवाना

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तालाब जवाहरसागर (तहसील अराई) की फीडर कितने वर्षों से तैयार नहीं कराई गई है ?

(ख) उक्त फीडर को तैयार कराने के लिए सिरूज ग्राम के काश्तकारों ने कितने प्रार्थना पत्र दाखिल किये ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त फीडर तैयार नहीं कराने की वजह से इस साल तालाब नहीं भर पाया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) तीन वर्ष से

(ख) एक ।

(ग) नहीं ।

श्री चान्दमल मेहता—अब तक इस फीडर के तैयार नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—राजस्थान बनने के बाद किशनगढ़ के बहुत से तालाब बिल्कुल गई गुजरी हालत में सरकार को मिले हैं, और करीब तीन साल से इस विभाग के अधिकार

[श्री टीकाराम पालीवाल]

में आये हैं। जो तालाब अधिक खराब थे उनको पहले ठीक कराने की कोशिश की गई है दूसरे कामों के साथ। चूंकि यह तालाब कम्पेरिटिवली कुछ अच्छा था इसका फीडर दूसरे के मुकाबले में अतएव इसका नंबर पहले लिया गया।

श्री चान्दमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय की यह जानकारी में है कि इस तालाब की हालत खराब होने से इसका फीडर सरकार की ओर से तुड़वा दिया गया?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी नहीं, यह सूचना आप नई दे रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस संबन्ध में माननीय मंत्री जांच करने की कृपा करेंगे कि इसकी फीडर सरकार द्वारा तुड़वाई गई है या नहीं?

श्री टीकाराम पालीवाल—सरकार के पास ऐसी कोई निश्चित सूचना नहीं है। अगर आप निश्चित तौर से सूचना देते हैं तो मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री चांदमल मेहता—असेम्बली का सदस्य जो कोई सूचना देता है वह निश्चित आधार पर ही देता है।

श्री टीकाराम पालीवाल—अभी तो आप प्रश्न कर रहे थे।

श्री चांदमल मेहता—सरकार से जानकारी हासिल करने के लिए वह प्रश्न के रूप में ही रखा जाता है।

श्री टीकाराम पालीवाल—आप सूचना दे रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं?

श्री चांदमल मेहता—प्रश्न सूचना देने के लिए ही किये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य सदन से सूचना लेते हैं, देते नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—जो सूचना सरकार के पास नहीं है वह सूचना देनी ही पड़ती है।

प्रश्न संख्या १७४१

सरवाड़ तहसील में प्रतिपाण सिंचाई की दर

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

[श्री चांदमल मेहता]

(क) क्या यह सही है कि सरवाड़ तहसील में सिंचाई चार्जेज़ प्रति पाण वसूल किया जाता है ?

(ख) क्या यह सही है कि गत वर्ष जिन जमीनों की सिंचाई नहीं हुई उनसे भी सिंचाई चार्जेज़ वसूल किये जा रहे हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि अधिकारियों ने अपनी मर्जी से कम-बेसी पाण दर्ज की है ?

(घ) क्या यह सही है कि सिंचाई के वक्त पाण दर्ज करने के लिए कोई अधिकारी मौके पर नहीं रहते ?

श्री टीकाराम पालिवाल (सिंचाई मंत्री)—(क) हां, यह सही है।

(ख) यह सही नहीं है।

(ग) यह भी सही नहीं है।

(घ) यह भी सही नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—इस सम्बन्ध में किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गई ?

श्री टीकाराम पालीवाल—विभागीय अधिकारी द्वारा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरवाड़ की जनता ने और सरवाड़ तहसील कांग्रेस कमेटी ने माननीय मंत्री महोदय के पास इस सम्बन्ध में कोई शिकायत की है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—किस प्रकार की शिकायत ?

श्री चांदमल मेहता—इस प्रकार की शिकायत कि जिन जमीनों की सिंचाई नहीं हुई उनसे भी सिंचाई के चार्जेज़ वसूल किये गये। इस प्रकार की शिकायत क्या सरवाड़ की जनता ने और सरवाड़ तहसील कांग्रेस कमेटी ने माननीय मंत्री से की है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सिंचाई के लिये यह कायदा है और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी एक खेत में पानी दिया जाता है तो दूसरे खेत से पानी काट दिया जाता है और जिस खेत में पानी काटा गया या गफलत से कट गया हो उस खेत से भी चार्जेज़ वसूल किये गये हों।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

यां कई दफा ऐसा होता है कि काश्तकारों के बीज बोने से पहले भी पानी दिया जाता है। अगर उसने बीज नहीं बोया भी हो तो भी पानी के पैसे वसूल किये जाते हैं और जब फसल पैदा नहीं होती है तो किसान कहने लग जाता है कि मुझसे फिजूल पैसे वसूल किये गये, लेकिन सरकार को अपने पास से पानी देना होता है। उसमें पैसा खर्च होता है तो वह तो वसूल किया ही जायगा।

श्री चांदमल मेहता—मौके पर पाण दर्ज करने वाले अधिकारियों के मौजूद न रहने का क्या कारण है?

श्री टीकाराम पालीवाल—पाण दर्ज करने के लिये अधिकारी मौजूद रहते हैं। लेकिन उनको एक ही जगह की पाण दर्ज करने का तो काम है नहीं और भी कई काम हैं। कई दफा किसान भी सहयोग नहीं करते हैं अपनी पाण दर्ज कराने में और कई बार अधिकारी मौके पर रहता है तो किसान मौके पर मिलता नहीं। काम ज्यादा होने की वजह से यह संभव नहीं कि एक अधिकारी एक एक किसान के घर से इस सूचना को एकत्र करता फिरे। मौके पर मिलता है तो ठीक, नहीं तो रेवेन्यू रेकर्ड के आधार पर भी पाण दर्ज कर ली जाती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या रेवेन्यू रेकर्ड में पाण दर्ज होती है?

श्री टीकाराम पालीवाल—रेवेन्यू रेकर्ड में यह दर्ज रहता है कि अमुक खेत किसका है और उसमें पाण लगी हुई है या नहीं है। अगर लगी हुई होती है तो उससे पाण दर्ज कर ली जाती है।

श्री चांदमल मेहता—जैसा कि आपने अभी फरमाया कि अधिकारियों की कमी है, तो, क्या सरकार ज्यादा अधिकारियों को नियुक्त करके जनता को न्याय तथा गलत इन्दराज होने से बचा नहीं सकती?

श्री टीकाराम पालीवाल—अगर जनता और किसान सहयोग दें तो यह काम अच्छी तरह से बिना अधिकारियों की नियुक्ति के ही हो सकता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इस बात की जांच के लिये कि सरवाड़ तहसील के किसानों को इस प्रकार गलत पाण दर्ज करने से कितनी हानि हुई है, किसी विशेष अफसर की नियुक्ति करने के लिये तैयार है?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस सम्बन्ध में सरवाड़ की जनता और वहां की तहसील कांग्रेस कमेटी की ओर से जांच कराने की मांग की गई थी?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसी कोई बड़ी गड़बड़ तो हुई नहीं, छोटी-मोटी तो होती रहती हैं। इसी हिसाब से इन पर ध्यान देते हैं।

श्री चांदमल मेहता—अफसर लिस्टें दे देते हैं और इसके बाद रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा यह कलेक्ट की जाती हैं और फिर इस सम्बन्ध में कोई शिकायत करता है तो उसको सुनने को कोई तैयार नहीं होता है, इसका क्या कारण है? क्या सरकार इस ओर देखेगी?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह प्रश्न रेवेन्यू मिनिस्टर से आपको करना चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—क्या वसूली आपका ऑफिस करता है या रेवेन्यू के अधिकारी करते हैं?

श्री टीकाराम पालीवाल—आपने कहा कि रेवेन्यू के अधिकारी करते हैं और रेवेन्यू के अधिकारी सुनते नहीं है; तो इसलिए मैंने आपको रेवेन्यू मिनिस्टर से प्रश्न करने की बात कही।

श्री चांदमल मेहता—सवाल यह है कि अगर वे करते हैं तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि हमें पता नहीं। तो आखिर कोई कहे भी तो कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है? तो इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कम से कम आप सूचना दे दें कि वे उनकी बातें सुन लिया करें।

श्री टीकाराम पालीवाल—साफ समझ में नहीं आता आपका कहने का क्या मतलब है?

श्री चांदमल मेहता—मेरा सवाल यह है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी अपनी मर्जी के माफिक दर्ज करके पटवारी को दे देते हैं और पटवारी उसी हिसाब से अन्धाधुन्ध वसूली करता है। जब पटवारी के पास जाते हैं तो वह कहता है की हम तो इतना ही वसूल करेंगे, तो ऐसी सूरत में सरकार किस व्यवस्था के बारे में सोचती है कि जिससे किसानों को शिकायत न रहे?

श्री टीकाराम पालीवाल—आखिर में क्या कहा आपने?

श्री अध्यक्ष—क्या व्यवस्था की बात सोचती है सरकार इसके लिए?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने कहा उसके लिए तरीका एक ही है कि किसान थोड़ा को-ऑपरेट करे, जिस समय दर्ज किये जाने का काम होता है उस वक्त सरकारी अधिकारियों से। ऐसा नहीं करके और फिर पांच-छः महीने बाद इसकी शिकायत की जाती है तो फिर इसकी जांच करना कठिन हो जाता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सरकार की जानकारी में है कि किसान तो हर समय को-ऑपरेट करने को तैयार है और वे कोऑपरेशन करना चाहते भी हैं, पर सिंचाई अधिकारी उनसे कोऑपरेशन लेना ना नहीं चाहते ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अब हिदायत कर दी जावेगी कि वे को-ऑपरेशन लें।

श्री अध्यक्ष—केक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७४२

ग्राम मंडरायल (करौली) के हरिजनों के लिये जल प्रबन्ध तथा अन्य सुविधायें

श्री हंसराज जटिया—क्या दलित वर्ग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि ग्राम मंडरायल, करौली यूनिट में हरिजनों के करीबन २०० घर हैं, जिनकी जन संख्या करीबन हजार आठ सौ के है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि सवर्ण लोग उनको कूओं से पानी नहीं भरने देते और वे वर्तनों को साफ करने की कुंडी में से पानी भर कर जीवन निर्वाह करते हैं ?

(ग) क्या सरकार हरिजनों का जल कष्ट दूर करने के लिये शीघ्र ही कूओं का निर्माण करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(घ) क्या यह सत्य है कि अब भी वहां के हरिजनों, खास तौर पर चमारों से, पहले की भांति बेगार ली जाती है ?

(ङ) क्या यह सत्य है कि करौली यूनिट में हरिजनों की स्त्रियों को बिछुए व अच्छे कपड़े नहीं पहिनने दिया जाता है, व उनके बच्चों को शिक्षित करना भी वर्जित है ? क्या सरकार ने इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलित वर्ग उत्थान मंत्री)—(क) इस बारे में अभी पूछताछ की जा रही है।

(ख) ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई।

(ग) नहीं, क्योंकि हरिजन किसी भी कुए पर से पानी भर सकते हैं।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(घ) नहीं।

(ङ) नहीं, आगे का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री मोटाराम।

प्रश्न संख्या १७४३

सिवाणा व पचपदरा तहसीलों में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कें, बंध व अन्य कार्य

श्री **मोटाराम चौधरी**—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की तहसीलें सिवाणा व पचपदरा में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बालोतरा से आसोतरा, किटुण, कुपावास, मेली, देवडा, राखी रेलवे स्टेशन से राखी गांव व खांडप तक की पक्की सड़कें अभी तक क्यों नहीं बनवाई गई हैं ?

(ख) यह उपरोक्त पक्की सड़क सरकार कब तक बनवा देगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ग) उपरोक्त तहसीलों में अगले पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी सड़कें, बंध व अन्य काम करवाने की योजना है ?

(घ) पंचवर्षीय योजना में राजस्थान की कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की किन किन तहसीलों में सब से ज्यादा सड़कें, बन्ध व अन्य काम कराये गये व सब से कम किन किन तहसीलों में ?

श्री **टीकाराम पालीवाल** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) बाडमेर डिस्ट्रिक्ट की तहसील सिवाना व पचपदरा में पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित काम लिये गये हैं :

(१) कल्याणपुरा से समदड़ी ग्रेवल रोड	५०,०००) रु.
(२) पचपदरा से नई तहसील तक	५०,०००) रु.
(३) पुलिस स्टेशन समदडी	६०,०००) रु.
(४) बालोतरा लोकअप में काम	३०,०००) रु.
(५) बालोतरा सैशन्स कोर्ट रेकॉर्ड रूम	१०,०००) रु.
(६) सेशन्स जज के कमरे में रद्दोबदली	३,३६०) रु.
टोटल	२०,३,३६०) रु

[श्री टीकाराम पालीवाल]

बालोतरा से आसोतरा व खण्डप तक सड़क बनाने का सुझाव अन्य महत्त्वपूर्ण व आवश्यक सड़क निर्माण कार्य के कारण पंचवर्षीय योजना में स्थान न पा सका।

(ख) उपरोक्त सड़क निर्माण के लिये अगली पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायगा।

(ग) बांध बांधने के सम्बन्ध में जानियाना व मेली बांध बांधने का प्रश्न विचाराधीन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनकर तैयार हो जाने पर विशेष सूचना दी जा सकेगी।

(घ) सिंचाई सम्बन्धी कार्य सबसे अधिक पाली तहसील में जिसमें जवाई बांध भी सम्मिलित है कराये गये, एवं सबसे कम हुरडा तहसील में। कई तहसीलों में कोई भी काम कराया ही नहीं गया।

सड़क निर्माण के सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजना बनाने में सर्वथा व्यापक दृष्टि रही है, चूंकि एक सड़क कई तहसीलों में होकर गुजरती है। ऐसी दशा में सर्वथा तहसील के हिसाब से योजना बनाना कठिन है। साधारणतया सड़क-निर्माण-योजना जिले के अनुसार बनती है। इस दृष्टि से जयपुर जिले में सबसे अधिक एवं बीकानेर जिले में सबसे कम सड़क निर्माण कार्य हुए हैं।

श्री मोटाराम चौधरी—आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है? सिवाना पचभद्रा तहसील में एक भी सड़क निर्माण का कार्य या और कोई दूसरा कार्य नहीं हुआ, इसका क्या कारण है?

श्री टीकाराम पालीवाल—सुनाई नहीं दिया, आपका क्या प्रश्न है?

श्री अध्यक्ष—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिवाना और पचभद्रा तहसीलों में एक भी काम नहीं हुआ, इसका क्या कारण है?

श्री टीकाराम पालीवाल—बाडमेर डिस्ट्रिक्ट की तहसील सिवाना व पचभद्रा में पंचवर्षीय योजना में जो काम लिये गये हैं उनकी सूची मेरे प्रश्न के उत्तर के (क) भाग में मैं बता चुका हूं। काफी विस्तार से है। इसमें करीब दो लाख रुपया खर्च करने की बात है और इस तरह आपका यह कहना सही नहीं है कि यहां पर काम दिया ही नहीं गया।

श्री मोटाराम चौधरी—आपने तो इसमें केवल यह बताया है कि ये काम होने वाले हैं। अभी तक नहीं होने का क्या कारण है? यह तो आगे होने वाले कामों की सूची है। वहां

[श्री मोटाराम चौधरी]

की जनता पिछड़ी हुई है, दस-दस कोस और पांच-पांच कोस से चलकर लोग आते हैं तब उन्हें कहीं सड़कें नजर आती हैं। तो ऐसे इलाके के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—आपने पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रश्न किया था। वह अभी तक समाप्त नहीं हुई है। अभी उसका काफी समय बाकी है। फिर वह इलाका काफी पिछड़ा हुआ है, प्रकृति की दृष्टि से भी। इसलीए वहां बांध वगैरह तो बंध नहीं सकते। यह भी एक कारण रहा जिससे वहां कोई बड़ा काम हाथ में नहीं लिया जा सका।

श्री मोटाराम चौधरी--मैंने दो साल पहले कहा था कि सिवाना पचभद्रा तहसील में पीने के पानी की कमी है। इसका काम करना चाहिये और मेली बान्ध बांधने के बारे में भी कई बार सरकार से कहा गया था पर कोई भी काम आज तक नहीं कराया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने अभी निवेदन किया कि यह अभी योजना का समय पूरा नहीं हुआ है। जो काम की सूची मैंने बताई है वह काफी अच्छी है और इससे अधिक काम कराने की वहां सम्भावना नहीं है।

ड्रिंकिंग वाटर की समस्या वहां हो सकती है जिसके बारे में प्रश्न स्वायत्त शासन मंत्री के विचाराधीन है।

श्री जवानसिंह—क्या बान्ध बनवाने का काम स्वायत्त शासन मन्त्री जी के लिए है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी नहीं, वहां बान्ध बनवाने की तो सम्भावना है ही नहीं, यह तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपने कहा और उसी का मैंने जवाब दिया।

श्री जवानसिंह—बांध के लिए बार बार वे प्रेस कर रहे हैं और आपने भी फरमाया कि मेली बान्ध बांधने का सरकार का इरादा है;तो क्या इसके लिए सरकार की ओर से बारबार आश्वासन नहीं दिया जाता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जिस आधार पर बांध-सिंचाई की योजना स्वीकार सरकार करती है और जिस हिसाब से रिटर्न की उम्मीद की जाती है उस हिसाब से रिटर्न वहां से निकलने की उम्मीद नहीं होने से वह योजना वहां ठीक नहीं बैठती।

श्री जवानसिंह—क्या जो रेगिस्तानी भाग है तो राजस्थान के उन हिस्सों के लिए सरकार ४ परसेन्ट से ऊपर लिबरल होकर वहां की जनता की सहायतार्थ यह काम नहीं करवावेगी ?

Page No.26

श्री टीकाराम पालीवाल—पंचवर्षीय योजना में जितने सिचाई के काम हो रहे हैं वह सब भारत सरकार की सहायता से हो रहे हैं। इस सरकार के पास इतने बड़े काम करने के लिए कोई रुपया नहीं है और क्योंकि वह भारत सरकार से दिये हुए ऋण और उनकी सहायता से हो रहे हैं इसलिए उनकी लगाई हुई शर्तों और उनकी सलाह से ही काम किये जा सकते हैं। भारत सरकार की ओर से यह शर्त है कि जिन कामों में साढ़े चार पर्सेन्ट रिटर्न होता है वह काम पहले लिये जायं, और जब तक ऐसे काम उपलब्ध हैं तब तक कम रिटर्न देने वाले का काम हाथ में नहीं ले सकते हैं।

श्री जवानसिंह—उन भूभागों में साढ़े चार पर्सेन्ट रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन वहां सिचाई की आवश्यकता जरूरी है तो उसको पूरा करना सरकार का फर्ज है।

श्री टीकाराम पालीवाल—सरकार केन्द्रीय सरकार से उन भू-भागों के बारे में बातचीत कर रही है, और कुछ रुपया स्कैयर्सिटी एरियाज़ के लिए रखा है जिसमें यह शर्त लागू नहीं की गई है, लेकिन वह रुपया थोड़ा है और वह रुपया वहां पर लगाया जा सकता है जहां कि उसका कोई न कोई अधिक अच्छा उपयोग हो सके। बाडमेर और रेगिस्तान के भू-भागों में जहां कि पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसमें स्पष्टरूप से समझ लेना चाहिए कि बहुत सा रुपया सिन्क कर दिया जाय, जब तक कि पानी वहां पर निकल जायगा। ऐसी आशा नहीं होने पर रुपया सिन्क नहीं किया जा सकता है।

श्री जवानसिंह—तो क्या यह समझा जाय कि जिस जगह के लिए माननीय प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है उस एरिया को स्केअर्सिटी एरिया मानने को तैयार है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(अश्रव्य)

श्री मोटाराम—बालोतरा तक की सड़क बनाने को मंत्री महोदय तैयार हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—बतला दिया है। (विराम) श्री मोहम्मद हादी।

प्रश्न संख्या १५४४

डाक नाला मंगलडा (तहसील सांचोर) को बन्धवाना

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.27

[श्री महोम्मद अब्दुल हादी]

(क) क्या यह सरकार के ध्यान में है कि तहसील सांचोर पुलिस स्टेशन मंवालडा के पास से बहने वाली सुखडी नदी में से जो डाक नाला निकला है उससे ज्यादा बरसात या नदी के आने से गांव और पुलिस स्टेशन के बह जाने का ज्यादा खतरा है ?

(ख) अगर है, तो कब तक यह नाला बंधवाया जा सकेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—हां, फिलहाल इस नाले से पुलिस थाने को कोई खतरा होने की संभावना नहीं है। इस नाले की सर्वे करा ली है और बांधने का इन्तजाम किया जा रहा है।

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—वह कब तक बनाया जायगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जल्दी से जल्दी।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न खत्म हो गये हैं। अब लेजिस्लेटिव बिजनेस लिया जाता है; श्री जवानसिंह।

राजस्थान कृषि-भू-धारण विधेयक, १९५३

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

खण्ड १०९

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं गत दिवस को क्लाज़ १०९ पर यह निवेदन कर रहा था कि हम क्लाज़ १०९ जिस प्रकार कि सिलेक्ट कमेटी ने सदन में पेश किया है और जैसा कि ओरिजिनल बिल में यह था, उसके अन्तर पर मैं यह निवेदन कर रहा था, और मेरा यह सुझाव था कि जैसा कि यह क्लाज़ ओरिजिनल बिल में था वैसा रहना आवश्यक है, क्योंकि वह ज्यादा सुविधाजनक है और काश्तकार के हित में है। मैं, माननीय अध्यक्ष, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस क्लाज़ की ओर। क्लाज़ १०९ के सब क्लाज़ (८) की कॉन्टीन्जेन्सी को अपने ध्यान में रखना है कि जहां कि काश्तकार यह कह कर अपना छुटकारा पा जायगा कि जितना उसको रेन्ट देना चाहिए उससे कम देना है और जिस प्रकार कि ऐसा करना है उससे कम या ज्यादा देना है, इस बात के एतराज को तहसीलदार उस कोर्ट में जिस कोर्ट में कि वह मामला तय हो चुकेगा उसमें भेज देगा और तहसीलदार उस चीज के लिए इन्तजार करेगा, जब कोर्ट इस मामले को तय करके फैसला देगी। उसके मुताबिक वह उस एवार्ड को पूरा कर सकेगा। उस सिलसिले में

[श्री जवानसिंह]

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी ने शायद क्लॉज़ ११० को ध्यान में रखा ही नहीं। उसमें इस बात का प्रोविज़न है कि कोई हुक्म उप खण्ड (७) क्लॉज़ १०६ के तहत में नहीं होगा, उसमें ११० के तहत में लेन्ड होल्डर को एरियर्स ऑफ रेन्ट के सिलसिले में दावा करने का अधिकार रहेगा। चूंकि यह क्लाज़ ११० में मौजूद है और सिलेक्ट कमेटी ने इसको मन्जूर किया है तो इस सूरत में इसकी यहां पर आवश्यकता नहीं है। हम मौजूदा खण्ड १०६ के उपखण्ड (८) को कायम रखें। वह मन्शा पूरी हो जाती है खण्ड ११० के जरिये से।

इसके अलावा अगर यह परेशानी महसूस होती है कि उस काश्तकार के लिए कोई मौका नहीं रहेगा, अगर उससे जरूरत से ज्यादा रेन्ट ले लिया गया है, या काश्तकार को किसी और वजह से उतना नहीं देना चाहिये था जो कि उसने दे दिया है तो उस सूरत में क्या होगा? तो मैं आप का ध्यान क्लॉज़ ६७ ई की ओर आकर्षित करूंगा। जिस क्लाज़ में यह अधिकार दिया गया है, उसमें प्रोवीजन किया है कि अगर रेन्ट जितना वाजिब है उससे ज्यादा वसूल हो जायगा तो अधिकार है कि केवल एक अर्जी पर तहसीलदार हुक्म कर देगा और जितना एक्सेस रेन्ट वसूल हुआ है वह काश्तकार को लौटा देगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा ११५ ए की ओर कि जहां अगर किसी गलत आदमी को कोई रेन्ट पे कर दिया गया हो, गलती की वजह से, तो कोर्ट को अधिकार होगा कि वह वापिस रेन्ट काश्तकार से जो लिया गया है, उसको लौटा दिया जायगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा क्लॉज़ १६५ की ओर, जहां कि इल्लीगल इजेक्शन्स हो गये हैं तो इस वजह से अधिकार दिया गया है कि जो इल्लीगल इजेक्शन्स हो गये हैं उनको वापिस रिटर्न किया जाय। उसके साथ में यह भी समावेश है कि १०० रुपये तक कम्पेन्सेशन के बतौर और काश्तकार को दिलाये जायं। तो यह तमाम सुविधायें काश्तकार को विभिन्न अंगों में इस कानून में दे रखी हैं। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि खण्ड १०६ के उपखण्ड (८) को इस वक्त कायम रखें क्योंकि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि खण्ड १०६ के उप खण्ड (८) और (६) जरूरी नहीं हैं। इन चीजों के बजाय जैसा कि खण्ड ११० रखा गया है और १०६ जैसा कि ओरीजिनल बिल में था उन क्लॉजेज़ को रखें तो उसकी मन्शा पूरी हो जाती है। अगर ऐसा नहीं करते हैं और इस वक्त जैसा कि सिलेक्ट कमेटी से मन्जूर हुआ क्लाज़ १०६ है उसको मन्जूर करते हैं तो उसके बाद क्लॉज़ ११० बिल्कुल रिडन्डेन्ट हो जाता है क्योंकि ११० में समावेश १०६ का उप खण्ड (८) और(६)का हो जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि हम इन क्लाजेज़ को पास करने से पहले यू. पी. के करेस्पोन्डिन्ग क्लॉज़ को देखेंगे तो उसमें जैसा कि ओरीजिनल बिल में है। वह हूबहू यू.पी. टेनेन्सी एक्ट की धारा भी हैं। इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं आ सकता जिस प्रकार कि हम यहां पर आशंका करते हैं और इसलिये इस क्लाज़ को जैसा ओरीजिनल बिल में है उसी प्रकार पास कर दिया जाय और उसके बाद में ११० वैसा ही रह जायगा, अन्यथा १०९ को इस तरह से अमेन्ड करने से क्लाज़ ११० बेकार रह जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि क्लॉज़ १०६ जिस प्रकार है उसी प्रकार उसको पास किया जाय।

Page No.29

श्री भैरोंसिंह (वि. सं० १६)—माननीय अध्यक्ष, क्लाज़ १०६ के विषय में निवेदन करूंगा कि मुझे इसके कुछ सिद्धान्तों से मतभेद है और मेरा यह मतभेद इस क्लाज़ के सब क्लाज़ (१) से लेकर उसकी आखिरी सब क्लाज़ तक है। माननीय अध्यक्ष, इसके उप खण्ड (१) में जो वर्डिंग्ज़ हैं उनकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। उसमें लिखा है : "On receiving such application the Tehsildar shall issue a written notice to the opposite party to attend on the date..."

और उसके बाद सिलेक्ट कमेटी के प्रॉपोजल के अनुसार ये शब्द बढ़ाये गये हैं; "which shall not be later than a week from the date of receipt of the application......"

इन दोनों के बाद फिर आगे—"and at the time and place specifed in the notice and shall depute an officer by whom such division, estimate or appraisement shall be made."

इसमें मेरा पहला मतभेद यह है कि इस उप खण्ड का कंस्ट्रक्शन गलत है। जिन शब्दों को जोडा गया है उन शब्दों के बीच में आने के कारण जो नोटिस का संबंध डेट से है उसके शब्द हैं "at the time and place specified in the notjce"; इनसे मतलब ठीक नहीं निकलता है और यह इस तरह हो गया है कि इस संबन्ध में एप्लीकेशन आयगी और डेट मुकर्रर होगी इसलिये कंस्ट्रकशन को ठीक करना आवश्यक है।

"On receiving such application the Tehsildar shall issue a written notice to the opposite party to attend on the date and at the time and place specified in the notice and shall depute an officer by whom"

इसको इस तरह रख सकते हैं, यदि इस प्रकार का प्रोविज़ो एड करदें :

"Provided that no such date shall be appointed later than a week from the date of the receipt of the application."

तो यह सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। पहला मेरा निवेदन यही है और इस कारण से इस क्लॉज़ में मेरा खास मतभेद है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इसमें अधिकार दिया गया है कि तहसीलदार किसी अफसर को अपोइन्ट करदे जो मौके पर जाकर डिविज़न, एस्टीमेट या अप्रेज़मेंट कर दे। जिसका संबन्ध इस क्लॉज़ से है कि इस प्रकार की कार्यवाही कराये, लेकिन तहसीलदार को अधिकार दिया है कि इस तरह की कार्यवाही कराने के लिये वह किसी अफसर को अपोइन्ट करें, स्वयं न जाय और यदि स्वयं जाता है तो इनसे रुकावट खड़ी होगी। चाहिये तो यह था कि तहसीलदार स्वयं जाना चाहे तो स्वयं

[श्री भैरूसिंह]

जाय और स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं समझे तो किसी दूसरे को अपोइन्ट कर दे। लेकिन दूसरे को अपोइन्ट करने का प्रोविजन रहता है तो उसके हाथ बन्ध जाते हैं कि वह स्वयं नहीं जाय। जहां दूसरे को अधिकार दिये हैं वहां तहसीलदार को भी अधिकार देना चाहिये कि यदि वह उचित समझे तो स्वयं जाकर कार्यवाही करे और स्वयं न जाय तो दूसरे सबोर्डिनेट को भेज दे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि "and shall depute an officer" की जगह "either by himself or depute an officer by whom such division, estimate or appraisement shall be made."

ये शब्द और बढ़ा दिये जांय ताकि तहसीलदार को भी स्वयं जाने का अधिकार हो सके।

दूसरी बात है सब क्लॉज़ (८) के बारे में। इस सब क्लॉज़ के बारे में सदन में कल से चर्चा चल रही है। हमने तहसीलदार को अधिकार दिया है कि काश्तकार और लैंड होल्डर के बीच में ज्यादा लगान लेने का संघर्ष चल रहा हो तो वह ऐसे उपाय करे कि जिससे किसी प्रकार का संघर्ष उनके बीच में न हो और यदि हो तो उसका क्विक डिसीज़न हो जाय। जहां तक इस क्लॉज़ के सिद्धान्त का संबन्ध है मैं उसे स्वीकार करता हूं। लेकिन जहां तहसीलदार को इसके लिये अधिकार दिया है वहां दूसरी ओर मामूली कारणों से वापिस ले लिया है। तहसीलदार मौके पर गया या उसके द्वारा नियुक्त किया हुआ अधिकारी मौके पर गया ? वहां पर यदि दरख्वास्त पेश करता है कि जो लगान लिया जा रहा है वह नावाजिब है, इतना ड्यू नहीं है; इस तरह का किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो उसको डिसाइड करने का अधिकार न तो तहसीलदार को होगा और न उसके द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारी को होगा। उनको यही कहना पड़ेगा कि कॉम्पीटेन्ट कोर्ट में जाकर इसका फैसला कराओ। यह क्विक डिसिज़न की भावना के और तहसीलदार को जो अधिकार दिया है इन दोनों के प्रतिकूल बात होगी। जहां तहसीलदार को हमने इतने अधिकार दिये हैं वहां यह भी अधिकार देना चाहिये कि वह यदि यह समझे कि वाकई में लगान ज्यादा लिया जा रहा है और इसमें झगड़ा है तो उसको निर्णय देने का अधिकार होना चाहिये। जहां हमने तहसीलदार को इतने अधिकार दिये हैं वहां उसको यह अधिकार और देने के लिये हमें लिबरल होना चाहिये। इसलिये हमें यह देखना है कि संघर्षमय वातावरण को ठीक करने के लिये जो अधिकार दिये जा रहे हैं उनके प्रयोग करने में किसी तरह की कठिनाई तो नहीं है और यदि कोई कठिनाई है तो उसको हमें दूर करना चाहिये, जो इस तरह हो सकती है :

"In case where any party objects that the rent is not based on an estimate or appraisement of the crop..."

इन चीजों को यदि इस क्लॉज़ में यों का यों रखना है तो ऑब्जेक्शन्स की सुनवाई के लिये यह कर दिया जाय: "any party objects" के बजाय "In case where the Tehsildar is satisfied that the rent is not based on an estimate or appraisement of crop"

Page No.31

[श्री भैरोंसिंह]

इसका मतलब यह होगा कि यदि तहसीलदार के सामने किसी ने ऑब्जेक्शन किया है और उसको संतोष हो गया कि जो ऑब्जेक्शन किया गया है वह वास्तविकता को लेकर किया गया है और महज इसलिये नहीं किया गया है कि डिले को जाय और लोगों को परेशान किया जाय, यदि सही हैं तो वह हिदायत करे कि कॉम्पीटेन्ट कोर्ट में जाकर फैसला करावे और यदि यह बात सही नहीं है तो उसको अधिकार होना चाहिये कि वह स्वयं निर्णय करे और उसके निर्णय के खिलाफ यदि कोई अपील करे तो कर सकता है। वैसे तो इस क्लॉज़ को रखने की भी आवश्यकता नहीं है। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट एक चीज़ पर आधारित है और वह यह कि हमें तहसीलदार को वाइड पॉवर्स नहीं देने हैं। एक बिल राजस्थान असेम्बली में पहले भी आया था। उसके उप खण्ड (७) में एक क्लॉज़ था जिसके अंतर्गत हमने तहसीलदार को अधिकार दिये हैं। उसमें ऐसी विचार-धारा नहीं थी। सरकार के सामने ऐसी बात नहीं आई कि सरकार ऐसा भेद-भाव लगाये। यह ठीक होगा कि तहसीलदार को अधिकार दिया जाय। यदि किसी को उसके निर्णय से असन्तोष हो तो वह हायर ऑथोरिटी के पास जा सकता है और आगे निर्णय करा सकता है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इसमें यह बढ़ा दिया जाय ताकि वह इस के आधार पर निर्णय कर सके।

तीसरी बात इसमें यह आई है "or that the proportion of the produce claimed by the landholder as rent is higher than is real due .."यह बड़ी ऑब्जेक्शनेबल चीज है। हमने लगान लगाने की तारीफ में यह बताया कि लगान क्या होगा और यह भी निश्चय किया कि लगान किस तरह वसूल होगा। यह भी निश्चय किया कि लगान बांटे के रूप में किस तरह लिया जायगा। इसके बाद में यह तय शुदा चीज़ है कि इसके अलावा मांग करेंगे तो वह ऑटोमेटिकली गलत चीज़ होगी। इसको रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि चौथा बांटा मुकर्रर है और वह दूसरा मांगेगा तो वह रिजेक्ट हो जायगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मेरे विचारों का समावेश यदि मंत्रीजी करेंगे तो ठीक बात होगी, नहीं तो मैं अपनी आवाज इस क्लॉज़ के खिलाफ उठाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि सदन इस पर अच्छी तरह से सोच-विचार करके निर्णय करेगा।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १०६ पर इस सदन में चर्चा चल रही है। कुछ ऑब्जेक्शन्स इस क्लॉज़ के लिये किये गये है। कुछ ऑब्जेक्शन्स ऐसे हैं जिनको मैं मानता हूं कि वे ठीक हैं और कुछ ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। साथ ही कुछ और विशेष बातें इस क्लॉज़ में हैं जिनको मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

अभी अभी श्री भैरोंसिंहजी ने इस खण्ड के एक एक उपखण्ड को लेकर बतलाया कि किस तरह उनमें चेन्जेज़ होनी चाहिये। जहां तक सब क्लाज़ (१) का सम्बन्ध हैं उनका कहना है कि इसका कन्स्ट्रक्शन ठीक नहीं है। मैं भी मानता हूं कि इसका जो कन्स्ट्रक्शन किया गया है, लेंगवेज जिस तरह का होना चाहिये उस तरह का नहीं है। मतलब जरूर निकल जाता है पर इसके

Page No.32

[श्री श्यामलाल गोयल]

शब्द बदल दिये जायं जैसा कि उन्होंने सजेस्ट किया है : प्रोवाइडेड बढ़ा दिया जाय, सिलेक्ट कमेटी ने बढ़ाया है उससे ज्यादा।

सब क्लॉज़ (३) में उनका सुझाव है कि तहसीलदार को अधिकार दिया है किसी अफसर को डेप्यूट करे, वहां एग्रेज़मेंट करके उसके पास रिपोर्ट करे। तो इस तहसीलदार के एग्रेज़मेंट किसी अफसर से कराने के स्थान पर इसमें सुझाव दिया है कि तहसीलदार खुद जाय।

मेरा निवेदन यह है कि सब क्लाज़ [७] को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि तहसील-दार के पास जिस समय ऑफिसर कन्सर्ड की रिपोर्ट आ जायगी तो फर्दर इन्क्वायरी करके वह एडीशन ऑल्टरेशन कर सकता है। सब क्लॉज़ [७] के माफिक तहसीलदार को अपीलेंट या रिवाइजिंग ऑथिरिटी रखा है तो उपधारा [३] में तहसीलदार को अख्त्यारात दे दिये जायं कि वह खुद मौके पर जाय और एग्रेज़मेंट करे, तो यह ठीक नहीं होगा। ऐसा उनका सुधार नहीं होना चाहिये। ऐसा उनका सुधार किया जाता है तो सब क्लॉज़ [७] में भी सुधार होना आवश्यक हो जाता है जिसकी कि जरूरत नहीं है।

अगर तहसीलदार को मौके पर जाकर एग्रेज़मेंट के अख्त्यारात दे दिये जाते हैं तो उस अफसर की राय, जिस अफसर को वह इन्क्वायरी के लिये भेज कर उसकी रिपोर्ट मंगवाये, खुद तहसीलदार इन्क्वारी करे तो इसमें उस अफसर की राय का फायदा तहसीलदार को नहीं मिलेगा इसलिये मेरी राय है कि इस सब क्लॉज़ को जैसा यह है वैसा ही रखा जाय।
उप खण्ड (८) में भी एतराजात किये हैं। इसमें इसके लिये:

"In case where any party objects that the rent is not hased on an estimate, etc. etc."

सुझाव दिया है कि तहसीलदार को सेटिस्फेक्शन होना चाहिये। यदि बोगस आब्जेक्शन्स किये जाय और इसके लिये किसी पार्टी को बाध्य किया जाय कि जाकर दावा करे; इसमें कोई बात ऐसी होनी चाहिये कि जब तक कोई जेन्युइन रीज़न्स नहीं हों तब तक मेरा ख्याल है कि महज इसलिये कि किसी पार्टी में ऑब्जेक्शन्स कर दिये हैं कि मैं एग्रेज़मेंट नहीं कराना चाहता, डिविजन नहीं कराना चाहता, इतने रीज़न्स पर ही उसको कोर्ट में दावा करने के लिये इजाजत देना ठीक नहीं होगा। तो इसमें यह होना चाहिये कि तहसीलदार को सेटिस्फेक्शन हो जाय।

एक ऑब्जेक्शन यह किया गया है कि इसमें शब्द जो "claimed by the landholder as rent is higher than is really due." हैं, इन वर्ड्स की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि यह शब्द रहने चाहिये। अब तक जो क्लॉज़ेज़ सदन में पास किये गये हैं उनमें हमने मेग्ज़िमम

[श्री श्यामलाल गोयल]

फिक्स कर दिया है कि एक टेनेन्ट से लैंड होल्डर कितना रेंट ले सकता है, ग्रोस प्रोड्यूस का १।६ रखा है। पर उस सूरत में जब कि १।६ से कम हिस्सा लैंड होल्डर और टिनेन्ट के बीच तय हुआ, मिसाल के तौर पर १।१२, १।१०, १।८ हिस्सा तय हुआ हो और ऐसे केस में अगर पार्टीज़ में झगड़ा हो, लैंड होल्डर कहे कि १।६ दिया जाय और टिनेन्ट कहे कि १।१० तय हुआ है, उस सूरत के लिये यह प्रोविजन किया गया है। मैं समझता हूं कि यह प्रोविजन इसके लिये जरूरी है। सिलेक्ट कमेटी ने जो सब-क्लॉज़ (८) बढ़ाया है वह जरूरी है पर इसमें यह जरूर होना चाहिये कि हमने प्रोड्यूस रेंट के लिये १।६ सीलिंग मुकर्रर किया है वह यहां इसमें आना चाहिए था :

"Subject to the provisions of section 67 (G)."

यहां इससे ज्यादा काइन्ड रेंट नहीं दिया जा सकता। एक माननीय सदस्य ने कहा कि उप खण्ड (८) को डिलीट कर दिया जाय, जिस तरह का उपखण्ड पहले था उसे ही रखा जाय। उसके लिये दलील यह दी कि जो क्लॉज़ ११० आगे का है उसमें सूट्स वगैरह का प्रोविजन है। क्लॉज़ ११० इस एक्ट में जो है इसमें उन केसेज के लिये प्रोविजन है जिनमें कि १०६ की कार्यवाही समेरी रेमिडी की है उससे असंतुष्ट हो। या तो एप्रेज़मेंट किया जा सकता है या मौजूदा क्लॉज़ ११० के तहत में कोर्ट से डिक्री करा कर एरियर्स ले सकता है। क्लॉज़ ११० उन केसेज के लिये नहीं करता जब कि १०६ के तहत में कार्यवाही हो रही हो और पार्टी को ऑब्जेक्शन हो कि इसमें एप्रेज़मेंट होना था। ऐसे पार्टीज़ के ऑब्जेक्शन हों तो तहसीलदार का क्या कर्त्तव्य है? समेरी रेमेडी प्रोवाइड करती है, इसमें एवार्ड का प्रोविजन है। आर्बीट्रेशन एक्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि किसी पार्टी को कम्पेल नहीं किया जा सकता कि तुम्हें यह आर्बीट्रेशन मानना ही पड़ेगा। अफसर जायेगा और वह किसी को एसेसी मुकर्रर करेगा। जो पार्टी मुकर्रर नहीं करे तो फिर एवार्ड दिया जायगा और तहसीलदार उसमें मोडिफिकेशन कर सकता है। मतलब यह है कि यह जो क्लॉज़ है इसमें एक आदमी चाहे या न चाहे एसेसर की राय लेकर जो फैसला दिया जाय उसको माना जाय। ऐसी लॉ की मंशा नहीं हो सकती कि कोई फैसले को मानने के लिये कम्पेल किया जाय। जो समेरी रेमेडी दी गई है उससे किसी को संतोष नहीं हो तो यह प्रोविजन होना चाहिये कि पार्टीज़ ऑब्जेक्शन करें और तहसीलदार सेटिस्फाई हो जाय तो पार्टीज़ को दावे के लिये इजाजत दे दे!

क्लॉज़ ६७ का हवाला दिया, पर मैं समझता हूं कि ६७ इस पर्टिक्युलर केस में नहीं केश रेंट से डील करता है और क्लॉज़ १०९ जो है वह काइन्ड रेंट से डील करता है। इसलिये इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है।

अब मुझे दो-चार बातें और अर्ज करनी हैं, वे भी अर्ज करता हूं।

[श्री श्यामलाल गोयल]

डिविजन, एस्टीमेट और एप्रेज़मेंट के लिये ही इस सब क्लॉज़ (२) में यह है कि अगर अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्ट करती है कि 'रेन्ट इज नोट पेएबल बाइ डिविज़न ऑफ दी प्रोड्यूस (rent is not payable by division of the prodnce) तो उसके लिए ऑफिसर एक असेसर मुकर्रर करेगा। एक असेसर खुद मुकर्रर करेगा और एक दूसरी पार्टी से मुकर्रर करावेगा और अगर दोनोंपार्टी में से जो कोई असेसर मुकर्रर नहीं करे तो वह खुद असेसर मुकर्रर करेगा। और उप खण्ड (५) में एवार्ड के लिए प्रोसेस दिया गया है। उप खण्ड (६) में डिविजन ऑफ दी प्रोड्यूस के सम्बन्ध में रूल प्रोवाइड किया गया है कि डिविजन ऑफ दी प्रोड्यूस के लिये जो एवार्ड होगा उसके लिये अगर पार्टी आपस में रजाबन्द न हो और यह कहे कि कोई रेन्ट नहीं देना है तो इसके लिये अधिकारी जावेगा और प्रोड्यूस और क्रॉप का एस्टीमेट करेगा और फिर अपना एवार्ड पेश करेगा मय अपनी रिपोर्ट के, तहसीलदार के पास। इसमें कहीं ऐसा नहीं बताया गया है कि जो एस्टीमेट वह अधिकारी तहसीलदार को देगा, तहसीलदार उसका क्या करेगा। क्या उस डिविजन ऑफ क्रोप को वह कंसीडर करेगा? क्या वह उसमें रिविजन कर सकता है, या उसको कैंसल कर सकता है? इसलिये मैं मानता हूं कि यह क्लॉज़ इनकम्पलीट है। क्लॉज़ ६ में :

"In the case of a division of the produce, if the partis agree to the manner of division proposed by the officer the division shall be made accordingly and if the parties do not agree to such manner of division, or if it is claimed that no rent is payable, such officer shall make an estimate of the value of the produce or crop and he shall then deliver his award and submit it with a report of his proceedings to the Tehsildar."

जहां यह प्रोसीजर किया गया है वहां हमको यह बताना पड़ेगा कि एस्टीमेट और एप्रेज़मेंट ऑफ क्रोप जो भी किया जावे उसकी रिपोर्ट तहसीलदार के पास की जावेगी। अगर यह नहीं रहता तो यह क्लॉज़ इन्कम्पलीट रह जाता है। इस तरह उप खण्ड (८) देखा जावे तो इसमें भी कोई प्रोविजन नहीं है।

इसलिये तो साफ तौर से प्रोवाइड कर दिया गया कि तहसीलदार मौका देखेगा, लेकिन अगर डिविजन ऑफ प्रोड्यूस का झगड़ा होने की हालत में व हासल नहीं देना है तो इसके लिये कोई उपखण्ड (८) में प्रोविजन नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह क्लॉज़ जिस हालत में है मेरे ख्याल से कम्पलीट नहीं है और सरकार का जो मकसद इस क्लॉज़ को रखने से है वह पूरा नहीं होता। इसलिये इस क्लाज़ पर पूर्ण विचार किया जाकर इसे पास किया जाना चाहिये।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १०६ के संबन्ध में कुछ माननीय मित्रों ने अमेंडमेंट और सुझाव अभी आपके सामने रखे हैं। मेरा तो इसमें यह निवेदन है कि वास्तव में क्लॉज़ १०६ जिस प्रकार से सिलेक्ट कमेटी के द्वारा छन कर आया है वह भी पर्याप्त नहीं है और

[श्री श्रीदास गोयल]

इस पर बहुत गंभीरता से फिर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि यह क्लॉज़ उस प्रोसिजर को पैदा करता है। इसमें सर्व प्रथम यह देखना पड़ेगा और बड़ी गंभीरता से देखना होगा कि वास्तव में केवल तहसीलदार को यह अधिकार रहे कि वह अपने किसी ऑफिसर को इसके लिये डेप्यूट करे जो एप्रेज़मेंट करने के लिये जावेगा या ऐसे भी केस बहुत होते हैं, बहुत बड़ी क्रोप है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन जहां उनका खुदका (तहसीलदार का) जाना जरूरी हो और संभवत: उनके जाने से पर्टीज़ किसी निर्णय पर पहुँच जावे, जैसा कि दांतारामगढ़ से आने वाले सदस्य ने कहा। क्या तहसीलदार अपने आपको इस प्रकार के मौकों से दूर रखेगा या भाग ले सकेगा ? जैसा कि अभी गंगापुर से आने वाले माननीय मित्र ने कहा कि अगर तहसीलदार मौके पर चला जाता है तो उसमें तहसीलदार को, जो ऑफिसर रिपोर्ट भेजता है, उसमें रिवाइज़िंग ऑथोरिटी तहसीलदार होता है उसमें रूकावट पड़ जाती है। लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि उप खण्ड (८) को देखते हुए तहसीलदार को कोई पॉवर्स नहीं रहते। उसके पॉवर्स निल हो जाते हैं। जब मूलभूत झगड़ा होने पर पार्टीज़ इस प्रकार का जवाब दे कि कोई लगान नहीं देना है तो सब क्लॉज़ (८) की शरण लेने के बाद में तहसीलदार को कोई पॉवर्स नहीं रहते सिवाय यह कहने के कि आप कॉम्पीटेन्ट कोर्ट में जाकर अपना हक तय कराइये, to further direct the tenant to furnish a bond to the extent of the request. अगर वह बोन्ड नहीं देता है तो क्रोप को एटेच कर लें। मैं मानता हूं कि जो बहुत से साहिबानों ने सुझाव रखे हैं, जैसे माननीय दांतारामगढ़ से आने वाले सदस्य ने रखा है वे पूरे नहीं होते और जो सुझाव माननीय गंगापुर से आने वालों ने रखे है इन दोनों के सुझावों में कहीं कहीं कॉन्ट्राडिक्शन हो जाते हैं। इसलिये इस दृष्टि से यह एक ऐसा क्लॉज़ है कि इसको बिना पूरी तरह से अमेंड किये पास करना दुरूस्त नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में मैं यह कहूंगा कि इसको पेन्डिग में रख कर दुबारा तय करें। तहसीलदार के पॉवर्स किस तरह से रखे जावें। तहसीलदार के पॉवर्स सब क्लॉज़ (८) में खत्म हो जाते हैं। जहां निगेटिव में रिपोर्ट आती है वहां कम्पीटेन्ट कोर्ट से हक हासिल कराने के सिवाय कुछ अधिकार नहीं रहता। जिस प्रकार का यह क्लॉज़ आया है वह डिफेक्टिव है और इसको दुरूस्त करना निहायत जरूरी है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल :— माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १०९ वह क्लॉज़ है जिसमें फसल काटने के पहले कोई भी काश्तकार या कोई भी लेन्ड होल्डर तहसीलदार साहब के सामने आकर दरख्वास्त पेश कर सकता है कि उसकी फसल से कायदे के मुताबिक बांटा दिलवा दिया जाय। कुछ माननीय सदस्यों ने यह ओब्जेक्शन किया है कि उप खण्ड (७) को देखते हुए तहसीलदार को ये अधिकार वाजिब नहीं हैं। इसमें तहसीलदार को सिर्फ यह अधिकार दिये गये हैं कि वह मौजूदा फसल को देखकर कितनी फसल, कितनी पैदावार पर्टिकुलर फसल में हुई है, इस बात के लिए अपना आर्बीट्रेशन दे और उसके लिए जो तरीका निर्धारित किया गया है वह यह है कि तहसीलदार अपना आदमी भेजेगा, दोनों पार्टीज़ के वह आदमियों को बुलायगा और फिर वह तय करेगा कि उस फसल में कितनी पैदावार हुई है और ११६ जो लगान माना गया है

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

उस हिसाब से कितना लगान ड्यू होता है। अगर कोई काश्तकार यह उज्र करता है कि वह लगान बाकी नहीं है या लगान नकदी से देता है या बांटे से नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार आर्बिट्रेशन देकर उसको बन्द नहीं करेगा लेकिन तहसीलदार का अवार्ड तो सिर्फ इस हद तक होगा कि इतना गल्ला उस पर्टिकुलर फसल में हुआ। उसके आगे अगर टिनेन्ट उज्र करता तो तहसीलदार प्रोपर कोर्ट के लिए तय कर देगा। इससे यहां तक तो तय हो जायगा कि उस फसल में इतना गल्ला हुआ। आगे चल कर झगड़े के वक्त में लगान नहीं दिया गया, बांटे में दिया जाता था तो उस समय तहसीलदार का जो अवार्ड है वह सामने होगा कि उस फसल में इतना गल्ला हुआ। इसलिए टिनेन्ट के यह कहने पर भी कि लगान नहीं है, नकदी में दिया जाता था, तहसीलदार के अधिकार खत्म हो जाते हैं। हम तहसीलदार को कुछ धाराओं में ऐसे पावर्स दे सकते हैं जो कि रेवेन्यु कोर्ट को दिये जा सकते हैं या जिसकी कायदे से अपील हो सकती है। तीसरे आदमी को पर्टीकुलर फसल के लिए पूछा क्या जाय ? काश्तकार और लेन्ड होल्डर में आगे चल कर झगड़े होने वाले हैं। अगर एक लेन्ड होल्डर किसान पर लगान का दावा करता है और कहता है कि पिछली फसल में इसके ४०० मन गल्ला हुआ था और उसका १.६ बांटे के हिसाब से मुझे दिलाया जाय, किन्तु टिनेन्ट कहता है कि सौ मन गल्ला ही पैदा हुआ था; इसलिए बजाय इसके कि इसको जबानी तय करने के लेन्ड होल्डर उस वक्त यह तय करा ले कि उस खेत पर कुल कितनी पैदावार हुई थी और इस हद तक वह फैसला तहसीलदार का फाइनल होगा।

यह कहा गया है कि यह सब क्लॉज़ डिफेक्टिव है, पार्टीज़ को और तहसीलदार को ये अधिकार दिये जाने चाहिए या नहीं ? एक माननीय सदस्य ने तो यह उज्र उठाया कि अगर पार्टीज़ कहती हैं कि लगान नहीं है तो तहसीलदार के अधिकार खत्म हो जाते हैं।

अब सवाल यह पैदा होता है कि तहसीलदार को प्रत्येक खेत पर मौके पर जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो यह सम्भव नहीं है। तहसीलदार रिवाइज़िंग ऑथोरिटी नहीं है, वह तो आर्बिटेटर है। यदि वह प्रत्येक खेत पर मौके पर जावेगा तो फिर वह आर्बिटेशन कैसे कर सकेगा ? वह खुद ही पार्टी हो जावेगा। वैसे प्रत्येक खेत पर मौके पर जाना उसके लिए सम्भव भी नहीं होगा।

श्री श्रीदास गोयल :— इसका यह मतलब नहीं था कि तहसीलदार हर एक खेत पर जाय। माननीय सदस्य ने जल्दी में सोचने की कोशिश नहीं की। तहसीलदार किसी ऑफिसर को डेपूट कर सकता है, तहसीलदार को इसमें जाने के अधिकार ही नहीं है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल : — तहसीलदार स्वयम् मौके पर जाय तो फिर वह आर्बिटेशन में नहीं आ सकता है। खुद ही मौके पर जाय और खुद ही जांच कर ले तो फिर

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

आर्बिट्रेशन कैसे कर सकेगा ? वह सबोर्डिनेट को भेजेगा, फिर पार्टीज़ कन्सर्न्ड को बुलायगा, फिर रिपोर्ट पेश होगी और तहसीलदार फिर अवार्ड देगा। यदि वह खुद ही मौके पर चला जावेगा तो वह भी वन आॅफ दी पार्टीज़ हो जावेगा। इसीलिए यहां खास तौर पर रखा गया है कि तहसीलदार स्वयम् मौके पर न जाय और उसके अधीनस्थ कर्मचारी जो किसी हद तक रेवेन्यु इन्स्पेक्टर से कम न हों, या किसी कर्मचारी को भेज कर खुद फैसला दे और जहां यह परिस्थिति हो तो माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि तहसीलदार के लिए यह सर्वथा अनुचित है कि वह मौके पर जाय और फिर अवार्ड दे "Not later then a week from the date of the receipt of the application."

जहां तक मेरा ख्याल है कि कोई उज्र नहीं है। यह जोड दिया जाय तो कोई आवश्यक नहीं है और गैर जरूर भी नहीं है। कोई बुरी बात नहीं है नहीं लगाये तो। इसी से मतलब साफ है। तो मैं गुजारिश करता हूं कि क्लॉज़ १०६ मौजूदा स्थिति में काफी बहस के बाद लिया गया है और इसमें किसी तरमीम की आवश्यकता नहीं है। इसको इसी स्थिति में पास कर दिया जाय।

श्री **वेदपाल त्यागी**—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १०६ पर काफी वादविवाद चल रहा है। कई तरह की विचारधाराओं को माननीय सदस्यों ने यहां पर बताया है कि इस क्लॉज़ १०९ के तहत तहसीलदार को ये अधिकार होने चाहिए, ये अधिकार नहीं दिये गये हैं और ये अधिकार दिये जा सकते हैं। मैं यह निवेदन करूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज़ है क्योंकि इस प्रकार के झगड़े ग्रामों में प्रतिदिन चला करते है। इसलिए अगर यह सिद्धान्त, जो कि इसमें माना गया है, इसी तरह से रख लिया जायगा तो लिटिगेशन, आपस में मुकदमेंबाजी लोगों में बहुत होगी। तहसीलदार को अवार्ड के पावर्स दिये गये हैं। उसका मतलब यह नहीं है कि तहसीलदार उस हद तक अवार्ड दे सकता है कि इस खेत में कितनी पैदावार हुई थी और उस हद तक उसका फैसला नातिक समझा जावेगा। ऊपर उपखण्ड(७)में यह बात आती है कि जो असेसर मुकर्रर किया जायगा या ओफिसर तहसीलदार द्वारा मुकर्रर किया जायगा और उस अवार्ड पर अगर किसी फरीक को एतराज होगा तो तहसीलदार उस अवार्ड में मोडिफिकेशन कर सकेगा। इसका मतलब यह है कि तहसीलदार खुद अवार्ड नहीं देगा, उसके द्वारा नियुक्त किये गये ऑफिसर्स या पार्टीज़ के द्वारा नियुक्त किये जावेंगे वे देंगे और तहसीलदार उनके सुनने के बाद उसको मोडिफाई कर सकेगा। ऐसी सूरत में तहसीलदार आर्बिट्रेटर नहीं है, बल्कि रेवेन्यू ऑथोरिटी है और जब रेवेन्यू कोर्ट के पास आता है तो यह नहीं कह सकते कि वे उस हद तक देखेंगे कि कितनी पैदावार हुई या नही ? 'डिविजन' वगैरह जो शब्द ऊपर आये हैं उनके सम्बन्धित अवार्ड होंगे उनको तहसीलदार करेगा।

उपखण्ड (८), सिलेक्ट कमेटी ने, नया खण्ड बढ़ाया है। जो अधिकार उपखण्ड (७) में दिये गये हैं उनको एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से इस क्लॉज़ द्वारा छीन लिया गया है। यहां यह

[श्री वेदपाल त्यागी]

कहा जाता है:"In case where any party objects that the rent is not based on an estimate or appraisement of the crop, or that no amount is to be paid, or that the proportion of produce claimed by the land-holder as rent is higher than is really due, the Tehsildar shall not decide such odjection but shall direct the parties to get their right decided by a court of competent jurisdiction;

इसका मतलब है कि सब क्लॉज (७) में जो रिविजन करने के अधिकार हैं, तब्दीली करने के अधिकार हैं उनके लिए उप खण्ड (८) में ऑब्जेक्शन कर देते है तो उस हिसाब में जो वजुहात में बताये गये है वे अधिकार नहीं रहेंगे कि अवार्ड में मोडिफिकेशन कर सके, उसको रिवाइज़ कर सके। तो यह सब क्लॉजेज़ (८) व (७) के विरुद्ध जाकर पड़ती है। जो अधिकार सब क्लॉज़ (१) से (७) तक तहसीलदार के लिए व्यक्त किये गये हैं, उसे जो अधिकार दिये गये हैं वे सब क्लॉज़ (८) द्वारा ले लिये गये हैं। इससे लोगों की दिक्कतें बढ़ जावेंगी। उसमें तहसीलदार को अधिकार दिया गया है कि अवार्ड तब्दील कर सके। ऐसी सूरत में अगर किसी को इस अवार्ड से नाराजगी है तो वह क्लॉज़ ११० की तहत नालिश दायर कर सकता है। इसलिये सब क्लॉज़ेज़ (८) और (९) के रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन हालात में यह जो बहस चल रही है कि सब क्लॉज़ (८) में इस प्रकार जोड़ दिया जाय "If the Tehsildar is satisfied" तो यह बिल्कुल रिडन्डेन्ट है। सब क्लॉज़ (८) और (९) को कोई आवश्यकता नहीं है। क्लॉज़ ११० की तहत अधिकार है वह उसके लिये नालिश कर सकता है, इसलिये सब क्लॉजेज़ (८) और (९) को निकाल दिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री भोलानाथ (राजस्व मंत्री की अनुपस्थिति मे, उप राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ पर काफी लम्बी बहस हुई है। जो क्लॉज़ अभी हमारे सामने है वह सिलेक्ट कमेटी द्वारा अमेंडेड क्लॉज़ है, इसमें कोई शक नहीं कि यहां पहले हमने यू. पी. की तरह का क्लॉज़ रखा था लेकिन जैसा कि उसका तजुर्बा रहा उससे यह जरूरी हो गया कि उसमें रद्दोबदल किया जाय। इसलिये सिलेक्ट कमेटी ने बहुत सोच समझ कर इसमें परिवर्तन किया है। अभी जो बहस हो रही है या हुई है उसमें कोई ऐसी बात नहीं बतायी गयी जिसकी वजह से इस क्लॉज़ को बदला जाय। अलबत्ता इस क्लॉज़ के ऑपरेशन में आने के बाद मामूली कठिनाइयां होंगी, यह जो बतलाया गया है ठीक है। भैरोंसिंहजी ने जो बात कही वह भाषा के रूप में मेरे सामने नहीं है, अगर स्पष्ट रूप में कुछ लिखकर देते हैं तो उसको मन्जूर किया जा सकता है। बाकी तहसीलदार के अधिकार के बारे में काफी बातचीत हुई है और वह बहस सिर्फ यह है कि तहसीलदार एक आर्बिट्रेटर की तरह है या फैसला देने वाला है, इस तरह का काफी जिक्र आया है। जहां तक इस क्लॉज़ के रखने की मन्शा है वह अवार्ड तो पंचों द्वारा आयगा, तहसीलदार तो केवल उस पर अपनी मोहर लगाने वाला है। वह डिसीजन के फोर्म में कुछ नहीं कर सकता। अगर उसके खिलाफ किसी को उज्र हो तो वह बाकायदा कोर्ट से डिक्री हासिल करके उसके डिवीजन का और दूसरी बातों का

[श्री भोलानाथ]

फैसला करें। मैं समझता हूं कि इस स्पष्टीकरण के बाद और जो स्पष्टीकरण सिलेक्ट कमेटी में हुआ इस बिना पर कोई आवश्यकता नहीं कि इस क्लॉज़ को पोस्टपोन किया जाय या डिसीजन न लिया जाय। मेरा सदन से यही निवेदन है कि इस पर हाल में डिसीजन ले लिया जाय; प्रोविज़ो की लेंग्वेज अगर आ जाती है तो उसको जोड़ा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—The Member should come prepared for these amendments.

श्री भोलानाथ—अगर कोई प्रोविज़ो रखता है तो।

श्री अध्यक्ष—"Provided that the date so specified shall not be later than a week from the date of the receipt of application.'

श्री श्रीदास गोयल—"Shall not be later than a week."

श्री अध्यक्ष—The Bill has gone through the Select Committee and sufficient time has been given to the Members. They should come prepared for all this. This House cannot be a Committee.

श्री श्रीदास गोयल—This is an amendment.

श्री अध्यक्ष—utmost you can request the Member in charge to postpone the Bill.

श्री श्रीदास गोयल—This should be added as a proviso and that should be deleted.

श्री अध्यक्ष—If the treasury benches give consent to this, I can allow.

श्री भोलानाथ--मेरे पास कोई प्रोपर फॉर्म में तो नहीं आया है इसलिये मैं मन्जूर नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०८ विधयेक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १०९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

[श्री अध्यक्ष]

clause 110. Suit for arrears of produce rent-

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११० विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

विराम

क्लॉज़ १११.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १११ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १११ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज ११२ ।

इस क्लॉज़ पर एक अमेन्डमेन्ट अभी आया है जो मैं पढ़ देता हूं The words 'three percent' be substituted for the words "one anna per rupee" in fourth and fifth line of the clause.

क्लॉज़ ११२ इस प्रकार है : "Auy instalment of rent not paid on or before the day when it falls due become an arrear on the day following the day on which it fell due and the tenant shall thereupon become liable to pay interest on the arrear at the rate of on anna per annum simple interest." बजाय इस क्लॉज के यह जुडवाना चाहते हैं "Rate of three percent per annum simple interest."

श्री भोलानाथ—माननीय अध्यक्ष, यह तो ऐसा अमेन्डमेन्ट मालूम पड़ता है जिससे बहुत कॉम्पलीकेशन्स पैदा हो सकती हैं, इसलिये मैं इसको मन्जूर करने के लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह तो तभी हो सकता है जब कि मैं इसको मूव करूं और इस पर कुछ कहूँ। शायद मेरे निवेदन के पश्चात् इसकी आवश्यकता मालूम हो।

श्री अध्यक्ष—But the Hon' ble member was on the Select Committee. He hed in possession a copy of the Bill. He could have sent this earlier and this is not very material. If it is acceptable to the treasury Benches, we can take it. (To shri Bholanath) you object to this?

श्री भोलानाथ—यह नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—It is very immaterial. If it would have been very material, I would have allowed it. So I put the clause to vote.

श्री जवान सिंह—माननीय अध्यक्ष, इस पर प्रश्न पूछने से पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। इसके लिये तो शायद कोई एतराज नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष, यह क्लॉज़ जिसको कि हम अभी पास करने जा रहे हैं, उसमें जो लगान बाकी रह जायगा, एरियर्स ऑफ रेन्ट होगा उसके सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इसकी ब्याज दर कितनी होनी चाहिये, वह रेन्ट जो कि सरकार या लेन्ड होल्डर को अदा न किया जा सके, तो उस पर क्या ब्याज की दर रखी जाय? इसके लिये हमें यह देखना चाहिये कि अब तक हमारे प्रान्त में जो जो दरें थीं अब उन्हीं के आधार पर हम दरें लगाना चाहते हैं और कितनी दर उचित होगी इस मामले को इस धारा में तय करना चाहते हैं।

इस वक्त जो दर दी गई है वह एक रुपये पर एक आना पर अनम (per annum) दी गई है। इसके बारे में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इससे पहले विभिन्न रियासतों में जिनको मिलाकर अब एक राजस्थान बना है बहुत सी जगह दरें कुछ भी नहीं थीं, उन पर किसी तरह का कोई ब्याज नहीं लिया जाता था। लेकिन इसके बजाय उस समय वसूली में किसी तरह की ढीलढाल नहीं होती थी। कभी कदास लेण्ड होल्डर का लगान बाकी रह जाता था तो उसको थोड़े अरसे में वसूल कर लिया जाता था और इसके लिए सरकारी अफसरों को काफी हिदायतें थीं कि सरकारी लगान वसूल करने में किसी प्रकार की ढील ढाल न की जावे।

तो मैं इसको मानने को तैयार हूँ कि सरकारी लगान की वसूली ठीक समय पर हो ही जानी चाहिये। आज इसकी जैसी व्यवस्था हमारे राज्य में है उससे किसी को इस बात के लिए खुशी नहीं हो सकती कि राजस्थान में आज लगान की वसूली किस प्रकार से हो रही है। लाखों रुपया इसलिए पड़ा है कि वह वक्त पर वसूल नहीं किया गया और न किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में सरकार का कानून भी ठीक प्रकार से नहीं है। पर अगर हम यहां पर ब्याज की दर को बढ़ाने के

[श्री जवानसिंह]

बजाय कानून को ज्यादा इफेक्टिव बनादें वसूल करने को तो यह ज्यादा ठीक होगा। इससे वक्त पर रुपया वसूल हो जावेगा, न बाकी बकाया रहेगा और न व्याज की और किसी चीज की जरूरत होगी। ढील वसूली की हमारी तरफ से हो और किसान को इसकी सजा भुगतनी पड़े; लगान पर व्याज की बढ़ी हुई दर से रकम देने के रूप में। तो यह तो बात कोई अच्छी बात नहीं है।

इसलिए निवेदन करूंगा कि इसे तो आप मन्जूर करें या नहीं करें, पर इस बात का जरूर ख्याल रक्खे कि आगे के क्लॉजेज़ में ऐसा प्रोविज़न अवश्य करें कि यह जो वसूली का कानून है उसे आप और अधिक इफेक्टिव बनावें बजाय इसके कि इस व्याज की दर को रक्खें या दर को अधिक बढ़ावें। तो इस तरफ आप ज्यादा ध्यान दें तो यह ठीक होगा।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—अध्यक्ष महोदय, यह जो व्याज का सवाल पैदा हुआ है क्लाज़ ११२ के बाबत इसके लिए मेरा यह निवेदन है कि भूतपूर्व कोटा रियासत में काश्तकार से व्याज नहीं लिया जाता था इसलिए मैं इसका विरोध करना चाहता हूं कि व्याज काश्तकार से लेने की नई ही चीज कायम की जा रही है। इससे काश्तकारों को बहुत नुकसान होगा और खास करके कोटा के किसानों के यह हानिकारक साबित होगा।

इसके विपरीत यह बात नहीं है कि इन्तजाम वसूली ठीक हो रही हो। इन्तजाम वसूली ठीक नहीं होने के कारण काश्तकार पर रुपया बाकी रहता है। इसमें काश्तकार की ओर से कोई गफलत या गलती नहीं है, सरकार की इसमें गफलत है। इस पर काश्तकार से व्याज लिया जाना काश्तकार के साथ सरासर अन्याय है। सरकार को चाहिये कि वह अपना वसूली का इन्तजाम ठीक करे और यह व्याज की दर इस तरह से न ली जावे।

रुपयों पर एक आना व्याज एक साल में लेने का मतलब यह है, सवा छै रुपया सालाना व्याज। यह व्याज की दर काश्तकार पर बहुत अधिक मालूम पड़ती है। सरकार आम तौर पर जो लोन देती है उस पर भी इतना व्याज नहीं लेती। फिर यह समझ में नहीं आता कि सरकार काश्तकार से इतना ज्यादा व्याज क्यों लेना चाहती है? क्या सरकार व्याज कमाने की नीति अपना रही है? मैं समझता हूं कि इस तरह के व्याज के लेने से हमारे सारे रियासत के काश्तकारों पर भारी बोझा पड़ेगा और वे इसको कतई पसन्द नहीं करेंगे। इसलिये मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस पर फिर से गौर करें और हो तो यह कि व्याज कतई न लिया जावे। पर अगर लिया ही जावे तो एक नौमिनल व्याज चाहें तो उन पर लगा दें। आशा है, इतना भारी व्याज लगाकर काश्तकारों का आप शोषण न करेंगे।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्षजी, यह जो क्लॉज़ रखा गया है इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जहां तक सूद का सवाल है वह पैदा ही नहीं होना चाहिये और जैसा मेरे माननीय पूर्व वक्ता, दो मित्रों ने फरमाया कि किसान लगान देने में ढील नहीं करता, यह तो सरकार की ढिलाई का परिणाम है कि लगान इतना बाकी रह गया है या रह जाता है, बाकी किसान बराबर लगान देने को तैयार रहता है। उसको लगान उसी वक्त देने में दिक्कत आती है जब कि या तो फेमीन हो जावे या कोई बाहर चला जावे या खेतों की हालत खराब हो जाने की वजह से या उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो जावे या ऐसा ही और कोई कारण हो जावे कि उसकी पैदावार ही नहीं हुई हो। ऐसी स्थितियों में कई बार लगान सस्पेन्शन भी सरकार को करना पड़ता है। यह मानते हुए भी कि उनसे सूद वसूल न किया जावे उसको सस्पेन्ड किया गया है, क्योंकि देने की उनकी स्थिति नहीं थी, फेमीन हो जाने के कारण या और किसी ऐसे ही कारण से। तो जब कि रेन्ट छोड़ा नहीं, सस्पेन्ड किया गया है तो सरकार ने एक हाथ से रियासत की और दूसरे हाथ से ज्यादा वसूल करने की ख्वाहिश की और वहां तो इस तरह किसी भी रेवेन्यु अधिकारी को अधिकार दिया है कि..."shall thereupon become liable to pay interest on the arrear at the rate of one anna per rupee per annum simple interest."

तो ऐसी परिस्थिति में जो माननीय मेरे दोनों मित्रों का सुझाव है कि नोमिनल रेन्ट रख लिया जावे तो यह ठीक होगा क्योंकि थोड़ासा अंकुश किसान पर भी रह जावे तो यह वाजिब माना जा सकता है। इतनी भारी दर रखना तो दर असल न्यायसंगत नहीं होगा और न वाजिब ही होगा और न यह डिज़र्विंग ही है। इसलिए यह सूद की दर जो कुछ है वह अवांछनीय है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—बहुत बहस हो चुकी साहब इस पर। आप इसे कम कर दें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—I don't want to curtail the debate.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह सही है कि इसमें कोई खास इम्पोर्टेन्स नहीं है, पर माननीय सदस्यों ने कहा कि एक तरफ लगान सस्पेन्ड करते हैं और दूसरी तरफ वसूल करते हैं। मैं उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि इस तरह के क्लॉज़ेज़ आलरेडी हैं कि जब लगान सस्पेन्ड हो जाता है तो वहां ब्याज का सवाल पैदा नहीं होगा। इसलिये आपको जो भ्रम हो रहा है उसको सिर्फ क्लियर करने के लिये यह बात मैं कह रहा हूँ। फिर जब फेमिन वगैरह ऐसी ही कैलिमिटी का अवसर आ जाता है और सरकार इस बात को ख्याल करती है कि इस स्थिति में लगान वसूल नहीं होना चाहिये तो ऐसी हालत में उसकी वसूली ही नहीं होगी। उस पर फिर ब्याज बढ़ने का और बाद में लेने का कोई सवाल बाद में पैदा नहीं होना।

लेकिन जहां आप यह कहें कि किसान का इस ब्याज की दर से कोई हित नहीं वाला है और इसलिए हटा दें तो जो वाजिब लगान है उसके देने में भी किसान यह सोचेगा

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

कि चलो व्याज नहीं लगता दो महिने बाद दे देंगे। तो ऐसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना तो गलती होगी, और फिर यह व्याज की दर भी कोई ज्यादा नहीं है। आठ आना सैकड़ा का व्याज महीने का पड़ता है, सवा छै रुपये सालाना की दर के हिसाब से। अब इसके लिए इतनी बड़ी हुज्जत की जावे कि साहब यह बहुत भारी दर है, इससे किसान परेशान हो जावेगा तो यह तो कोई ठीक चीज नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—Is this word 'Hujjat' patliamentary.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member should not address each other. He is in the possession of ths House. There is no point of order.

श्री श्रीदास गोयल—No.I.........

श्री कपिलदेव अग्रवाल— (जारी) तो मेरी गुजारिश यह है कि इसमें सवा छै रुपया सैकड़ा का व्याज जो लगा है तो इससे कोई छोटे किसान को नुकसान नहीं पड़ता है। हां, कहीं उन बड़े बड़े लोगों को जिनके पास हजारों बीघा जमीन हैं; जिसे उन्होंने अपने नाम करा रक्खी है, अपने भाई बन्धों आदि के नाम से करा रक्खी है उनको इससे जरूर नुकसान हो सकता है। तो जहां मोटी रकम और बड़ी-लम्बी-चौड़ी जमीन का सवाल है वहां इससे नुकसान होना सम्भव है, पर जिनके पास पचास-पचास, दस-दस और बीस-बीस बीघा जमीन है उनको कितनी रियायत होगी, कितना सा उनका व्याज होगा। फिर उनको यह सहूलियत रहेगी कि जहां का तहां अपना व्याज चुकाया और छुट्टी पाई। तो जिन माननीय सदस्यों ने यह सुझाव रक्खा है कि यह क्लॉज़ जनरल काश्तकार को फायदा पहुंचाने वाला नहीं है यह बात ठीक नहीं है। इससे किसान भी निश्चित रहेगा और इस थोड़े से अंकुश से किसान भी अपना लगान समय पर चुका कर निश्चित हो सकेगा। और काश्तकारों की दुहाई देना, किसान की हालत दयनीय कहना, किसान को घाटा पहुँचेगा; यह सब दिखावा है कोई तथ्य नहीं है; इसलिए व्याज की दर जो है वह सही है। वह कायम रहनी चाहिए।

श्री जवाहरसिंह—इस वहम की कोई दवा नहीं।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय मित्र कभी अपनी भाषा को बहुत शिष्टाचार पूर्ण रख लेते हैं जैसा कि 'हुज्जत' शब्द है। वह पार्लियामेन्ट्री भाषा में नहीं बोलते हैं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि अपनी हुज्जत को कायम नहीं रखते हुए 'हुज्जत' शब्द को वापिस लेंगे।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—वह "पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस" पढ़ने का प्रयत्न करें। 'हुज्जत' शब्द कभी भी अनपार्लियामेन्ट्री नहीं है।

श्री अध्यक्ष—ये मूल्यवान शब्द हैं, लेकिन जो पसन्द नहीं करते हैं उनके लिए आप उन्हें वेस्ट नहीं करेंगे।

श्री भोलानाथ—अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा विषय तो नहीं है कि जिस पर इतनी बहस की आवश्यकता थी। जहां कि ३ परसेन्ट माना और यह ६ परसेन्ट रखा तो उसूलन किसी इन्ट्रेस्ट को मानते थे। उसूलन मानने के मायने यह हैं कि शासन की दृष्टि से कोई बात सुविधाजनक हो। यदि किसी ने इस बात पर जोर दिया था तो कुछ माने जरूर थे और जो थोड़े से नहीं मानते थे उनका कहना सिर्फ यह था कि जहां सस्पेन्शन ऑफ रेन्ट हैं या छूट दे दी गई है उस पर भी रियलाइज़ेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट कर लिया जायगा। यह साफ बात है कि जहां गवर्नमेंट सस्पेन्स में डाल देती है या छूट दे देती है तो 'रियलाइज़ेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट' का प्रश्न पैदा नहीं होता है। जब रेवेन्यू नहीं लेती है तो इन्ट्रेस्ट कहां से लिया जा सकता है। इसलिए वह गलतफहमी मालूम पड़ती है। इसमें केवल यह इरादा है, इस बात का कि रेन्ट बराबर मिलता रहे तो उसका कुछ इफेक्टिव मेथड होना चाहिए था। किसान को महसूस हो कि रेन्ट वक्त पर देने से फायदा है। यह गलतफ़हमी है कि उससे किसान बरबाद होता है, वह परेशान होता है। वह डिले करता रहे तो डिले करने का यह नतीजा आने वाला है तो स्पष्टतः उसके दिमाग में यह रहे। उस देरी करने से वह समझ लेता है कि उसको यह नतीजा होने वाला है। कोई कार्यवाही अदालती हो तो उसके बजाय में सवा छै परसेन्ट पेनल्टी का जो चार्ज रखा है वह वाजिब है। वह इससे स्पष्ट रहेगा। क्लाज़ वैसा का वैसा पास किया जाना चाहिए। मैं कहूंगा कि यह उनके इन्ट्रेस्ट में रहेगा ताकि वह गफलत में न रहें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज़ेज ११३, ११४ और ११५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ११३, ११४ और ११५....

श्री भोलानाथ—११५ में एमेंडमेंट है।

श्री अध्यक्ष—११५ ए में है, ११५ में नहीं है।

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि खण्ड ११३, ११४ और ११५ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लाज़ेज़ ११३, ११४ और ११५ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ११५ ए.

श्री कपिलदेव अगरवाल—१५७ सी. भी ऐसा ही क्लॉज़ है, ११५ ए. जैसा क्लाज़ है वैसा ही १५७ सी. है। इन दोनों में से एक को ओमिट कर दिया जाय। वह गलती से कहीं आगया है। ११५ ए. और १५७ ए. और १५७ सी. दोनों एक से हैं।

श्री भोलानाथ—११५ ए को ले लिया जाय।

श्री कपिलदेव—११५ ए. के बजाय १५७ सी. फिट रहेगा। वह उस जगह बराबर है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह प्रोसीजरल क्लॉज़ है और प्रोसीजर को वहां ले डाउन किया गया है तो १५७ सी में वह फिट होता है।

श्री भोलानाथ—यह मैं ओमिट करने को कहूंगा।

श्री अध्यक्ष—तो क्या ११५ ए के एमेंडमेंट्स हैं वह १५७ सी के समझ लिये जायं।

श्री श्रीदास गोयल—मेरा ११५ ए के ओमीशन के लिए एमेंडमेंट है।

I have already moved an amendment regarding omission.

श्री अध्यक्ष—Is it the wish of the House to accept this amendment regarding omission?

(स्वीकृत)

श्री श्रीदास गोयल का एक एमेंडमेंट इस क्लॉज़ ११५ ए. के ओमिशन के बारे में स्वीकार किया गया है और इसलिए श्री जवानसिंहजी का एमेंडमेंट जो है वह लागू ही नहीं होता है ऑटोमेटिकली। इसलिये यह क्लॉज़ विधेयक से हटाया गया।

श्री जवानसिंह—वह १५७ सी में लागू हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—We can take it to that ११६ में कोई एमेंडमेंट नहीं है।

श्री भोलानाथ—हां साहब।

श्री अध्यक्ष—११६ सी. में एमेंडमेंट है श्री श्रीदास गोयल का :

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११६, ११६ ए ..

श्री श्रीभानसिंह—११६ ए के बारे में मुझे कुछ अर्ज करना है।

श्री अध्यक्ष—मैं पहले ११६ को वोट के लिए रख दूं।

प्रश्न यह है कि क्लाज़ ११६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११६ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

क्लॉज़ ११६ ए।

श्री श्रीभानसिंह—Mr. Speaker Sir, clause 116A; the heading is, "Remission for calamity by court decreeing claim for arrears." There is one very substantial omission in this clause regarding the relief to be granted to the landholder regarding the payment of land-revenue. As far as I have been able to understand, this clause deals with cases that remission will be alowed by a Court in a suit for arrears of rent where the area of the holling was decreased by diluvion or the crop was damaged by draught. hail, etc, or like calamity. Under these three circumstances the rent will be remitted. There is further mentioned that the rent of a tenant will be remitted and under the definition of tenant the landholder does not come. Moreover if we see the definition of the word 'rent' it does not include land-revenue because there is a separate definition for it. Therefore, in case when the court grants a decree or remits the rent of the tenant what would be about the landholder who pays land-revenue to the State Government. Where will that be remitted? From the scope of this section atleast I cannot conclude. If we refer again to clause 86 where remission or suspension of rent is granted in cases of famine we find that there also, while we have restricted the landholder from recovering rent during the time of remission or suspension, we have not mentioned that the remission of rent will ipso facto remit the land-revenue. Therefore the position of landholder with regard to cases of remission must be made clear.

[श्री श्री मानसिंह]

I went through the U.P. Tenancy Act also and there I found specifically that the landholder was mentioned and there is a schedule attached in the U. P. Tenancy Act which specifically mentions that in cases where relief for rent is granted to the tenant, the relief of land-revenue will also be granted. Therefore, this clause by itself only refers to a tenant while it unduly puts burden on the land holders. Therefore, I would draw the attention of the Hon' ble Minister that a provision must be provided for including this in this Bill that where remission of rent is granted to a tenant, remission of land revenue must be granted to the land-holder.

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, अभी हम जो लेजिस्लेशन पास कर रहे हैं उसमें यह बात निश्चित है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा काश्तकारों को देना है, लेकिन हमको उन्हें फायदा पहुँचाने में केवल उन्हीं का ख्याल नहीं रखना है बल्कि हमें कुछ न्याय का भी ध्यान रखना होगा और उसकी तरफ संकेत करते हुए मेरा निवेदन यह है कि लगान का जहां तक ताल्लुक है वहां लैंड होल्डर, सरकार और खातेदार टिनेन्ट्स सबसे हो सकता है। इसलिये जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का ताल्लुक काश्तकारों से है, वहां पर लैंड रेवेन्यू का रेमिशन हो सकता है, काश्तकारों के लगान का रेमिशन हो सकता है। इसका अर्थ होगा लैंड रेवेन्यू का सस्पेन्शन। खातेदार टिनेन्ट या लैंड होल्डर का गवर्नमेंट से सीधा सम्बन्ध है, लेकिन जहां सब टिनेन्ट है उसको रेमिशन मिलेगा। तब वे लैंड होल्डर को कुछ नहीं देंगे और लैंड होल्डर को लगान सरकार के खजाने में जमा कराना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में परेशानी यह होगी कि आखिर वह खातेदार टिनेन्ट या लैंड होल्डर उस जमीन का लगान सरकार को अदा करेगा जब कि सब-टिनेन्ट को रेमिशन मिलने के कारण वे उसको कुछ नहीं देंगे। उसको बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी कि वह किस तरह जमा करावे। मेरा ख्याल है कि न्याय की दृष्टि से हमें दोनों की सुविधा को देखना चाहिये। मैंने दूसरे प्रान्तों के टिनेन्सी कानून देखे हैं और जैसा कि मेरे मित्र पूर्व वक्ता ने बताया है, यू. पी. टिनेन्सी एक्ट में भी इस तरह का प्रोविजन है। उस एक्ट के क्लॉज़ १२३ के सब क्लॉज़ (२) में बताया है कि जो शिड्यूल दिया गया है उसके माफिक कमी रेन्ट में हो जायगी। यदि इस प्रकार का प्रोविजन यहां पर भी कर दिया जायगा तो लैंड रेमिशन से उस खातेदार टिनेन्ट को भी फायदा पहुँच जायगा, जो लैंड रेवेन्यू नहीं लेने से सरकार के पास भी जमा नहीं करायेगा। मैं शिड्यूल को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा।

"Relief in rent for land held shall ordinarily be given according to the following scale :-

Rent measured in annas per rupee	Scale per rupee
(1) Amounting to 8 annas but not more than 10 annas	6 annas relief.
(2) Amounting to 10 annas but not more than 12 annas	10 annas relief
(3) Amounting to exceeding 12 annas	16 annas relief

[श्री जवानसिंह]

इस प्रकार का शिड्यूल यदि हम इस क्लॉज़ के तहत जोड़ दें तो मेरा ख्याल है कि वह मंशा पूरी हो जायगी, अन्यथा हम ज्यादती उन खातेदार टिनेन्ट्स के साथ करने जा रहे हैं, जो खुद जमीन न जोतकर सब टिनेन्ट्स को दे देते हैं। इसलिये यह संशोधन करना आवश्यक है। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्रीजी केवल एक तरफ की बात को ही समने नहीं रखें लेकिन न्याय की दृष्टि को अपने सामने रखकर गंभीरता पूर्वक इस बात को सोचें और समझें। ऐसा प्रोविजन हमारे कानून में भी होना आवश्यक है, अन्यथा यह अंधेर हो जयगा और उलझनें पैदा हो जायगी, जिसका बुरा असर पड़ेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेअरमेन, जो बातें इस बारे में कही गई हैं उनमें बताया गया है कि यदि लैंड होल्डर किसी वक्त अकाल, बाढ़, टिड्डी आदि की वजह से लगान वसूल नहीं कर सकता सब-टिनेन्ट से तो सरकार उससे लगान लेना कैंसल कर दे या लगान माफ कर दे। इस चेप्टर में हम जो बात प्रोवाइड कर रहे है वह टिनेन्ट के रेन्ट के बारे में है। लैंड होल्डर और टिनेन्ट के बारे में रेन्ट का जो डिस्प्यूट है या सरकार द्वारा सीधा लगान लिया जाता है, उसके बारे में यह प्रोविजन है। यह सारा चेप्टर ही रेन्ट को डील करता है। क्लॉज़ ११६ ए. स्पेसिफिकली यह डील करता है कि जब कोर्ट एरियर्स के बारे में डिक्री देगी उस समय यह ख्याल कर लेगी कि उक्त खेती को ओलों की वजह से, टिड्डी की वजह से, रेत इकट्ठी हो जाने की वजह से या और केलेमिटीज़ की वजह से काश्तकार को पैदावार में नुकसान हुआ है तो इन सब बातों का ध्यान रखकर टिनेन्ट को कुछ रेमिशन कर सकती है। लेकिन लेन्ड रेवेन्यू माफ करना दूसरी जगह से कंसर्न रखने वाली चीज़ है। इसके लिये वास्तव में लैंड रेवेन्यू एक्ट होता है जो दूसरी जगहों पर हैं और यहां भी हम ला रहे हैं। यह चीज़ उस एक्ट में आनी चाहिये कि जनरल रेमिशन कब और किस हालत में होना चाहिये। टिनेन्सी एक्ट डिटर्मिन करता है relations between tenant and tenant and between landholder and tenant. इसमें तो स्टेट और टिनेन्ट का सवाल है। किसी वजह से खेती पर असर पड़ता है तो कोर्ट रेमिशन दिलाती है। ११ ए. की मंशा यही है। यहां पर जैसा प्रोविजन आप चाहते हैं वैसा प्रोविजन करना बेसुध होगा। लैंड होल्डर को किस तरह से रेमिशन दिया जाय यह लैंड रेवेन्यु एक्ट में प्रोवाइड किया जाय, यही ध्यान रखकर यह बिल बनाया गया है। इसलिये आप जो प्रोविजन यहां पर कराना चाहते हैं वह यहां पर मिसफिट है।

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—वास्तव में यह बात जो श्री ब्रजसुन्दरजी ने कही वह बिल्कुल ठीक है।

श्री जवानसिंह—किसी सदस्य का नाम लेने का प्रोविजन नहीं है।

श्री भोलानाथ—माननीय सदस्य चाहते हैं तो नाम नहीं लिया जायगा। यू. पी. टिनेन्सी एक्ट में रेमिशन का जिक्र किया गया है। अपने यहां जो बिल पास होने जा रहा हैं उसके

[श्री भोलानाथ]

अंतर्गत जब रूल्स प्रेसक्राइब करेंगे तब रेमिशन के बारे में ध्यान रखा जायगा और उस समय अभी आपको जो शंका है उसका रास्ता निकल जायगा। जो चीज लैंड रेवेन्यु बिल से संबन्धित है उसके लिये लैंड रेवेन्यु बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द हो गया है। जब वह बिल आपके सामने आवे या सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर इस चीज को ध्यान में रखें तो यह शंका दूर हो जायगी। इस क्लॉज़ का संबंध लगान के एरियर से है जिसको कोर्ट तय करेगा

श्री श्रीमानसिंह—मेरा मतलब यह था कि जब कोर्ट रेन्ट रेमिट करती है तो लैंड होल्डर लगान कहां से लायगा। लैंड रेवेन्यु एक्ट में जो बात लाने का जिक्र किया गया है वह तो लैंड रेवेन्यु एक्ट पास होगा तब देखा जायगा, लेकिन जब तक वह पास नहीं होता तब तक क्या किया जायगा? How will the lend-holder pay land revenue when he dose not get rent? what provision is there for this in this Act?

श्री भोलानाथ—इस मामले में पहले की बात कही गई है। शायद आप अलवर और भरतपुर के संबंध में ख्याल करते हैं। लेकिन वहां के टिनेन्ट्सी का सिस्टम ही दूसरा है। वहां सभी टिनेन्ट्स हैं और सरकार ही लैंड होल्डर है। वहां पर पीज़ेन्टरी प्रोप्राइटरी राइट्स थे। अब इस कानून के बाद ऐसा हो गया है कि टिनेन्ट्स दूसरे पैदा हो गये हैं वरना रेवेन्यु सीधा बिस्वेदार जमा कराते थे जो एक तरह के टिनेन्ट ही थे। जो रेमिशन होता था वह बिस्वेदारों को मिलता था और वे सभी टिनेन्ट्स ही थे। सब टिनेन्ट्स वहां पर पहले नहीं थे। ये सब टिनेन्ट्स नये कानून से पैदा हुए हैं जो बिल आपके सामने आगे आयगा उसमें ध्यान रखा जायगा कि रेमिशन किस तरह से मिलना चाहिये। वह इसी के मुताबिक मिलेगा। Tenant sud tenant all must be alert at the time of remissions. जिन हालतों में रेमिशन मिलने का सवाल पैदा होता है उस हालत में टिनेन्ट्स को भी होशियार होना चाहिये या बिस्वेदारों को होशियार होना चाहिये कि इस वजह से डिक्री होती है तो उनको भी एलर्ट रहना चाहिये। टिनेन्ट्स अगर रह जाते हैं तो क्यों नहीं वे पहले होशियार रहते?

श्री श्रीमानसिंह—Under what provision? Merely saying here does not mean that land-revenue will be remitted.

श्री भोलानाथ—इसी के लिये तो कह रहा हूं कि लैंड रेवेन्यु एक्ट में इसके लिये प्रोविज़न करेंगे।

श्री श्रीमानसिंह—Accepting the principle the land-holder must get remission along with the rent, why not make a provision in this Act?

श्री भोलानाथ—It will be done under the Land Revenue Act,

(श्री श्रीमानसिंह को उत्तर देते हुए)

Page No.51

श्री बृज सुन्दर शर्मा—Because he is a tenant of the State, therefore......

श्री श्रीभानसिंह—But the principle of sub-letting......

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—No talking please.

श्री श्रीभानसिंह—The Chair will permit me to say that the principle of sub-letting has been accepted in this Bill. A khatedar tenant will also sub-let and then remission can be granted to the sub-tenant. So why a Khatedar tenant himself should have to pay land revenue when the sub-tenant has been remitted the same ?

श्री जवानसिंह—माननीय चेअरमेन, यहां अभी मिनिस्टर महोदय कह गये कि रूल्स बनायें उस वक्त ध्यान रखेंगे। मैं समझता हूं कि यह तो बिल्कुल कानून को नहीं जानने की बात कही गई है।

जब तक हम इस कानून के अन्दर किसी को ऑथोरिटी नहीं देते कि इस मामले में लैंड रेवेन्यु रेमिट कर सकते हैं और फलां अधिकारी रेमिट करेगा तब तक इस प्रकार का कहना क्या अर्थ रखता है ? विशेष आदमियों को दी है, इस चीज़ को हम रूल्स के अन्दर रख सकते हैं पर हम इस कानून में किसी क्लॉज़ के तहत में यह तय नहीं करते कि कौन लैंड रेवेन्यु रेमिट करेगा। तो यह बात कही गई कि रूल्स बनाये जायंगे उस वक्त ध्यान रखेंगे, यह कहां तक ठीक है ?

श्री सभापति—No speech !

श्री जवान सिंह—मैं एक बात और कह दूं। लैंड रेवेन्यु का सवाल हो उस वक्त तय होगा। यह कानून टिनेन्सी राइट्स को गवर्न करता है। यहां यह प्रोविजन होना आवश्यक था, न कि रूल्स बनाते वक्त।

श्री सभापति—मिनिस्टर महोदय ने जवाब दे दिया है, वे आपके सुझावों को स्वीकार करना नहीं चाहते।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११६ ए विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११६ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

[श्री सभापति]

(विराम)

क्लॉज़ ११६ वीं

इस पर भी कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११६ बी विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११६ बी विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ११६ सी श्री श्रीदास गोयल।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमेन, इसमें मेरा एक बहुत साधारण संशोधन लास्ट बट वन लाइन में है।

...with the provisions of the Rajasthan Court of Wards Act, 1951" के बाद ब्रेकेट्स में यह और एड कर दिया जाय:

"(Rajasthan ACT No. XXVIII of 1951)"

This is my amendment, यह प्रोसीजरल अमेंडमेंट है।

श्री जसवंतसिंह—मुझे माननीय चेअरमेन, इस क्लॉज़ में यह निवेदन करना था कि बाद में यह जो प्रोविजो बढ़ाया गया है:

"relating to estates which are barred under the Law of Limitation."

इन शब्दों को डिलीट कर दिया जाय तो बहुतर होगा। क्योंकि जो मतलब निकलना चाहिये वह यह है कि "रियलाइजेशन ऑफ एरियर्स" न कि रियलाइजेशन ऑफ एरियर्स रिलेटिंग टू एस्टेट, सिर्फ एस्टेट के एरियर्स के लिये नहीं दूसरे एरियर्स के रियलाइजेशन के लिये भी है। यहां पर एस्टेट के साथ में रखा गया है अतः 'रिलेटिंग टू एस्टेट" को डिलीट कर दिया जाय तो इससे इसका पूरा मतलब हल होगा, अन्यथा इस समय वह भ्रमपूर्ण है।

Page No.53

श्री श्याामलाल गोयल—जो संशोधन अभी माननीय श्री जवान सिंह जी ने रखा है, उसे अगर स्वीकार किया जाय तो वह इस क्लॉज़ के मतलब को ही बिल्कुल बदल देगा।

इस क्लॉज़ को देखते है तो वह इस तरह है :

"Arrears of rent in respect of land held directly from the State Government or of other sums due to the State Government or in respect of an estate which has been attached unber any law for time in force or which has been placed under the superintendence of the Court of Wards in accordance with the provisions of the Rajasthan Court of Wards Act, 1951, may be recovered as arrears of land revenue."

तो यह जो क्लॉज़ है इस क्लॉज़ में तीन प्रोविज़न्स किये गये हैं। एक तो उन केसेज़ का जहां कि उस जमीन का रेंट ड्यू हो जो कि डाइरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट से ली गई हो और स्टेट गवर्नमेंट के और किस्म के सम्स ड्यू हों। दूसरे वह जिनमें कोर्ट ऑफ वार्ड्स में कोई ठिकाना या एस्टेट हो और तीसरे उन केसेज़ का जहां कि एटेच्ड हो, बकाया के सिलसिले में प्रीविज़ो अन्तिम दो केसेज़ के लिये एप्लाई किया है। पैसे/बकाया के सिलसिले में कवर कर रखा है अंडर दी सुप्रिन्टेन्डेन्स, कोर्ट ऑफ वर्ड्स के सुपरविजन में रख रखा हो और लॉ ऑफ लिमिटेशन्स से बार्ड नहीं हो। लॉ ऑफ लिमिटेशन्स से बार्ड हो, उस पर यह एप्लाई नहीं कर सकती।

स्टेट के एरियर्स एपार्ट हैं। एक दो साल से नहीं दे रहा हो तो उनके लिये भी लिमिटेशन लगा दें तो।

तो इस अमेंडमेंट को बहुत इन्नोसेंट बता रहे हैं, वह इन्नोसेंट नहीं, बहुत फार रीचिंग है। लॉ ऑफ लिमिटेशन से अगर कोई रिलेटिंग टू एस्टेट्स हों, यह वर्ड्स बहुत जरूरी है। इस लिये जो अमेंडमेंट दिया है वह ठीक नहीं है, उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

श्री सभापति— इनका कोई अमेंडमेंट नहीं है।

श्री श्यामलाल गोयल— अमेंडमेंट नहीं, सुझाव कहा जाय।

श्री भोला नाथ— श्री श्रीदासजी गोयल ने जो अमेंडमेंट रखा है, वह सीधा सा है इसे मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री सभापति— प्रश्न यह है कि श्री श्रीदास गोयल का जो अमेंडमेंट है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

अमेंडमेंट स्वीकार किया जाता है।

(विराम)

[श्री सभापति]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११६ सी, एज़ अमेंडेड, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११६ सी, एज़ अमेंडेड, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ११७ पर कोई अमेंडमेंट नहीं है। इसको पास करने के बाबत मत लिये जाते हैं।

श्री श्रीदाम गोयल— माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ ११७ में कुछ स्पेशल केसेज़ के लिये प्रोविजो करती है जिसमें रिकवरी ऑफ एरियर्स इन दी केस ऑफ जनरल रिफ़्यूज़ल टू पे के बारे में बताया गया है। इसमें कलेक्टर को ओथॉराइज़ किया गया है कि कुछ ऐसी पर्टिक्युलर हालतों में किसी पर्टिक्युलर एरिया के लिये गलत नोटिफिकेशन हो जावे तो वह उसकी वसूली की कार्यवाही कर सकता है। मेरा इसमें अर्ज करना यह है कि यह प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान देगा। इसका कारण यह है कि अगर कोई टिनेन्ट किन्हीं लेन्ड होल्डर्स को रेन्ट नहीं देता है तो यह सीधा तरीका है कि वह उसके खिलाफ दावा दायर करें। इस क्लॉज़ से यह तरीका तो हटा दिया गया है और डाइरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट उसको वसूल करे, यह कर दिया गया है। इसका नतीजा यह होगा कि सरकार को नुकसान होगा क्योंकि जिन लोगों को रेन्ट नहीं दिया जावेगा वे कलेक्टर से आकर प्रार्थना करेंगे और सीधा दावा नहीं करेंगे। इसके साथ साथ मुझे यह भी अर्ज करना है कि यह क्लॉज़ १०६ के खिलाफ जाती है। क्लॉज़ १०६ अभी पास किया है जो डिविजन ऑफ क्रोप, एस्टीमेंट और एप्रेज़मेंट के मुतल्लिक हैं। यह क्लॉज़ रेन्ट से डील करता है। उसमें काइन्ड और केस रेन्ट का जिक्र हैं। क्लॉज़ १०६ में हमने यह किया है कि डिस्पयूट जब टीनेन्ट करता है या कोई डिविजन ऑफ प्रोडयूस में रेन्ट नहीं देता तो यह तहसीलदार या कलेक्टर की ड्यूटी है कि वह उनको कहे कि कोम्पीटेन्ट कोर्ट में जाकर अपना हक हासिल करे और जो कोम्पीटेन्ट कोर्ट का निर्णय होगा वह मान्य होगा। इस क्लॉज़ में जब कि रेन्ट काइन्ड में दिया जाने वाला है और आपस में डिस्पयूट हो तो कलेक्टर डाइरेक्टली रेन्ट वसूल कर लेगा। इसलिये यह क्लॉज़ ११७ क्लॉज़ १०६ के विपरीत पड़ता है और आपस में कोन्ट्राडिक्टरी क्लॉज़ है। जब तक यह कोन्ट्राडिक्शन दूर नहीं किया जावे मैं तो यह निवेदन करूंगा कि इसको पास नहीं किया जाना चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा— माननीय चैयरमेन, यह जनरल कन्फ्यूजन का क्लॉज़ है। यह क्लॉज़ उस समय तो बिलकुल ठीक था जब लेन्ड होल्डर्स और टीनेन्ट के बीच झगड़े होते थे। जागीरदार जो बड़े लेन्ड होल्डर थे उनके और टीनेन्ट के बीच जब झगड़ा होता था तो लेन्ड

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

होल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिये गवर्नमेंट ने ऐसा किया था। वे कलेक्टर के जरिये गवर्नमेंट से वसूल कर सकते थे लेकिन आज यह आवश्यकता नहीं है। जबकि वक्त वक्त पर लगान की दरें सेटलमेंट हो जाने के बाद मुकर्रर हो जावे उसके बाद यह प्रश्न नहीं एराइज होता। इसके अलावा जागीरदारों के समय में जितनी बड़ी एस्टेट थी वह भी नहीं रहेगी। अब जिस प्रकार के टीनेन्ट लेन्ड होल्डर्स के होंगे वे २, ४, ५, हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। उनके खिलाफ सूट दायर हो सकता है और जैसा गंगापुर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि क्लॉज़ १०६ के यह क्लॉज़ बिल्कुल विपरीत पड़ता है और स्पेशल क्लास को फेवर करता है; क्लॉज़ १०६ में दिये हुए हैं उसके अनुसार वसूली की जा सकती है। क्लॉज़ ११७ को रहने में गवर्नमेंट को नुकसान है। इसको डिलीट किया जावे, यह बहुत खतरनाक क्लॉज़ है।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)— माननीय चैयरमेन, इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में दो माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी विचार धाराएं रखी हैं। पहले माननीय सदस्य ने जिस बात को अपना आधार बनाया वह सरकार की आमदनी इस प्रकार के सूट करने में हो सकती है। उसमें जो कमी होगी और उससे सरकार को जो नुकसान होगा वह उनकी एक बात का आधार था। मैं माननीय सदस्य की इस भावना का आदर करता हूँ कि वे सरकार के इस आमदनी के मद को बढ़ाने के लिये बहुत चिन्तित हैं, लेकिन इस प्रकार की चिन्ता व्यक्त करते समय यह सोचना पड़ेगा कि हम सरकार की आमदनी अवश्य बढ़ाते हैं लेकिन जिस कारण से आमदनी बढ़ सकती है वह कारण पब्लिक को राहत पहुंचानेवाला है या नहीं। यदि इस तरीके से पब्लिक का अहित होता है तो मैं यह कहूंगा कि न तो यह सरकार के लिये शोभाजनक है और न प्रस्ताव करने वाले माननीय सदस्य के लिये शोभाजनक है। हम चाहते हैं और बार बार कहते हैं कि राजस्थान का काश्तकार अनपढ़ है, उसमें शिक्षा के प्रसार की कमी है। शिक्षा की आप आवश्यकता महसूस करते हैं और कहते हैं कि जब तक शिक्षा का प्रसार ठीक तरह से न हो तब तक इस प्रकार का कानून न बनाया जावे जिससे वे लोग अनपढ़ होने के कारण किसी प्रकार के नुकसान में रहें।

अभी बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि जिस वक्त जागीरदारी प्रथा थी उस समय काश्तकारों के झगड़े होते थे और इसलिये लगान अलग अलग नहीं लेकर जनरल रिलीफ के कारण इकट्ठा वसूल करें। लेकिन आज वह परिस्थिति नहीं रही है। जागीरदारों से जो काश्तकारों का संबन्ध था वह आज बिल्कुल नहीं रहा और वह आज लोकल लीडरों से काश्तकारों का संबन्ध हो गया है, जो पहले जागीरदारों से था। आज जागीरदारों की जगह काश्तकारों को कांग्रेस के लोग बरगलाते हैं, कहते हैं लगान ज्यादा है, वर्षा नहीं हुई है रेमिशन तुमको मिलना आवश्यक है और सरकार को मजबूर करते हैं तो वे उनको उत्तेजना देकर उनसे इस प्रकार की मांग करने के लिये आग्रह करते हैं और सरकार का विरोध करने के लिये जिस प्रकार के प्रयत्न हो सकते हैं करते हैं, उनको मजबूर करते हैं और वे मजबूर हो जाते हैं। इसका कारण

[श्री भैरूंसिंह]

यह होता है कि जिस प्रकार से उनको राहत मिलने का रास्ता मिलता हो उसको वे करने के लिये तैयार हो जाते हैं। इससे उनको कुछ न कुछ फायदा होता है। किसानों को फायदा उन्हीं लोगों से होगा जो उनको रेमिशन करावेंगे, लगान में छूट दिलावेंगे और कमी करावेंगे। आजकल ऐसे तत्वों की कमी नहीं है। मैं यह स्पष्ट कहूँगा कि वे जागीरदार समाप्त हो गये जो काश्तकारों से लगान ज्यादा लेना चाहते थे और काश्तकार कम देना चाहते थे! लेकिन जागीरदारी समाप्ति के साथ ही आपको मालूम होगा कि कांग्रेस लीडर्स इन गरीब किसानों से सुधार के बहाने, चंदे के रूप में कुछ न कुछ वसूल करते हैं। चाहे वे इसको अपने स्वार्थ के लिये या इस नाते से ही चंदा करें। कहने का तात्पर्य यह कि उनको बहकाने वाले ज्यादा पनपे हैं और पनपने की गुन्जायश है। इस लिये मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार जो भयंकर परिस्थिति आगे आने वाली है इस चीज को तो कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। वे लोग कहते हैं कि काश्तकार पर लगान ज्यादा है, काश्तकार की हालत ठीक नहीं है, यह बात जो आज सदन में कही जाती है कि रेन्ट में रेमिशन होना चाहिये; जो बात हम सदन में देखते हैं वही बात बाहर भी है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी परिस्थिति को हमें रोकना बहुत जरूरी है। अब रहा प्रश्न यह कि जो आपत्ति होती है वह यह कि इस प्रकार की आमदनी नहीं होगी। मैं यह कहूँगा कि इससे हम एक प्रकार का कन्फयूजन पैदा कर देगें और काश्तकारों के लिये बहुत लिटिगेशन पैदा कर देंगे। इससे होगा यह कि काश्तकार रोज अदालतों में घूमता रहेगा। अपनी ८ आने की आमदनी के इन्ट्रेस्ट में पड़कर हम लोग काश्तकार के सैकड़ों रुपये बरबाद कर देंगे।

चाहिये तो हमें यह कि गवनमेंट को यदि सौ रूपये की आमद होती है और यदि लेन्ड होल्डर को सौ रूपयों का नुकसान होता है तो गवनमेंट उसको आमद न समझे। यहां जो विचार धारा दी गई है यदि आठ का नुकसान भी होता है गवनमेंट को तो वह काश्तकार और लेन्ड होल्डर्स बरदाश्त करें और गवनमेंट आठ आने की आमदनी भी न छोड़े। यह सरकार की जबरदस्त स्वाथपरता की चीज़ होगी और किसी भी प्रकार से शोभा की वस्तु उसके लिये नहीं होगी।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो मूल रूप में क्लॉज़ है उसको स्वीकार किया जाय। इससे किसी प्रकार का लिटिगेशन नहीं होगा और सरकार और काश्तकार के बीच जो संघर्षमय वातावरण होगा, यह भी एक-दो महीने में समाप्त हो जायगा और उनके सम्बन्ध कोर्डियल और परिपक्व हो जावेंगे और उनके बिगड़ने की अशंका नहीं रहेगी इसलिए आगे की परिस्थिति को सामने रख कर काश्तकारों को लिटिगेशन में न पड़ने देने के लिए इस क्लॉज़ को जिस रूप में बिल में दिया हुआ है उसी रूप में यदि स्वीकार करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय मित्र जो दांता रामगढ़ से आये हैं उन्होंने इस क्लाज़ को बदस्तूर रखने के लिये अपने विचार प्रगट किये हैं और कुछ मित्रों ने इसको डिलीट करने की प्राथना की है। मेरा भी यह मानना है कि माननीय मंत्रीजी इस पर गंभीरता से विचार करेंगे कि

[श्री श्रीदास गोयल]

वास्तव में जब भी कोई कानून चाहता है तो वह समय, समाज और परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। जागीर रिजम्पशन एक्ट पास हो गया, उसका इम्प्लीमेन्टेशन भी कुछ हद तक हो गया और बड़े-बड़े जागिरदारों ने अपनी जागीरें सौंप दीं। दांता रामगढ़ से आने वाले मित्र ने जो कुछ दलीलें दी हैं वे बहुत सही नहीं उतरती है और ऐसी स्थिति में जब कि इस चेप्टर में एरियर्स ऑफ रेन्ट्स केश में या काइन्ड में हो उनको वसूल करने के लिए दूसरा जरिया मौजूद है और वे काफी हैं आज की स्थिति में तो फिर क्लॉज़ ११७ को जिस हालत में वह है उसी हालत रखना दूसरे क्लॉज़ के विपरीत पड़ता है और साथ में रिडन्डेन्ट भी होता है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करेंगे कि क्लॉज़ ११७ को डिलीट ही क्यों न कर दिया जाय

श्री **भोलानाथ**—माननीय चेयरमैन महोदय, वास्तव में इस क्लॉज़ पर जो बहस हुई है वह काफी महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है क्योंकि परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी होता है और और इसमें कोई शक नहीं है कि कानून परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाये जाते हैं। अभी जो दृष्टिकोण सामने आया था वह एकाएक अमेन्डेड फोर्म नहीं था और न ही नास्तिक था इसलिये मैं उचित समझता हूँ कि इस पर निर्णय पोस्टपोन कर दिया जाय। बहस हो चुकी है, इसका निर्णय फिर दे दिया जाय।

श्री **सभापति**—इस पर कोई अमेंडमेंट नहीं है, फिर इस पर निर्णय पोस्टपोन करने से क्या मतलब है?

श्री **भैरोंसिंह**—आप (मंत्री महोदय) स्वयं चाहते हैं कि क्लॉज़ पास कर दिया जाय तो फिर इसको क्यों पोस्टपोन किया जाता है?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा**—जब सारा क्लॉज़ वास्तव में ठीक है तो अमेंडमेंट का सवाल ही नहीं रहता है। (श्री गोयल द्वारा अमेंडमेंट श्री सभापति महोदय को देने के पश्चात्)

श्री **भोलानाथ**—इसमें कोई खास तथ्य नहीं की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इसको पास कर दिया जाय तो कोई बुराई नहीं होगी।

श्री **श्रीदास गोयल**—I think I have moved an amendment that it should be deleted.

श्री **जवानसिंह**—माननीय चेयरमैन महोदय, क्या कोई अमेंडमेंट पेश किया गया है?

श्री **भोलानाथ**—अमेंडमेंड मुझे स्वीकार नहीं है और इस पर मैं एतराज करता हूं।

श्री **सभापति**—इस पर मत ले लिये जायं।

श्री भैरू सिंह—जब अमेंडमेंट स्वीकार नहीं है तो मूल क्लॉज़ को ही क्यों न स्वीकार कर लिया जाय।

श्री श्रीदास गोयल—अमेंडमेंट पेश किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए यदि उचित समझा जाय तो इसको आप पेन्डिंग रख सकते हैं।

श्री सभापति—मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह कोई अमेंडमेंट है या मजाक "Delete the clause......S. D. G. L."

श्री श्रीदास गोयल—मेरे दस्तखत हैं।

श्री सभापति—This is not in proper form and I cannot accept such amendments. I am sorry.

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—It should be turned down.

श्री सभापति—क्लॉज़ ११७ पास करने के बाबत मत लिये जाते हैं। प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़-११७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

चेप्टर १०, इजेक्टमेन्ट (जनरल); क्लॉज़ ११८

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ११९—इस पर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है।

श्री श्यामलाल गोयल—मुझे इस पर दो एक शब्द कहने हैं।

माननीय चेयरमेन महोदय, क्लाज़ ११९ टिनेन्सी एक्ट में जो एरियर्स ड्यू हों, वे किस तरह से सेटिस्फाइ होंगे, उसके लिए प्रोविजन है। इसके माफिक यह किया गया है कि जिस टिनेन्ट के खिलाफ एरियर्स ऑफ रेन्ट है अगर वह टिनेन्ट अपनी होल्डिंग से बेदखल कर दिया जाता है तो जितने भी एरियर्स उसके खिलाफ हैं वे तमाम सेटिस्फाइ समझे जावेंगे। यानि "and from the date of the ejectment" उसके खिलाफ कोई एरियर बाकी न रहे और साथ ही इसमें क्लाजेज़ १२०, १२१ व १२२ का भी हवाला दिया गया है, क्योंकि क्लॉजेज़ ११९, १२०, १२१ व १२२ इनमें जो सबजेक्ट्स दिए हुए हैं उनको भी उन क्लाजेज़ के साथ देखना जरूरी हो जाता है।

१२० यह है कि अगर किसी शख्स को इजेक्ट करते हैं, कोई कोर्ट ऑर्डर करता है क्योंकि उसकी तरफ एरियर हैं और जो शख्स इजेक्ट होने वाला है वह चाहता है कि किसी तरह इम्प्रूवमेंट का कम्पेन्सेशन मिले तो किसी की यह ड्यूटी होगी कि उस इम्प्रूवमेंट का कितना कम्पेन्सेशन होता है इसको निर्धारित करे। क्लाज़ १२१ इसके बाद यह कहता है कि यह कम्पेन्सेशन जो कोई इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए तय हो जाय, प्रोपर ऑथोरिटी उसको तय कर दे, उसके बाद यह देखना होगा कि जो एरियर्स ऑफ रेन्ट हैं वे एरियर्स ऑफ रेन्ट अगर उस मिलने वाले कम्पेन्सेशन से ज्यादा हैं तब तो वह सेटिस्फेक्शन समझा जावेगा, लेकिन अगर कम्पेन्सेशन की मिकदार एरियर्स आफ रेन्ट से ज्यादा है तो उस इजेक्टमेंट को इस बात पर कन्डीशनल रखा है कि जितना डिफ्रेंस उन एरियर्स ऑफ रेन्ट और कम्पेन्सेशन के बीच में है, वह कम्पेन्सेशन दिए जाने पर ही इजेक्टमेंट हो सकता है। और क्लॉज़ १२२ "Price of standing crops and trees" के मुतल्लिक जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि यह जो क्लॉज़ है वह डिस्क्रिमिनेटरी होने के नाते कोन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ जाता है।

और इसके लिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हम दो तरह के टिनेन्ट ले रहे हैं, जिन पर एरियर्स ऑफ रेन्ट है। एक तो वे टिनेन्ट हैं जिनके पास जमीन हैं और उस जमीन में उस टिनेन्ट ने इम्प्रूवमेन्ट्स कर रखे हैं या उस जमीन पर काफी दरख्त हैं या उस जमीन पर फसल खड़ी हुई है। दूसरे प्रकार के टिनेन्ट वे हैं जिनकी जमीन पर न फसल है न कोई दरख्त है और न किसी प्रकार के इम्प्रूवमेंट्स ही हैं। इन दोनों तरह के टिनेन्ट्स के लिए प्रोविजन यह किया जाता है कि कम्पेन्सेशन निर्धारित किया जायगा, लेकिन दोनों को एक ही केटेगरी में रख दिया गया है। अगर एक शख्स के पास जमीन है और उसने उसमें कोई प्रकार के इम्प्रूवमेंट्स कर रखे हैं, उसमें दरख्त भी हैं और क्रोप भी है और दूसरे के पास जिसकी जमीन में न दरख्त हैं, न किसी प्रकार के इम्प्रूवमेन्ट्स हो हैं तो उस टिनेन्ट के खिलाफ जो एरियर्स ऑफ रेन्ट है वह तमाम सेटिस्फाइड समझा जायगा उसके इजेक्टमेंट से। मान लीजिये उसकी जमीन पर शीशम के वृक्ष हैं या जमीन पर कपास की क्रॉप खड़ी हुई है, एक और तो दोनों तीनों चीजें हैं। उस शख्स को जमीन से अगर इजेक्ट किया जाता है और कम्पेसेन्शन तय कर देते हैं लेकिन उस कम्पेन्सेशन को मुजरा देना चाहता है उस एरियर्स ऑफ रेन्ट में; तो यह नहीं होना

[श्री श्यामलाल गोयल]

चाहिये। आप इस प्रकार का एक्ट बनाइये कि इजेक्टमेंट के वक्त टिनेन्ट पर जितना भी एरियर्स ऑफ रेन्ट हो वह तमाम सेटिस्फाइड समझा जायगा, लेकिन अगर किसी जमीन पर कोई इम्प्रूवमेंट्स ट्रीज़ या क्रॉप हैं तो उसके लिये पूरा कम्पेन्सेशन देना होगा। तब तो यह संविधान के खिलाफ नहीं जाता, डिस्क्रीमिनेटरी नहीं रहता; एक के साथ इतनी रियायत करना चाहते हैं, उसके एरियर्स ऑफ रेन्ट को सेटिसफाइड मानते हैं और दूसरे के साथ इतनी सख्ती करना चाहते हैं कि उसके कम्पेन्सेशन में से उस एरियर्स ऑफ रेन्ट को मुजरा देना चाहते हैं तो यह बिल्कुल अन्याय है। इन क्लॉजेज़ को पास करने के लिए यह जरूरी है कि यह जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है और यह जो संविधान के भी खिलाफ जाता है यह टीनेन्ट्स के आपस में डिस्क्रिमिनेशन करता है। इसलिये उन क्लॉजेज़ पर फुली कन्सीडरेशन न कर लिया जाय तब तक इन क्लॉजेज़ को पास नहीं किया जाना चाहिये। यह क्लॉजेज़ जिसके अन्तर्गत कम्पेन्सेशन से मुजरे दिये जाने का सवाल है। यह संविधान के खिलाफ़ है। हो सकता है कि आगे चल कर इसको अलट्रावायर्स करार दे दिया जावे। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस क्लॉज़ ११६ को पास करते वक्त इन बातों पर ध्यान दिया जाना निहायत जरूरी है।

श्री श्रीभानसिंह—जैसा कि अभी माननीय मित्र द्वारा सुझाव आया है इस क्लॉज़ को पोस्टपोन कर दिया जाय और इस पर एडवोकेट जनरल आदि की राय ले ली जाय। तब तक इसको पोस्टपोन कर दिया जाय तो ठीक रहेगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय चेयरमेन, जो आपत्ति इस क्लॉज़ के बाबत गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाई है वह मेरे ख्याल से सही नहीं है। इस चेप्टर में काश्तकार किस तरह से बेदखल हो सकता है इस सब्जेक्ट को डील किया गया है और यह माना गया है कि अगर किसी काश्तकार के पास लगान देने को नहीं है और उसके ऊपर लगान की डिक्री हो गई हो तो उसको बेदखल किया जायगा। कोई भी काश्तकार हो, चाहे उसने इम्प्रूवमेंट्स कर रखे हों, चाहे न किये हों और चाहे उसकी फसल खड़ी हो या न हो, चाहे उसमें पेड़ लगे हुए हों या न लगे हुए हों; प्रत्येक काश्तकार के खिलाफ एरियर्स ऑफ रेन्ट की डिक्री हो गई है तो उसके एक्ज़ीक्यूशन में उसको बेदखल किया जावगा। सिर्फ फर्क यह रखा गया है कि अगर किसी काश्तकार के पास, बेदखल हुए काश्तकार के पास उसके इम्प्रूवमेंट्स की, उसके फसल की कीमत, उसके पेड़ों की कीमत जितनी उसके एरियर्स ऑफ रेन्ट से ज्यादा है उस स्थिति में उसको बेदखल नहीं किया जायगा क्योंकि बेदखल रखने का मुख्य उद्देश्य है, जो टिनेन्सी बिल बनाया गया है और जिसके लिये काफी बहस हुई है इस बिल का मुख्य उद्देश्य है कि जहां तक हो सके कोई भी काश्तकार बेदखल नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में अगर किसी काश्तकार द्वारा कूवा बनवाया हुआ है या उसके आम के पेड़ हैं और वह किसी वजह से लगान नहीं दे सका हो और ऐसे पेड़ों की कीमत जो एरियर्स ऑफ रेन्ट है उससे ज्यादा है तो उसको यह सहूलियत दी गई है कि उन पेड़ों को नीलाम कर दिया जाय और उसको बेदखल न किया जाय। ऐसी स्थिति में काश्तकार और काश्तकार के बीच किसी प्रकार का फर्क नहीं रखा गया

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

है चाहे रुपये की डिक्री हो या पेड़ों की नीलामी, दोनों एक ही चीज़ है; पैसे दिये जांय या उसके एवज में चीजें दी जाय। उस एरियर्स ऑफ रेन्ट को उन पेड़ों की कीमत के रूप में अदा किया जा सकता है। यह एक न्यायोचित बात है। आपको कम्पेन्सेशन के लफ्ज़ से घबराना नहीं चाहिये। यहां तो कम्पेनसेशन का प्रश्न ही नहीं। एरियर्स ऑफ रेन्ट का एक किस्म का पेमेन्ट है, वह कीमत के रूप में लिया जायगा। मेरे ख्याल से यह जो प्रोविजन है बिल्कुल वाजिब है और विधान के किसी भी अनुच्छेद की अवहेलना नहीं करता है। आप जो यह ख्याल करते हैं कि दो किस्म के काश्तकार क्रिएट करते हैं जिसमें से एक के साथ फेवरेबल ट्रीटमेंट किया जायगा और दूसरे के साथ नहीं; मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति नहीं है, दोनों के साथ ट्रीटमेन्ट एक सा है। जो कन्डीशन लगाई गई है उससे सारे के सारे काश्तकार सेटिसफाइड इसलिये समझे जायेंगे कि कोई भी काश्तकार अपने जमीन से बेदखल होना पसन्द नहीं करेगा, सिर्फ बेदखल न होने देने के लिये ही यह प्रोवीजन है। जो लगान देने में असमर्थ है उसके बाद भी उस पर लगान कायम रहे, इसलिये एरियर्स ऑफ रेन्ट वाजिब है क्योंकि इसके बाद उसके पास देने को कुछ बचता नहीं, ऐसी स्थिति में यह प्रोवीजन है कि जब वह इजेक्ट किया जायगा तो जितना भी एरियर्स ऑफ रेन्ट है उससे उसको सेटिसफाइड समझा जायगा। यह न्यायोचित है। दूसरा काश्तकार जिसके पास पैसा है उससे वह ले लिया जायगा, इससे उसमें और दूसरे काश्तकार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वैधानिक आपत्ति श्यामलालजी की तरफ से उठाई गई है, वह सही नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो क्लॉजेज़ हैं सिद्धांत से गलत हैं और इन क्लॉजेज़ का कोई जस्टिफिकेशन नहीं रह जाता है, बल्कि ये इकतरफा और एक ही तरफ से सोची गई हैं, ऐसा लगता है। जहां तक काश्तकार के इन्ट्रेस्ट का सवाल है उसे महफूज रखना चाहिये; सेफगार्ड उसको करना चाहिये लेकिन इतना सेफगार्ड भी नहीं हो जाना चाहिये कि जो इस तरह की टेन्डेन्सी या बद्यान्ती उसके दिमाग में पैदा करे। यह चीज मुमकिन से बाहर नहीं है कि काश्तकार में यह धारणा, इस तरह की टेन्डेन्सी ये धाराएं पैदा करें कि वे एरियर रखें और तीन साल का एरियर रखें और वे यह समझें कि चलो इजेक्टमेन्ट के अलावा तो दूसरी चीज नहीं हो सकती और इस नीयत से काश्त से फायदा उठावे। तीन साल तक और इसके बाद अपनी जमीन से बेदखल हो जावे, तो इससे फिर लैंड होल्डर को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वह किसी को लैंड काश्त के लिये दे या नहीं दे। तो इसलिये यह तो नहीं होना चाहिये कि उनके साथ बिल्कुल बेदर्दी से कोई कानून बना दिया जावे या वे लैन्ड होल्डर्स, जो गवर्नमेंट को लैन्ड रेवेन्यू देंगे उनके पास कोई रेन्ट देने को न रहे।

लेकिन यह भी कहा जा सकता है और सोचने की गुंजाइश भी है कि अच्छे साल हों या बुरा साल हो, 'अच्छे साल' से यहां मतलब उस साल से है जिसमें कि काश्त में अच्छा फायदा हुआ हो और अच्छी फसल रही हो; उसमें बहरहाल एरियर्स रहने का कोई सवाल नहीं क्योंकि कॉस्ट ऑफ

[श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा]

कल्टीवेशन में वे सारी चीजें आ जाती हैं, जो खर्चे से सम्बन्धित रहती हैं और इसमें रेन्ट भी शामिल हो जाता है और जब प्रोफिटेबल ईयर रहा तो इस साल का एरियर तो किसी सूरत में माफ होने का सवाल नहीं था किसी तरह से डिक्रीड हो या विदाउट डिक्रीड रहे। दूसरे साल का मतलब यह है कि अगर कोई उस साल में कहतसाली हो तो उसमें एक खास ऐलान करके या दूसरे जरिये से उसके लिए किसी तरह रेमेडी करने की बात रह जाती है। इसलिये भी इन सिद्धान्तों से यह चीज गलत रह जाती है कि एरियर्स दोनों साल का रहा या पांच साल का रहा या तीन या चार साल का रहा और डिक्रीड या अनडिक्रीड रह जावे, या पेड़ अप रह जावे।

इसके अलावा दूसरी बात देखने की यह हो जाती है कि उन जमीनों पर जिन लोगों के इम्प्रूवमेन्ट्स है उनके लिये तो पेड अप मान लिया जावेगा, पर जिनके इम्प्रूवमेंट्स नहीं हैं उनको ऐसे ही छोड़ा जावेगा। यानि वहां जहां जिनके कोई इम्प्रूवमेंट स हैं वहां तो मुजरा हो जाता है किसी हिसाब में। जिनके इम्प्रूवमेंट्स ऑफ लैन्डस हैं उनको एरियर मिलेगा। दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि एरियर उनको मिलेगा जिनके इम्प्रूवमेंट्स नहीं हैं उनको एरियर नहीं मिलेगा। तो ये दोनों चीजें एक साथ चलाने में गलती रह जाती है। इसलिये मैं कहता हूँ कि इस क्लॉज़ ११६ को तो डिलीट कर दिया जावे और बाकी क्लॉजेज को अमेन्ड करके दुरुस्त कर देना चाहिये।

श्री श्रीदास गोयल—यह जो अभी क्लॉज़ ११६ को डिलीट करने के सिलसिले में मेरे मित्र दौसा सब डिविजन से आनेवाले ने अपने विचार प्रगट किये हैं, मैं उस सिलसिले में यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी काश्तकार को इजेक्ट करने का अधिकार उसी वक्त होता है जब दर-असल काश्तकार बहुतही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का शिकार हो जावे और यह एक ऐसा कारण है जब वह लगान न दे सके; तभी एरीयर्स ऑफ रेन्ट में वह बेदखल किया जा सकता है। नहीं तो ऐसा कोई व्यवित नहीं कि जो दूध देने वाली गाय को लात मारे। जब कोई जमीन किसी व्यक्ति को अपना मेंटीनेन्स करने के लिए मिली है तो वह उसे क्यों छोड़ेगा? तो जो क्लॉज़ ११६ है उसमें उस परिस्थिति का ध्यान रखते हुए एक आदमी अपनी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति के कारण से बेदखल किया जा रहा है और उसके खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है तो जब वह इस जमीन से महरूम हो रहा है तो इसके बाद अगर ऐसे एरियर को, जो वह दे नहीं पाया है, मोहताज हो गया है तो उस गरीब पर एक डिक्री और कर दी जावेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि वह जमीन से भी गया और डिक्री के प्रोवीजन में पैसा अदा न करने की सूरत में सिविल जेल का शिकार और हुआ। तो क्लॉज़ ११६ बहुत इक्विटेबल है और सही रूप से दयनीय हालत में इन्साफ करने के बराबर है। ऐसी हालत में यह बदस्तूर रहना चाहिये और जैसा मेरे माननीय मित्र गंगापुर से आने वालों ने कहा कि यह अल्ट्रावायर्स न हो तो इसको दुबारा सोचें और गंभीरता से सोचें, तो वे पावेंगे कि ऐसी बात नहीं होगी।

इसके बाद एक कुआ खोद लिया जमीन पर, पर बाद में पैसा नहीं रहा देने को। दूसरी और कम्पेन्सेशन देने के लिए अमाउन्ट बढ़ जाता है तो एरियर ऑफ रेन्ट तो मुजरा हो

[श्री श्रीदास गोयल]

जावेगा और जो कुछ उस पर रुपया लगाया है उसमें से कम्पेन्सेशन तो लिया गया है। उसके बाद जो रुपया और बच जाता है वह बकाया रुपया तो मिलना चाहिये उसे। तो ऐसी स्थिति में जो नीम के थाने से आने वाले मित्र ने कहा है, वह राय दुरुस्त मालूम होती है और ऐसी हालत में ये क्लॉज़ेज जहां के तहां बदस्तूर कायम रहने चाहिये।

श्री भैरू सिंह—तो इसको क्या आप पेन्डिंग में रख रहे हैं ?

श्री भोलानाथ—नहीं, पास करना है।

श्री भैरू सिंह (वि. सं. १६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो विचारधाराएं हमारे सामने आईं। एक यह कि इसको डिलीट कर दिया जावे और दूसरी यह कि जिस प्रकार की यह क्लॉज़ है, उसको उसी रूप में स्वीकार किया जावे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि गम्भीरता से सारी परिस्थिति को अगर देखा जावे तो वजन उस पलड़े में मिलेगा, जो पलड़ा इस आवाज को बुलन्द करता है कि इसको डिलीट कर दिया जावे।

यदि हम सारी चीज़ की वास्तविकता को देखें तो यह हमें मालूम हो जावेगा कि इस प्रकार के क्लॉज़ रखने से किस प्रकार की मनोवृत्ति को हम जाग्रत कर रहे हैं। अव्वल तो जो भी हम कानून बनावें उसके बारे में यह कभी भी महसूस नहीं करना चाहिये कि इस कानून की अवहेलना भी हो सकेगी। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण यदि सिद्धान्त रूप में नहीं, लेकिन व्यवहारिक रूप में इस चीज को मानकर चलें कि जो कुछ भी कानून बनेगा वह आज-कल के वातावरण कारण लोगों की अवहेलना का शिकार भी होगा, तो हमें इस प्रकार के नियम बनाने की आवश्यकता पड़ती है।

जहां तक इस काश्तकार बिल का सम्बन्ध है, काश्तकार से हमें व्यवहारिकता के नाते नियम बनाने का सुझाव आवें तो गम्भीरता से सोच कर, सही रूप में स्वीकार करें तो इस प्रकार का सिद्धान्त सरकार के लिए घातक हो सकता है। एक परिस्थिति यह आ सकती है कि काश्तकार के दिमाग में आज की चकबन्दी के कारण, जिस प्रकार की आज की मार्केट रेट है उसके कारण और आज के तीन साल बाद में जिस प्रकार की रेट्स के आधार पर कमी-बेशी हो रही है उसके कारण एक अलग प्रकार की विषम परिस्थिति बन जावे।

हमने इस बात की कई बार चर्चा की है कि रेंट्स के सम्बन्ध में सरकार की जो बीस साला लगान निश्चित करने की नीति है उसमें भारतवर्ष में जो मार्केट रेट्स हैं, उनमें उथल-पुथल हो जाने के कारण निश्चित दर नहीं हो सकती, जिससे काश्तकार को सन्तोष हो सकता हो।

[श्री भैरूंसिंह]

आज परिस्थिति यह भी हो सकती है कि आज की चकबन्दी के कारण किसान लगान न दे सके और तीन साल के बाद में इस अन्डरस्टेन्डिंग से सोचे कि तीन साल के बाद में क्या होगा; अगर हमने लगान न दिया तो ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि हमारा इजेक्टमेंट होगा। तो काश्तकार भी इस रेवेन्यु रेट्स के कारण से, अन्य किसी परिस्थिति के कारण नहीं, यह नीयत कर ले कि हम यह तीन साल तक तो काश्त करें और जो भी फायदा उठा सकते हैं उठावें, रेन्ट दें नहीं और इसके बाद जो भी रेन्ट ड्यू होता है आइन्दा हमारे इजेक्टमेंट पर वह भी सेटिस्फाई हो जावेगा, तो उसके सामने इस प्रकार की मेंटेलिटी जाग्रत होने की बात आवेगी कि किसी प्रकार का लगान न दें हम, उसके पास अधिक से अधिक इजेक्ट करने का अधिकार है और हम इजेक्ट हो जावेंगे। इस प्रकार की भावना होगी तो बहुत से काश्तकार इजेक्ट होंगे और फिर काफी जमीनें खाली रहेंगीं और फिर लैंड होल्डर्स जो स्वयं खेती नहीं करते हैं उन्हें किसी को तो जमीन काश्त पर देनी होगी। वह एक किसान से कहेगा कि तुम्हें बेदखल किया और दूसरे से कहेगा कि तुम इसमें काश्त करो। तो इस तरह से हम इस मनोवृत्ति को जन्म दे रहे हैं, इसको एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं।

मेरे माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य ने कहा कि लगान पर इन्ट्रेस्ट कम होना चाहिये। उस वक्त माननीय मित्र ने यह फरमाया था कि इस प्रकार की मनोवृत्ति को जाग्रत करना है कि यदि हमें लगान नहीं लगेगा तो इन्ट्रेस्ट देंगे; उसे लिबरल कर दिया तो काश्तकार पर कोई बोझा नहीं रहेगा और काश्तकार लगान अदा न करने की मनोवृत्ति में अपने आपको न फंसाले इसलिये मेरा निवेदन है कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय। हम यदि किसी बाजार में जायं और वहां पर किसी किरायेदार की हालत पूछें कि यदि कोई किरायेदार मालिक को किराया नहीं देता है तो उसका क्या होगा। मालिक दर्खास्त करेगा कि उस किरायेदार को मकान से बाहर निकाला जाय, क्योंकि वह किराया नहीं देता है। किराया नहीं देने की वजह से उसको मकान से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका जो २ या ४ साल का किराये का एरियर है, वह उसको मकान खाली करने की हालत में नहीं देना पड़ेगा। यदि उसको एरियर नहीं देना पड़े तो मकान खाली करने से भी उसको क्या नुकसान हुआ। मान लीजिये कि कोई आदमी ३ साल के लिये किसी के मकान में किराये रहा और तीन साल में कुछ भी किराया नहीं दिया और इस बीच में उसने अपना खुद का मकान बना लिया और जब मकान से बाहर निकलना पड़ा तो उसको कुछ नहीं देना पड़ा, तो इसमें इसका क्या नुकसान हुआ? लेकिन जब उसके लिये यह सजा तजवीज हो सकती हो कि किराया नहीं देने की हालत में मकान छोड़ना पड़ेगा और साथ ही एरियर पूरा जमा कराना पड़ेगा तो एरियर नहीं बढ़ेगा और समय पर किराया जमा होता रहेगा। इसी तरह से यदि किसानों के रेन्ट का एरियर है और वह जमीन छोड़ने के बाद उनको कुछ नहीं देना पड़े तो मैं समझता हूं, कि यह एक प्रकार का उन लोगों के साथ अन्याय होगा जिनकी कि जमीन है। इस प्रकार का

Page No.65

[श्री भैरूंसिंह]

अन्याय आज चाहे जागीरदार और काश्तकार के बीच में नहीं है, लेकिन हमने जो कानून बनाया है उसमें यदि इस प्रकार का क्लॉज़ रख दिया गया, तो एक प्रकार का संघर्ष होगा और कांम्पलीकेशन्स बढ़ायेगा और वे कांम्पलीकेशन्स सारे के सारे इस प्रकार का वातावरण बना देंगे, खातेदार और काश्तकार के बीच में खाई खड़ी कर देंगे। जो कुछ क्लॉजेज़ हम इस में बना रहे हैं वे क्लॉसेज़ आगे जाकर आपस में संघर्ष पैदा करेंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमें कानून बनाना है और उस मनोवृति को कुचलना है जो काश्तकारों को यह कहे कि लगान नहीं देना है। लगान नहीं देने पर सजा नहीं मिलेगी तो कोई काश्तकार लगान देना पसन्द नहीं करेगा। यदि काश्तकार के दुर्भाग्य से ऐसी केलेमिटीज़ आ जाती हैं जिस की वजह से उनको काफी नुकसान हो जाय तो ऐसी परिस्थिति में जब केलेमिटीज़ आती हैं तो सरकार ने प्रोविजन रखा है कि यदि अकाल होगा तो उसको लगान में छूट दी जायगी, टिड्डी नुकसान करेगी तो उसको छूट दी जायगी और दूसरी तरह की केलेमिटीज़ होगी तो भी उनको छूट मिलेगी; तो फिर ऐसी कौनसी बात बनी रहती है जिसके कारण काश्तकार लगान नहीं जमा करा सकते। हमें एक सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहिये चाहे उससे किसी को हानि हो या फायदा जो कानून हम बनाते हैं उसकी पूर्ति अवश्य होनी चाहिये। इसमें लिबरल रहना सिद्धान्तों के प्रतिकूल बात होगी। जो कानून हम बनाना चाहते हैं उस में टालमटोल करने और लोगों को उसकी अवहेलना करने का मौका नहीं देना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दें ताकि इससे कांम्पलीकेशन न हों और सब टिनेन्ट्स लगान बराबर देते रहें, उसमें कोई धोखा नहीं हो। इसलिये मैं फिर निवेदन करूंगा कि इस सब क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस मनोवृत्ति का, जिसका कि प्रतिपादन अभी हुआ है, थोड़ा बहुत संकेत हमें जिस समय परिभाषा पेश की गई थी उसी वक्त मिल गया था और बार बार हमें विश्वास होता जा रहा है कि यह सरकार जब कि ट्रेसपासर्स को भी खातेदारी हक देना चाहती है, तो आगे चल कर इस बारे में जो कुछ उल्टा सीधा न हो जाय, वही कम है। यह मनोवृत्ति हम इस क्लाज़ में भी देखते हैं। माननीय उपाध्यक्ष, एक सदस्य ने इतनी दयनीय दशा में देश के उन आदमियों की हालत का बयान किया जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है और जो लगान देने के काबिल नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि उनका विवरण और निवेदन करने का तरीका इतना दयनीय था कि वास्तव में किसानों की हालत वैसी ही हो तो हरेक को दया आजायेगी और उस सूरत में उनका इस बात का बयान करना ठीक है, लेकिन हमको उनके द्वारा वर्णित दयनीय दशा के साथ साथ वास्तविकता की ओर भी ध्यान देना है और इस बात का ख्याल रखना है कि वास्तव में किसानों को दो-तीन साल का लगान न देने से, छूट देने से परेशानी कम हो जायगी ? हमें इस बात का भी ख्याल रखना है, कि जब कि हम हर हालत में किसानों को मदद देते हैं, जैसे अकाल पड़ता है तो हम उसको मदद देते हैं, कोई फसल पैदा नहीं होती है तो हम उनको मदद देते हैं, टिड्डी खा जाती है या पाला पड़ जाता है तो हम उनको मदद देते हैं, तो फिर मेरी समझ में यह

[श्री जवानसिंह]

नहीं आया कि क्या आपत्ति हो सकती है कि काश्तकारों से लगान वसूल न कर सकें ? काश्तकार जानबूझ कर लगान सरकार को या लैंड होल्डर को अदा न कर सके उस सूरत में भी मेरे उधर बैठने वाले मित्र दलील देते हैं कि उनको उस वक्त भी फायदा दिया जाय और काश्तकारों पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं डाली जाय। ऐसी हालत में यह साफ कहूंगा कि उनकी दलील केवल उन लोगों की सहायता करती है जो कानून की अवहेलना करते हैं और वे उन लोगों को वाजिब लगान न देने में सहायता कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की मंशा इस सदन की कदापि नहीं हो सकती। हम एक जमीन किसी को लगान पर देते हैं तो आशा करते हैं कि वह आदमी हमको लगान देगा। हमको यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि काश्तकार बाकायदा फसल तैयार करके फायदा उठाते हुए भी सरकार को या लैंड होल्डर को लगान नहीं दे। यह मंशा न तो सरकार की ही है और न इस सदन की ही हो सकती है, तो फिर क्या कारण है कि जो जमीन से फायदा उठावे और कह दे कि मेरे पास लगान देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह जानबूझ कर सरकार को या लैंड होल्डर को लगान न देकर नुकसान पहुंचाना चाहता है, ऐसे लोगों को अनुचित सहायता देना उचित बात नहीं होगी।

इसके अलावा एक बात और है। हमने क्लाज ३७ पास किया है, जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्लाज के अनुसार हमने विडोज, माइनर्स, डिसएब्ल्ड पर्सन्स आदि को सब लेटिंग के अधिकार दिए हैं। उनको ऐसे अधिकार दिए हैं कि वे अपनी जमीन किसी खास समय के लिए सब लेट कर सकते हैं। उन लोगों के गुजारे का एक मात्र आधार लगान ही है। अगर वे किसान जिनको उन लोगों की जमीन सब लेट की गई है किसी तरह से लगान देने को तैयार न हों या दो तीन साल के लिए काश्तकार लगान न देने के लिए जिम्मेदार रहते हैं तो इस सूरत में उन माइनर्स, विडोज़ आदि की क्या हालत होगी ? उनको कर्जा लेकर अपना गुजारा करना पड़ेगा और तीन साल बाद जब कर्जा बढ़ जायगा तो कर्जा चुकाने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं रहेगा। इन सारी परिस्थितियों को हमें ध्यान में रखना चाहिये। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सदन को इसे गंभीरता से सोचना है, कि आया सबटिनेन्ट्स को इस प्रकार की रियायत देकर और इस तरह का कानून पास करके हम उन आदमियों पर ज्यादती नहीं कर रहे हैं जो जमीन के मालिक हैं और जो ज्यादती करते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उन आदमियों को राहत नहीं देनी चाहिये जो कानून की अवहेलना करते हैं और जमीन से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं और इसलिए लगान नहीं देना चाहते हैं और लगान को खुद अपने काम में लाकर फायदा खुद उठाना चाहते हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस क्लॉज को डिलीट करें वरना आप जितना फायदा कानून की अवहेलना करने वालों का करना चाहते हैं उतना ही नुकसान आप उन माइनर्स, विडोज़ आदि का करेंगे जिनका कि एक मात्र सहारा सब लेटिंग से प्राप्त होने वाला लगान है।

श्री सोहन लाल भटनागर—माननीय उपाध्यक्ष, इस बिल के पास होने के बाद और इसके एक्ट रूप से फोर्स में आने के बाद प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स ऑर्डिनेन्स अपने आप रिपील

[श्री सोहनलाल भटनागर]

हो जाता है । इस ऑर्डिनेन्स के तहत कोई भी काश्तकार बेदखल नहीं हो सकता, लेकिन इस बिल के एक्ट बन कर फोर्स में आने के बाद इसके जरिये हम लैंड होल्डर को ऐसा हक दे रहे हैं कि जो बहुत ही बड़ी रियायत है । यह क्लॉज़ एरियर्स ऑफ रेंट पूरा नहीं देने पर किसी भी काश्तकार को लैंड होल्डर द्वारा बेदखल किये जाने का हक दे रही है । एरियर्स ऑफ रेंट उसी काश्तकार के रहेंगे, जो कि बिलकुल गरीब है, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है । तभी उसमें रेंट के एरियर्स बकाया रहेंगे । ऐसी सूरत में एरियर्स ऑफ रेंट को इजेक्टमेंट के बाद भी रख दिया जाय तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है । जैसे हमने पहले धारा पास की उसमें स्पष्ट है कि एरियर्स ऑफ रेंट एरेस्ट करने और इजेक्टमेंट करने के बाद भी बकाया रखे जायं तो इससे कोई चीज का फर्क नहीं हो सकता, एरियर्स ऑफ रेंट बकाया रखे जायं तो भी इससे लैंड होल्डर को कुछ नहीं मिलने वाला है । ऐसी सूरत में ऐसे रिडन्डेन्ट क्लॉज़ को रखने से 'क्या मतलब होगा ? लैंड होल्डर को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उसकी आजीविका का सबसे बड़ा साधन भूमि है, उस भूमि का कब्जा उसको वापिस मिलेगा और उसे इस तरह की बहुत बड़ी चीज प्राप्त होने के बाद वह चीज एक गौण चीज रहेगी । ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण सब टिनेन्ट या टिनेन्ट जो छूठा बांटा भी नहीं दे सकेगा और भूमि से विरक्त, बेदखल होगा तो फिर वह उस भूमि के पास न रहने की सूरत में एरियर्स ऑफ रेंट कहां से देगा ? मैं समझता हूं कि मेरे कथन के बाद वे सन्तुष्ट होंगे ।

श्री ईश्वरी सिंह—मैं जठा तांई समझियो हूं के पहली तो कानून हो १२ साल को, के बारह साल काश्त करे तो काश्तकार समझियो जावे, बाद में ६ साल को बणियो और उणरे ६ साल के बाद ३ साल को बणयो । अब इयान को कानून बण गयो के जीं काश्तकार की फसल खेत में मौजूद लाध जावे, गिरदावर ने जी की काश्त खेत माथे मौजूद लाध जावे वो ही काश्तकार समझियो जावे । मारी समझ में नहीं आई के इयां की पाबन्दी कियां लगाई जावे है । कोई काश्तकार बीमार हो जाय, कोई काश्तकार की औरत मर जाय या और कोई दूसरो बिलो पड़ जाय तो वो बेचारो कठा सूं लगान चुका सके है । जठा तांई गरज रे, बंठां तांई तो काश्तकार के और बीं के बीच में लड़ाई नहीं होवे और इयां की पाबन्दी नहीं लगाई जाय तो भी वो वीं सूं कोनी लड़े क्योंके वो देखे के लगान तो ओ इयां भी कोनी दे रयो है । तो इयां को कानून बणाणे की जरूरत है के 'काश्तकार १०० साल तांणी काश्त करे तो भी वीने निकाल नहीं सके ।

ज्यादा काश्तकार की कीडी की खाल काढ र कीं करण की जरूरत नहीं ।

श्री भोलानाथ—माननीय उपाध्यक्ष,....

श्री श्यामलाल गोयल—The quorum is not complete. The minimum is 16, and therefore the House should be adjourned.

श्री श्रीदास गोयल—The Members in the lobbies can make their presence in the House. They must come here.

(गण पूर्ति घण्टी एवं गण पूर्ण होने के पश्चात् भी)

श्री हिम्मतसिंह अटरू—Otherwise the House must adjourn.

श्री भोलानाथ—उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ पर दो खास एतराजात हैं। एक तो यह है कि किसानों की, यदि इस क्लॉज़ को रखा गया तो, यह आदत पड़ जायगी कि मामूली तौर से पट्टा कर दिया या छूट कर दी तो फिर वे रेंट अदा नहीं करेंगे और यह बहुत बुरी आदत होगी। इसलिये यह क्लॉज़ रख कर उनको एन्करेज नहीं करना चाहिये। इसके बाबत यह मेरा कहना है कि इस कानून का १२३ वां क्लॉज़ आता है। उसमें कहा गया है कि अधिक से अधिक दो साल के एरियर्स बाकी रहते हैं तो तहसीलदार या लैंड होल्डर उसको नोटिस दे देगा। दस-बारह बीघा का ज्यादा से ज्यादा दो साल का लगान २०) रूपये होता है। केवल २०) रुपये के लिये कोई भी काश्तकार उस जमीन से बेदखल होना उचित नहीं समझेगा, इस रकम की कोई कीमत नहीं होती है। तीन साल से अधिक हो जायगा तो नोटिस नहीं दे सकेगा। अगर २० साल के लिये गफलत में पड़ा रहता है और काश्तकार के पास एरियर्स रहने देता है तो वह नोटिस नहीं दे सकेगा। तो इस तरह दोनों को सतर्क रखने के लिये यह क्लॉज़ है। इसलिये यह दलील काम नहीं देती कि इससे काश्तकारों की बुरी आदत पड़ जायगी।

वास्तव में जो टिनेन्ट रखा जाता है वह सरकार का या लैंड होल्डर का काम कर देता है वह किन्हीं परिस्थितियों में इजेक्टमेंट जैसी बड़ी चीज़ को मंजूर कर लेता है तो इसके लिये कोई नाराजगी प्रकट नहीं करनी चाहिये।

श्री जवानसिंह—कोई जान-बूझ कर नहीं देना चाहता, उसके लिये क्या होगा ?

श्री भोलानाथ—उसके लिये नोटिस दिया जायगा। "Issue of notice for payment of arrears and for ejectment in default."

तो जब डिफॉल्ट देखता है तो काश्तकार को नोटिस दिया जाय। नोटिस दिये जाने की सूरत में या तो वह एरियर्स ऑफ रेंट अदा करेगा या उसका इजेक्टमेंट होगा। तो फिर ऐसी सूरत में उसके पास एरियर्स ज्यादा बाकी नहीं रहेंगे और एरियर्स ज्यादा बाकी नहीं रहेंगे, तो डिफॉल्टर बनने की नौबत ही नहीं आयेगी।

श्री गोपीलाल यादव—Who will pay the Government Revenue ?

गवर्नमेंट की जो रेवेन्यु है वह कौन पे (pay) करेगा ? एक आदमी लगान नहीं देता है तो उसके इजेक्टमेंट की डिक्री हो जाती है, वह पे नहीं करेगा तो खातेदार खुद पे करेगा और अगर

[श्री गोपीलाल यादव]

खातेदार भी मना कर देता है, तो क्या उस डिफॉल्टर को वापिस जमीन दे दी जायगी ? उस जमीन के मालिक ने तो छोड़ दिया, पर गवर्नमेंट को कौन देगा ?

श्री भोलानाथ—क्लॉज़ १२३ में लिखा हुआ है कि :

"Whenever rent due from a tenant is in arrear for two years or for longer period, the Tehsildar may, suo moto in case of land held directly form the state Government and on the application of the landholder in other cases, issue a notice to such tenant calling upon him within thirty days of the notice to pay the amount of the arrear or to appear and admit or contest the same." तो इस हालत में जो कार्यवाही करने की है, इसमें अपने इन्ट्रेस्ट को सेफ गार्ड करने की जरूरत है। हमें लोगों की ऐसी आदत नहीं डालनी चाहिये कि वे लोग लगान नहीं दें, जिससे कि सारे काम खत्म हो जावें और लोगों से तो आप कम्पेन्सेशन वसूल कर लेंगे जिनके पास कुछ मिलकियत है, लेकिन गरीब आदमियों के पास कुछ नहीं देने को है, उनसे आप किस तरह से वसूल करेंगे। अगर उसको आप एडजस्ट करते हैं तो उस हालत में यह डिस्क्रीमिनेटरी ट्रीटमेंट हो जाता है। जिनके पास कुछ देने को नहीं है उन्हें आप भले ही माफ कर सकते हैं लेकिन जिसके पास देने को हैं और वे नहीं देना चाहते तो उनके साथ कैसे किया जावे ? मैं यह कहूंगा कि इसको पास कर दिया जावें।

श्री भैंरूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मुझे इस संबन्ध में कुछ एक्सप्लेन करना है, यदि आप इजाजत दें तो।

श्री उपाध्यक्ष-अब कोई समय नहीं रहा है। Once you have said, say what you have to say.

श्री भैंरूसिंह (१६)—इसमें अहम गलती रह गई है।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—पहले आपको कहना चाहिये था।

श्री भैंरूसिंह—अहम गलत फहमी रह जाती है उसके लिये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। (घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—कहिये ?

श्री भैरूसिंह (१६)—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ के पास करने से एक बहुत जबर्दस्त कोम्पलीकेशन किसानों को हो जावेगा। किसानों को हमने सब-लेटिंग का अधिकार दिया है और सब-लेटिंग के सिद्धान्त को स्वीकार किया हैं। सब-लेटिंग के सिद्धान्त को स्वीकार करने के बाद टिनेन्ट को यह अधिकार हो जाता है कि वह उस जमीन को किसी को लेट करे। यदि उसने किसी को जमीन सब-लेट तीन वर्ष के लिए कर दी और वह शख्स उसको तीन वर्ष तक लगान नहीं देता है, वह समझता है कि तीन साल के बाद तो उसको बेदखल होना ही है, तो इस धारा के सिद्धान्त के अनुसार इजेक्टमेंट के साथ साथ सब एरियर्स भी खतम हो जावेंगे। तीन वर्ष उसने लगान नहीं दिया। यदि हम उसको इस कानून के अनुसार इजेक्ट करा देते हैं तो ३ साल का सारा एरियर सब लेट का चला जावेगा। यदि इस तरह से होगा तो कोई भी व्यक्ति लगान नहीं देगा। जब सब टिनेन्ट, टिनेन्ट को लगान नहीं देगा तो टिनेन्ट टिनेन्ट इन चीफ को लगान नहीं देगा और वह सरकार को लगान नहीं दे सकेगा। इस तरह से सरकार को नुकसान होगा। इस तरह से कॉम्पलीकेशन्स होते रहेंगे। इसलिये में यह कहूंगा कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है। इसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए।

श्री गोपीलाल यादव—यह एक महत्वपूर्ण क्लॉज है, इसको पोस्टपोन किया ही जाना चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, यह समझ लें कि किसी व्यक्ति ने दो साल के लिये खेत लिया..........

श्री मानसिंह महार—Is it the reply or explanation ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—When a matter is under discussion every member has a right to participate it.

श्री मानसिंह—After the reply of the Minister nothing could be discussed. I would request the chair to put it to vote.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—With the permission of the chair and with the permission of the Minister, I am saying

श्री गोपीलाल यादव—It must be permitted.

श्री उपाध्यक्ष—पोस्टपोन कराना चाहते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—दो साल के लिये लिया। उसने उस मालिक को दो साल का लगान नहीं दिया। आप इजेक्टमेंट का सूट लाकर उसको छुड़ाते हैं। दो साल के लिये सब लेट है। वह समझता है कि उसको दो साल के बाद तो यो हीं जमीन छोडना है, उसका इजेक्टमेंट तो होने वाला ही है। यदि ऐसी हालत में लगान बकाया रह गया तो इस क्लॉज़ के अनुसार ऐसा समझा जावेगा कि वह सारा का सारा लगान पेड-अप हो गया, जब उससे वह जमीन छुडाई जावेगी वह लगान देना नही चाहेगा। तो इससे बहुत उलझन होगी। इस लगान के नुकशान को कौन उठावेगा ? यह कोम्पलीकेशन एराइज़ होगा।

Page No.71

श्री गोपीलाल यादव—अगर यह क्लॉज खातेदार टिनेन्ट के लिये ही एप्लाई किया जावे तो मैं समझता हूं कि कोई नुकसान नहीं है।

श्री भोलानाथ—पोस्ट पोन कर दिया जावे।

श्री हिम्मतसिंह—मंत्री महोदय ने भी इसको पोस्टपोन करने की बात स्वीकार कर ली है और यह क्लॉज़ भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिये मैं तो यह प्रार्थना करूंगा कि इस महत्वपूर्ण क्लॉज पर डिस्कशन फिलहाल मुल्तवी रखा जावे और इस क्लॉज को १२३ और १२४ के बाद ले लिया जावे।

श्री गोपीलाल यादव—यह सारा का सारा चेप्टर ही मुल्तवी कर दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—इसको मुल्तवी करते हैं। क्लॉज़ १२० पर श्री कपिलदेव की तरफ से संशोधन है। वे अपना संशोधन मूव करें।

श्री हिम्मतसिंह—मेरी समझ में यह पूरा का पूरा चेप्टर ही मुल्तवी कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष (श्री कपिलदेव को संबोधित करते हुए)— Do you want to move ?

क्लाज़ ११९ ए

श्री कपिलदेव—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा अमेंडमेंट यह है कि ११६ ए नया क्लॉज़ कायम किया जावे और ११६ के बाद जोड़ा जावे। इसके शब्द ये हैं :

"119 A. Decree for arrears, how executed.—No decree for arrears of rent shall be executed against a tenant otherwise than in the manner provided by section 127."

क्लॉज़ १२७ में पहले ही दिया हुआ है कि एरियर ऑफ रेन्ट की डिक्री कैसे एग्ज़ीक्यूट होगी। इस क्लॉज़ में मैंने यह बतलाया है कि सिवाय इस दफा के किसी दूसरे तरीके से एक्ज़ीक्युशन ऑफ एरियर्स ऑफ रेन्ट वसूल नहीं होने चाहिये। क्लॉज़ १२७ पहले से मौजूद है। ११६ (ए) से सिर्फ यह मतलब है कि इस क्लॉज़ के अलावा किसी तरह से डिक्री नहीं होगी। यह मेरा एक फोर्मल एमेंडमेंट है। मैं समझता हूँ माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, अब इसके साथ साथ यह स्पष्ट करना और भी आवश्यक हो गया है कि क्लॉज़ १२७ के अलावा कौन कौन से तरीके हैं जिसके लिए क्लॉज़ ११६ (ए) को रखने की आवश्यकता हुई है?

Page No.72

श्री कपिलदेव अग्रवाल—एग्जिक्युशन ऑफ डिक्री किसी भी तरह से हो सकती है, सी. पी. सी. के जरिये से भी हो सकती है। इसलिये मैंने यह रेस्ट्रिक्शन रखा है कि जब यहां पर क्लॉज़ १२७ मौजूद है तो फिर किसी दूसरे तरीकों से एग्जिक्युशन ऑफ डिक्री फौर एरियर्स की क्या जरूरत है ?

श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, यह एक नया क्लॉज़ कायम किया जा रहा है जो बिल्कुल गैर जरूरी है। इसकी कोई जरूरत यों नहीं रह जाती कि जब इसमें एग्जिक्युशन का तरीका दे रखा है और कानून में प्रोविजन पहले से ही है तो इसके अलावा दूसरा कोई तरीका इस बिल में नहीं है। जब कोई दूसरा तरीका इस बिल में नहीं है तो अपने आप इसके लिये क्लॉज़ १२७ ही रह जाता है, दूसरा कोई तरीका नहीं रहता। मूवर ने यह फरमाया कि बहुत से तरीके एग्जिक्युशन के हो सकते हैं। हो सकते हैं और भी एग्जिक्युशन के तरीके, लेकिन जब स्पेशल प्रोविजन यहां इस बिल में रखा गया है तो फिर जनरल लॉ एप्लीकेबल नहीं रह जाता। इसलिये जब एग्जिक्युशन का तरीका पहले से ही क्लॉज़ १२७ में मौजूद है और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है तो ऐसी हालत में इस क्लॉज़ की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। यह क्लॉज़ बिल्कुल बेकारसा है, इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री गोपीलाल यादव—"118-No tenant shall be ejected from his holding otherwise than in accordance with the provisions of this Act."

मैं आपको बताऊं कि क्लॉज़ ११८ बिलकुल क्लियर है। इसका प्रोविजन १२८ में दिया हुआ है। इससे सारा मतलब हल हो जाता है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है।

श्री जवानसिंह—I hope it will be withdrawn.

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय उपाध्यक्ष, इसके अन्तर्गत जो क्लाज़ है उसमें सिविल प्रोसिजर कोड को भी एप्लाई किया है। यह क्लॉज़ एड नहीं किया जायगा, ऐसी सूरत में कपिलदेवजी ने जो अमेंडमेंट रखा है उसको एड करना बहुत ही जरूरी है।

श्री भोलानाथ—यह अमेन्डमेन्ट वाजिब है और वाज़िब समझ कर ही मंजूर होना चाहिए।

('वाजिब कैसे है' इस प्रकार की आवाज)

श्री गोपीलाल यादव—१२७ जो क्लॉज़ रखा है उसमें प्रोसिजर लेड डाउन किया है। It is clear in clause 118.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—118 relate to ejectment only and not for decree of arrears. Whereas this relates to decree for arrears.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—भरतपुर नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है वह साफ नहीं है। क्लॉज़ ११८ इजेक्टमेंट को डील करता है that it should be in accordance with the provisions of this Act." जो संशोधन मूव किया गया है वह यह है कि "Decree for arrears, how executed"; तो मेरे ख्याल से माननीय सदस्य जो एक वकील हैं इसके डिफरेन्स को एप्रिशियेट करेंगे कि इसमें और उसमें बड़ा फर्क है। यह डिक्री रिअप्लाइजेशन करती है। वह इजेक्टमेंट की बात है। अत: आप यह महसूस करेंगे कि ११६ का जो प्रोविजन है वह आवश्यक है और उसको सोच-समझ कर ही मैंने रखा है। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर गौर फरमावेंगे और उसको पास करेंगे।

श्री गोपीलाल यादव—दोनों में इजेक्टमेन्ट है। १२७ में "proceedure in ejectment for decreed arrears" है। यह भी इजेक्टमेंट ही है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—१२७ में इजेक्टमेन्ट है और सेटिस्फेक्शन भी है। एग्ज़ीक्युशन किस तरह से होगा, दोनों बातें हैं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री कपिलदेव अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, मैं इसमें डिविजन चाहता हूं। हां पक्ष जीत नहीं सकता आप सब लोगों को बुलायेंगे तो पता चलेगा ! काम का जो प्रोविजन है वह इसमें ऑलरेडी मौजूद है। लोग क्या कहेंगे कि पढ़े-लिखे लोगों ने यह कैसा कानून बनाया था ? इसलिए आप डिविजन कराइये।

उधर बैठे हुए हैं वे भी साथ देंगे। Whip should not be issued.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—I think you are not the proper authority to say.

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधन ११९ (ए) एक नये क्लॉज़ के लिए श्री कपिलदेव ने प्रस्तुत किया है :

[श्री उपाध्यक्ष]

"No decree for arrears of rent shall be executed against a tenant otherwise than in the manner provided by section 127" be accepted,

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

इस प्रकार नया क्लॉज़ ११९ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १२०, इसमें कोई संशोधन नहीं है ।

श्री श्यामलाल गोयल—मैं दो शब्द कहना चाहता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १२० में कम्पेन्सेशन फोर इम्प्रूवमेन्ट ओन इजेक्टमेंट का तरीका बतलाया गया है । इसका जो सब क्लॉज़ (२) है उसके लिए मुझे ओब्जेक्शन है : "Compensation for improvement on ejectment.

(2) If the court to which a claim under sub-section (1) is made is the court of the Tehsildar, he shall forward the proceedings to the Assistant Collector who shall dispose of the case as if it had been instituted in hisown court-'

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसके सब क्लॉज़ (१) को देखा जाय तो उसमें यह है कि: "A court ordering ejectment of a tenant from his holding or any part thereof."

तो इसके साथ हम और साइड को भी देखें । इजेक्टमेन्ट के पॉवर असिस्टेन्ट कलेक्टर को दिये हैं । यह बिल जब सिलेक्ट कमेटीमें आया था तब वह पॉवर तहसीलदार को था । सिलेक्ट कमेटी ने, वह पावर तहसीलदार से हटाकर इजेक्टमेंट के जितने भी पावर्स हैं असिस्टेंट कलेक्टर को दे दिये । इस क्लाज़ के क्लॉज़ (१) के मुताबिक :

"A Court ordering ejectment of a tenant." तो There cannot be any court other then the court of the Assistant Collector.

तो ऐसी सूरत में सब क्लॉज़ २ में यह लिखा है कि अगर वह प्रोसीडिंग तहसीलदार के पास है तो वह असिस्टेंट कलेक्टर के पास भेज दी जाय । तो वह असिस्टेंट कलेक्टर को भेजने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि तहसीलदार उनको हीअर ही नहीं कर सकेगा । इसलिये मैं यह अर्ज

[श्री श्यामलाल गोयल]

करना चाहता हूं कि इजेक्टमेन्ट जितने पॉवर्स हमने दिये है इस कलॉज़ के सब कलॉज़ (१) में उसको देखते हुए सब कलॉज. (२) अनावश्यक है । तहसीलदार के कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग ही नहीं होगी । इसलिये मेरा अर्ज करना यह है कि यह यह सब कलॉज. (२) जो है इसको हटा दिया जाय और सब कलॉज. (१) में 'वन' शब्द भी हटा दिया जाय ।

श्री गोपीलाल यादव—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें फर्क यह है कि यहां पर यह क्लॉज़ नहीं रखेंगे तो जो सूट एरियर्स ऑफ रेन्ट के लिये है वह तहसीलदार के कोर्ट्स में आ जाता है तो उसके लिये असिस्टेन्ट कलेक्टर के यहां अलग से दरख्वास्त देनी पड़ेगी तो उसको २ दफा कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। तहसीलदार जो रेंट्स के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहा है वह उसकी जुरिस्डिक्शन में है कि रेंट्स जैसी चीजों को डील विथ कर सकता है और वह अपनी कार्यवाही को मुकम्मिल करके उसको फाइनेलाइज़ करके असिस्टेन्ट कलेक्टर को भेज देगा।

श्री श्यामलाल गोयल—यह जो आपने फरमाया बिल्कुल ठीक होता जब कि उसके साथ सब क्लॉज़ (१) में यह शब्द नहीं होते "A Court ordering ejectment of a tenant-" तो इसके 'वन' में जो शब्द हैं उसको देखते हुए तहसीलदार डिक्री दे या न दे, यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जब तक वहां ये शब्द मौजूद हैं यह आल टूगेदर रिडन्डेन्ट है, इसलिये इसकी जरूरत नहीं रहती।

श्री भोलानाथ—यह अमेंडमेंट वाजिब है इसलिये मैं इसको मन्जूर करता हूँ।

श्री श्रीदास गोयल—Is there any other amendment, Sir, before the Chair? Previously about one amendment which was not in writing before the Chairman was rejected by the chair.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो सब क्लॉज़ के डिलीशन का है, जब आप सब क्लॉज़ को पेश ही नहीं करेंगे तो वह डिलीट मान लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है...

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक अमेन्डमेंट प्रस्तुत नहीं किया गया है। मेरे ख्याल से उसके बिना मत नहीं लिये जा सकते क्योंकि यही नीति अभी थोड़ी देर पहले अपनाई गई थी।

श्री उपाध्यक्ष—अमेन्डमेंट यदि हो तो उसमें डिफीकल्टी लैंग्वेज की रहती है, इसलिए वह पहले आजाना चाहिये। किन्तु यहां तो इस सब क्लॉज़ के डिलीशन का सवाल है।

श्री जवानसिंह—अभी इस बारे में पहले डिसीजन चेयर की तरफ हो चुका है, यहां पर अमेन्डमेन्ट देने का प्रश्न था, अमेन्डमेन्ट को लिखकर भी दे दिया गया था किन्तु अध्यक्ष महोदय ने उसको रिजेक्ट कर दिया।

श्री त्रिवेणीश्याम—अमेंडमेंट पहुँच चुका है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो अमेंडमेंट श्री श्यामलाल गोयल ने प्रस्तुत किया है क्लॉज़ १२० पर ..

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस अमेंडमेंट के लिये ओब्जेक्शन करता हूँ इसको अलाउ नहीं किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इसको अलाउ करता हूँ।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्यामलाल गोयल ने रखा है उस को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२०, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२०, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १२१,

श्री कपिलदेव अग्रवाल—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस क्लॉज़ में एक छोटा सा अमेन्डमेन्ट है। "decreed or not" जो इस क्लॉज़ की लाइन तीन में शब्द है उनको ओमिट कर दिया जाय। इसके बाद यह क्लॉज़ इस प्रकार पढ़ा जायगा!

"If the compensation determined under the foregoing section exceeds the amount recoverable from the tenant as arrears of rent on account of the holding together with costs, if any, the decree or order for ejectment shall be conditional on the payment of the balance due to the tenant within such time as the court may direct, तो whether decreed or not" का यह मतलब है कि अगर कम्पेनसेशन की डिक्री हुई या नहीं, अगर हो गई है-तब भी कम्पेनसेशन वाजिब है। तो यह क्लॉज़ एप्लाई करेगा। आगे जाकर

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

मेरा अमेन्डमेन्ट जो १२२ में है वहां भी मैंने अमेन्डमेन्ट करना चाहा है "shall proceed in the following manner,"के पहले "determine the value of such crops or trees and"

इस स्थिति के अन्दर जो काश्तकार बेदखल होता है अगर उसका कम्पेनसेशन चाहे डिक्री हुआ हो या नहीं हुआ हो तब भी जो भी उसके इम्प्रूवमेन्ट्स हैं उसकी कीमत मिल जायगी, और वे इजेक्ट होंगे तब होंगे लेकिन उनके इम्प्रूवमेन्ट्स की कीमत मिल जायगी। बाकी का प्रोसीजर आगे की सेक्शन में ले डाउन किया गया है। इसलिये मेरा यह अमेन्डमेन्ट टेक्निकल है और आशा है सदन इसको मन्जर करेगा।

श्री गोपीलाल यादव—मतलब तो इसका यह है कि वेदर डिक्रीड और नोट यह शब्द कम्पेनसेशन के लिये प्रयोग नहीं किये गये हैं। ये एरियर्स ऑफ रेन्ट से संबन्ध रखते हैं। जब एरियर्स ऑफ रेन्ट के लिये डिक्री दी गई हो तो उसके बाद यह होने जा रहा है कि काश्तकार कहता है कि मेरे खेत में इम्प्रूवमेन्ट्स भी हैं। उन इम्प्रूवमेन्ट्स में मेरे १०० या २०० आम के पेड़ भी हैं उसका रेन्ट हैं..."decretal rent or the rent for which no suit was brought"

वह कहता है कि इसका हिसाब भी बिल्कुल कर लेना चाहिये अगर इम्प्रूवमेन्ट्स की कीमत ज्यादा है उस रेन्ट से जो उसमें ड्यू है, डिक्रीड और अन डिक्रीड, तो वह इजेक्ट नहीं होगा: जबतक कि कम्पेनसेशन की रकम पे नहीं कर देते।

दूसरी चीज यह है कि आज डिक्री तो हो गई, लेकिन इजेक्टमेन्ट के बाद इम्प्रूवमेन्ट्स की कीमत ५००) रूपये आ गई और उसका डिक्रीड रेन्ट ३००) रूपया ही है और अन डिक्रीड रेन्ट और १०० रुपया जोड़ दिया जाय तो इस तरह से ४००) पया हो गया। इस प्रकार ५००) रु० में से सौ रुपये रहे। उसके लिए वह कहेगा कि रु१००) रुपये दे दे नहीं तो डिक्री करता हूं। इसलिये यह सफ्लूयूस है। यह गलत नहीं है इसलिए इसको ऐसा का ऐसा ही रखा जाय।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, यह जो अमेन्डमेन्ट श्री अग्रवाल ने पेश किया है, मैं उसको अपोज करता हूं, कारण इसका यह है कि कम्पेन्सेशन क्लॉज १२० की तहत निर्धारित किया जावेगा। इस कम्पेन्सेशन को देते वक्त क्या खयाल रखना होगा। एरियर्स किस चीज को समझा जावेगा? यह जो मूल क्लॉज है उसके माफिक एरियर्स में वे तमाम रकमें आ जावेंगी कि जिसकी डिक्री हो गई है या जिसको इजेक्टमेंट कहा जाता है। उस रोज तक जितनी रेंट है उसका वह जमा होगा। तो यह नेचरल है कि उस तमाम की चाहे डिक्री हो या न हुई हो वह तमाम रुपया मिलना चाहिये। इसलिए ये शब्द whether decreed or not' रक्खा है और इन

[श्री श्यामलाल गोयल]

शब्दों को हटाने के बाद भी कोई फरक नहीं पड़ेगा। तो एक चीज स्पेसिफिकेली इसमें है जिसके लिए शायद आगे चलकर एम्बीगुईटी हो तो इन शब्दों को यहां से हटा दिया जाना चाहिये।

मैं दूसरी वजह से भी इसका अपोज़ करता हूं। जो क्लॉज़ १२० पेश हुई उसमें सदन में काफी बहस हुई कि यह डिलीट कर दिया जावे या यह एड करें उसमें भी ऐसे वर्ड्स हैं :

"Whether decreed or not"

तो उस समय किसी माननीय सदस्य ने, श्री अग्रवाल ने भी उसमें अमेन्डमेंट पेश नहीं किया। तो जब क्लॉज ११९ में यह जरूरी समझा जाता है तो मैं नहीं समझ सकता कि क्लाज़ १२१ में से इन शब्दों को क्यों हटाया जावे। इससे आगे चल कर अगर कोई मामला कोर्ट में भी गया तो इसमें एम्बीग्युटी नहीं रहेगी, नहीं तो आगे चलकर कोई भी क्या देखेगा। बाद को देना है, डिक्री हुआ है वह देना है, तो यह बहुत स्पेसिफिक टर्म है। इन शब्दों को जैसे ये ओरीजिनल क्लॉज़ में हैं वैसे ही रखना चाहिये।

श्री गोपीलाल यादव—मैं इसमें एक चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो हो सकती है कि इसमें गड़बड़ पैदा करेगी। 'whether decreed or not" शब्दों के कारण यह शो किया जावेगा कि ५००) का सूट फाइल किया और २००) का और कर्जा हो गया तो वेदर डिक्रीड और नोट में यह भी लगा लिया जा सकता है। मेरी ३००) रु० को डिक्री २००) की जो नहीं हुई तो इसको भी एड किये जाने की संभावना रहती है। हुई और इसलिए मेरी राय में इससे बचने के लिए "whether decreed or not" की जगह पर ,decreetal or otherwise कर दिया जावे "whether decreed or not" के बजाय ये ज्यादा अच्छे शब्द हैं। आप इस पर विचार कर लें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, इसमें जब ऊपर शब्द आ चुके हैं कि : If the compensation determined under the foregoing section exceeds the amount recoverable from the tenant as arrears of rent" तो रिकवरेबल डिक्रीड है तभी तो रिकवरेबल हो गया, पर इसके बाद ऐसे पीरियड के लिये जैसा कि अभी हमारे माननीय मित्र ने फरमाया अगर इसको नहीं रखते हैं तो डिक्री नहीं हुई; इसको भी शामिल कर लेते हैं तो सवाल यह आवेगा कि जो नोट रिकवरेबल है वह भी शामिल हो जावेगा तो इसलिये वह तो ठीक नहीं है। डिक्रीड रिकवरेबल है पर अगर पीरियड और चला जाता है अमाउन्ट ड्यू हो जाता है; that is also recoverable amountतो इसमें 'डिक्रीड' और 'नोट टू' ये दोनों के दोनों इन्क्लूड हैं या जो कुछ भी डिलीट करना वाजिब होगा वह रिडन्डेन्ट है। तो इस तरह श्री कपिलदेवजी ने जो प्रस्ताव रक्खा है कि डिलीट कर दिया जावे तो मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—यह बिल्कुल कानूनी बहस है और ज्यादा करके वकीलों से सम्बन्ध रखती है। बिचारे काश्तकार जिनके लिए यह राजस्थान टीनेन्सी बिल बन रहा है इसको समझ भी नहीं सकते हैं। क्योंकि कानून ऐसी ही चीज है : "Law is like a cobweb in which small flies are caught and bigger ones break through." बेचारे काश्तकार तो हमेशा ही पिसते आये हैं। इसलिए मेरा तो यह निवेदन है कि ज्यादा बहस में न जाकर जैसा है वैसा ही इसको एडॉप्ट कर लिया जावे, तो ज्यादा बहतर होगा।

श्री त्रिवेणी श्याम—उपाध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज़ ११६ से सम्बन्धित क्लॉज़ है और वह क्लॉज़ डेफर कर दिया गया है इसलिए जब तक उसको कन्सीडर न कर लें इसको पास नहीं करना चाहिये। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इसको भी डेफर कर देना चाहिये। क्यों कि यह इससे कनेक्टेड है और जो उस क्लाज का फैसला करेंगे तो इसका उससे भी ताल्लुक रहेगा। तो इसको किस तरह से डिनाई करते हैं। इसके बाद फिर इसको कन्सीडर करना चाहिये।

श्री भोलानाथ—तो इसको ११६ के साथ ही रख लिया जावे ?

श्री उपाध्यक्ष—इसको भी मुल्तवी रक्खा जाता है। अब करीब समय हो गया है १३ को वापिस मीट करेंगे, शाम को चार we will agian meet.

(११ बज कर ५८ मिनिट पर सदन की कार्यवाही दिनांक १३ सितम्बर, ५४ के मध्यान्होत्तर ४ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-८ सितम्बर, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपाय प्रश्न संख्या १७३८ का उत्तर देखिये)

LIST OF PERSONS WHOSE LAND IS TO BE ACQUIRED FOR THE BYE-PASS AT NATHADWARA

S. No.	MILE CHAIN NO.	KIND OF LAND	AREA	NAME	RESIDENCE
1	Mile 29-30 Ch. O to 4.9	Barren	49 Sft		
2	4.9 to 5.3	Cultivated land two crops	1000 ,,	Bhera son of Bhaggar	Nathuwas
3	5.3 to 7.0	do		Deva s/o Dudha Bhil	,,
4	7.8 to 8.2	do		Chuni carpenter (widow)	,,
5	8.2 to 8.5	do		Panna lal s/o Kalulal carpenter	,,
6	8.5 to 9.5	do		Karigar	
7	9.5 to 11.5	do		Hira s/o Jetha Bhil	Nathuwas
8	11.5 to 13.5	do		Deva son of Mana Bhil	,,
9	13.5 to 14.9	do		Hira s/o Jetha Bhil	,,
10	14.9 to 16.5	Barren	160 Sft		
11	16.5 to 19.7	Cultivated land two crops	1470 ,	Khema son of Kishna	,,
12	19.7 to 21.9	do		Bhera s/o Godha	,,
13	21.9 to 23.4	do		Deva s/o Mana	,,
14	23.4 to 24.1	do		Bhera s/o Teja Bhil	,,
15	24.1 to 25.4	do		Bhanera s/o Deva	,,
16	25.4 to 26.7	do		Bhera s/o Teja Bhil	,,
17	26.7 to 28.7	do		Uda s/o Nathu	,,

1	2	3	4	5	6
18	28.7 to 31.2	do		Godha s/o Bhera	,,
19	31.2 to 52.8	Hilly land	2160 sft		
20	Mile 30-31 Ch.0 to 14.8	do	1460 sft		
21	14.8 to 16.5	Barren	170 ,,		
22	16.5 to 18.7	Cultivated land two crops.	228 ,,	Harilal Chaudhry	Nathadwara
23	18.7 to 19.7	Barren	100 ,,		
24	19.7 to 23.7	Cultivated land two crops	560 ,,	Chhaganlal son of Saligram	,,
25	23.7 to 25.3	do		Harilal s/o Hiralal	,,
26	25.3 to 26.	Barren	70 ,,		
27	26.0 to 28.1	Cultivated land two crops	560 ,,	Harilal Chaudhry	,,
28	28.1 to 29-2	Barren	110 ,,		
29	29.2 to 33.2	Cultivated land two crops	1360 ,,	Chhaganlal s/o Saligram	,,
30	33.2 to 34.6	do		Harilal s/o Hiralal	,,
31	34.6 to 39.8	do		Chutilal s/o Manalal	,,
32	39.8 to 43.	do		Chandma s/o Badama Bhil	,,
33	43.0 to 52.8	Hilly	980 ,,		
34	Mile 31-32 Ch. 4 to 5.75	Cultivated land two crops	width of 50 ft.		
		(LAL BAGH)			
35	5.75 to 6.75	do	do 70 ft.		
36	6.75 to 15.25	dry land	850 sft		
37	28 to 33	Cultivated land two crops	500 ,,		